हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 7 मार्च, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	4 (1)
वाक आउट	4 (1)
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	4 (2)
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	4 (17)
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	4 (19)
अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना	4 (32)
ध्यानाकर्षण सूचना- हाल ही में ओलों, बेमौसमी वर्षा तथा धुंध के कारण चना, सरसों तथा तिलहन की फसलों की भारी क्षति संबंधी	4 (33)
वक्तव्य- ग्राम तथा नगर आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	4 (33)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	4 (37)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	4 (47)
(i) श्री मलिक चन्द गम्भीर द्वारा	4 (47)
(ii) श्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा	4 (47)

मूल्य : 00.73 84.00

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना 4 (76)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) 4 (77)

अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं 4 (84)

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला एम0एल0ए0 के विरूद्ध 5 मार्च, 2002 को सदन के बीच में माक चेयर लेने तथा स्वयं को सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रदर्शित करने, चेयर के आदेशों की अवज्ञा करने तथा निरन्तर चेयर के निर्णय को चुनौती देने तथा इसके विरूद्ध विरोध प्रकट करने, इस प्रकार, सदन की अवमानना/विशेषाधिकार भंग इत्यादि करने का अभिकथित विशेषाधिकार भंग संबंधी मामला।

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 के विरूद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग तथा 4 मार्च, 2002 को महामहीम राज्यपाल महोदय के बाधा पहुंचाने तथा उनके विरूद्ध अनावश्यक टिप्पणियां करने के लिए तथा 5 मार्च, 2002 को उस समय जब सभा सत्र में थी, सदन के बीच में माक चेयर लेने में श्री जय प्रकाश बरवाला की अत्याधिक सहायता करने के फलस्वरूप 5 मार्च, 2002 को सदन की अवमानना/सदन का विशेषाधिकार भंग करने संबंधी मामला।

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, एम0एल0ए0 द्वारा चेयर की पूर्ण अवज्ञा करके सदन के बीच आने/रहने तथा लगातार अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करने, पहरा एवं निगरानी अमले के साथ हाथापाई की कोशिश करने तथा चेयर की ओर एक पुस्तक फैंकने, श्री धर्मबीर सिंह द्वारा सदन के बीच में दौड़ते समय एक लाईट बाक्स तोड़ने, सरकारी सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने तथा जगजीत सिंह सांगवान द्वारा सदन में असंसदीय शब्दों तथा अनावश्यक टिप्पणियों आदि का प्रयोग करने तथा फलस्वरूप 5 मार्च, 2002 को इन विधायकों द्वारा सदन की अवमानना/विशेषाधिकार के भंग संबंधी मामला।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

वाक आउट

अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

(iv) डा0 रघुबीर सिंह कादियान, एम0एल0ए0 के विरूद्ध 5 मार्च, 2002 को सदन के बीच आने/रहने, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संबंधी नियम की पुस्तक फाड़ने, घोर कदाचार एवं गम्भीर अव्यवस्था की ओर ले जाने, सदन में एक लाईट बाक्स तोड़ने के फलस्वरूप डा0 रघुबीर सिंह कादियान, एम0एल0ए0 द्वारा सदन की अवमानना/विशेषाधिकार के भंग इत्यादि करने का अभिकथित विशेषाधिकार भंग संबंधी मामला।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 7 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एंव उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान अब सवाल होंगे।

Increasing the crushing capacity of sugar Mill, Palwal

***954. Sh. Udai Bhan :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to increase the crushing capacity of cooperative sugar Mill, Palwal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

वाक-आउटस

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे एक निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। यह क्वेशचन ऑवर है।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के जो सस्पैंडिड मैम्बर हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आप हाउस में बुला लें। * * * * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की बात रिकार्ड न करें। भजन लाल जी आप अपने अनुभव का फायदा उठाओ। भजन लाल जी कोई जो आपको अनुभव है आप उसका फायदा उठायें। आप उसे यूज करें, मिसयूज न करें। चौधरी भजन लाल जी क्वैशचन ऑवर बहुत इम्पोरटैंट होता है आप क्वैशचन ऑवर के बाद अपनी बात उठाएं। उदय भान जी, आप अपना क्वैशचन पूछें।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं अपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पलवल में एक मात्र शूगर मिल है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम ऐज ए प्रौटेस्ट सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही इसलिए मैं भी इनके साथ ऐज ए प्रौटेस्ट वाकआउट करता हूं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के एक सदस्य श्री राम किशन फौजी सदन से वाक आउट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पलवल कोऑपरेटिव शूगर मिल की पिराई क्षमता इस समय 27 लाख क्विंटल है जबकि वहां गन्ने का उत्पादन 60 से 65 लाख क्विंटल है इसकी वजह से वहां के किसानों में बड़ी भारी रिजैंटमैंट है। उस एरिया में गन्ने का उत्पादक बहुत ज्यादा है क्या इस पर सरकार विचार करेगी कि उस शूगर मिल की पिराई क्षमता बढ़ाई जाए जिससे वहां के किसानों को उसका सही लाभ मिल सके।

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : स्पीकर सर, गन्ने का जितना बाउंडिंग एरिया है उसके मुताबिक हमारी मिल की क्षमता बिल्कुल ठीक है। एक बार इस बारे में चुने हुए मैंबरों का प्रस्ताव मेरे पास लिखित में आया था कि आगे इस मिल की क्षमता नहीं बढ़ाई जाये क्योंकि इससे ज्यादा गन्ना वहां पर उपलब्ध नहीं हो पायेगा । वहां के लोगों ने इस बारे में जो अपनी राय व्यक्त की थी उसमें माननीय सदस्य के भाई भी शामिल थे। उन्होंने भी यहीं कहा था कि पलवल शूगर मिल में गन्ने की पिराई क्षमता और ज्यादा न बढ़ाई जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, किसी प्रश्न के उत्तर में केवल मात्र इतना कह देना कि Question does't arise यह ठीक नहीं है। मैं, श्री उदयभान जी और श्री रावत जी पलवल एरिया के विधायक यहां मौजूद हैं। पलवल शूगर मिल हरियाणा प्रदेश में सबसे अच्छी चल रही है। वह केन ग्रोईंग ऐरिया है जोकि हर साल बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी आप क्वैश्चन पूछिये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे हाउस में आश्वासन दें कि वे वहां पर मौके पर जाकर देखेंगे और बाद में इस बात पर विचार करेंगे कि उस शूगर मिल की पिराई क्षमता को बढ़ाया जाये या नहीं क्योंकि जितनी इस मिल की पिराई क्षमता है उससे ज्यादा गन्ना वहां पर खड़ा है। वहां के किसानों में इस बारे में काफी रिजेंटमेंट है। मंत्री जी हाउस में आश्वासन दें कि वे वहां पर खुद जाकर देख लेंगे उसके बाद उसकी पिराई क्षमता को बढ़ाने के बारे में मामले को प्रौसेस में ले लेंगे।

श्री करतार सिंह भड़ाना : स्पीकर सर, पलवल की शूगर मिल काफी अच्छी चल रही है, अगर उसकी पिराई क्षमता बढ़ा देंगे तो वह मिल लौस की तरफ चल पड़ेगी क्योंकि अब भी वह मिल लौस में चल रही है लेकिन फिर भी किसानों के हित में उसको चलाना पड़ता है। अगर उस

मिल की पिराई क्षमता बढ़ा दी तो और लौस हो जायेगा, मिल का ब्रेक डाउन हो जायेगा और मिल बन्द हो जायेगी। इसलिए उस मिल की और पिराई क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर गन्ने का एरिया और बढ़ा तो फिर इस बारे में बात होगी और किसानों के हित को देखते हुए आगे कुछ सोचा जायेगा।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, उदयभान जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सारे हरियाणा प्रदेश में 12 शूगर मिलें सरकारी हैं और 3 शूगर मिलें निजी क्षेत्र में ली हुई हैं। उनमें से सोनीपत और जींद के शूगर मिल की पिराई क्षमता पलवल मिल के समान है। जहां गन्ने का उत्पादन अनुमानित हैक्टेयर में दिखाया गया है। साथ में दूसरी मिलों की पिराई क्षमता जो इस के बराबर दिखाई गई है। वह सोनीपत की बराबर आती है, जींद की बराबर आती है और पलवल की बराबर आती है। मैं समझता हूं कि पलवल की मिल सबसे पहली मिलों में से एक है। उसकी प्रोडैक्शन की क्वालिटी सबसे अच्छी है। वहां पर जो गन्ने के एरिया के बाउंडिंग का आधार है शायद मंत्री जी का अनुमान है कि वह कम है। वहां की अगर गन्ने के एरिया की सही मायने में बाउंडिंग कराई जाये तो वहां पर गन्ना मिल की पिराई क्षमता से अधिक है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुये या तो वहां पर पिराई क्षमता को बढ़ाया जाये या दूसरा प्लांट लगाने के लिए विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : रावत जी आप भाषण मत दीजिये अपना सवाल पूछें।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे सहकारिता मंत्री भी थे और हम दोनों विधायक भी थे। हमने उनके समक्ष यह समस्या रखी थी और स्वंय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिल की पिराई क्षमता बढ़ाये जाने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया था इसी को दृष्टिगत रखकर मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री करतार सिंह भड़ाना : स्पीकर सर, पहले इस मिल की पिराई क्षमता साढ़े बारह सौ टन प्रतिदिन थी जिसको बढ़ाकर 19 सौ टन प्रतिदिन किया गया था कई बार यह मिल 2100 टन गन्ना प्रतिदिन भी लेती रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूं जिस जिले के माननीय साथी बिसला जी हैं इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर उस मिल की क्षमता को बढ़ाते हैं तो इससे किसानों का नुकसान हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : * * * * * *

श्री भगवान सहाय रावत : * * * * * *

श्री उदय भान सिंह : * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप तीनों अपनी-2 सीटों पर बैठें। राजेन्द्र सिंह बिसला, उदय भान और भगवान सहाय रावत जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी बिसला जी को बताना चाहूंगा कि मैं कोई ज्यादा बड़ा किसान तो नहीं हूं लेकिन 14-15 एकड़ का गन्ना मेरा भी उस मिल में जाता है। इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर फाउंडेशन 3 मंजिल बिल्डिंग बनाने का हो और उस पर 6 मंजिल बिल्डिंग बना दी जाए तो वह बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए अगर इस

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री करतार सिंह भड़ाना]

मिल की कैपेसिटी बढ़ा देंगें तो यह जितना काम अब कर रही है उतना भी काम नहीं करेगी। हां, हम दूसरी मिल लगाने का प्रस्ताव जरूर ले आएंगें।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के माननीय सदस्य बिसला जी ने कहा है कि इस मिल की क्षमता बढ़ा दी जाए।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलौत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिसला जी की भावनाओं के साथ हमारी भी भावनाएं शामिल कर ली जाएं।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कई विधायकों की भावनाओं को देखते हुए इन्टरवीन कर रहा हूं । वैसे तो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट और डिटेल में जवाब दे दिया है क्योंकि मंत्री जी स्वंय भी उसी एरिया के रहने वाले हैं जहां के माननीय विधायक बिसला जी रहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जहां तक इस मिल की क्रशिंग कैपेसिटी की बात है तो पिछले सालों का रिकार्ड देखें तो 1996-97 में 30 लाख 16 हजार, 1997-98 में 21 लाख 76 हजार, 1998-99 में 18 लाख 24 हजार, फिर 19 लाख 27 हजार और फिर 29 लाख 77 हजार क्विंटल गन्ने की पिराई इस मिल में हुई है। ऑन एण्ड एवरेज 24 लाख क्विंटल गन्ने की क्रशिंग हुई है। 30 लाख क्विंटल से ऊपर इस मिल ने गन्ने की पिराई की है। जहां इस मिल की क्रशिंग क्षमता ऑन एण्ड एवरेज 24 लाख क्विंटल रही है वहीं बोडिंङ गन्ने को लेने में भी यह मिल सक्षम है। आगे माननीय साथी ने चिन्ता जाहिर की है कि इस मिल में और ज्यादा गन्ने की क्रशिंग हो सकती है इस प्रकार के ये फ्यूचर के एस्टीमेट लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने कोआप्रेटिव सैक्टर में दो और शूगर मिल्ज लगाई हैं। सरकार हर किसान के बारे में चिन्तित है। हमारी सरकार ने आते ही पहले किसानों का 21 करोड़ रुपये का पुराना भुगतान किया। क्रैश क्रोप को ध्यान में रख कर दो और शूगर मिल्ज लगाई गई है। मैं सरकार की तरफ से यहां आश्वासन देना चाहता हूं कि अकेले फरीदाबाद में ही नहीं सरकार हरियाणा में कहीं भी गन्ना बिना पिराई के नहीं रहने देगी चाहे उसे गन्ना किसी भी मिल में क्यों न ले जाना पड़े।

तारांकित प्रश्न सं0 992

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जीतेन्द्र सिंह मलिक सदन में उपस्थित नहीं थे)

Beautification of Cities

***844. Sh. Pawan Kumar Dewan**
@ Shri Anil Vij : Will the Minister of state for Urban Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to beautify the town by shifting dairies from there in the State; if so, the details thereof ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 6 नगरों नामतः रोहतक, गुड़गांव, बहादुरगढ़, पानीपत, सोनीपत तथा रिवाड़ी में दूध की डेयरियों को स्थानान्तरित करने के लिए 1307.00 लाख रुपये लागत की एक योजना तैयार करके

@ Put by Sh. Anil Vij

राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड से मंजूर करवाई गई थी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 98.02 लाख रुपये पहले ही प्रदान किये जा चुके हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने शहर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए जो उत्तर दिया है उस विषय में कहना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न सारे हरियाणा के लिए था और मंत्री महोदय ने खाली एन0सी0आर0 यानि नैशनल कैपीटल रीजन के बारे में बताया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में शहरों की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए दूध की डेयरियां शिफ्ट करने के लिए, सफाई की व्यवस्था बनाने के लिए कल भी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि सफाई व्यवस्था हमारी दुरूस्त है। लेकिन आज लोकल बॉडी मिनिस्टर ने मेरे एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कंट्राडिक्टरी जवाब दिया है कि सफाई व्यवस्था के लिए जितने कर्मचारी चाहिए उतने कर्मचारी है नहीं। जितने इक्विपमैंट चाहिए उतने इक्विपमैंट नहीं हैं जिसका नतीजा यह है कि शहरों की सफाई की हालात दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम राजधानी के बिल्कुल नजदीक हैं हमें अपने शहरों की सुंदरता की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे यहां सुंदरता होगी, अच्छे पार्क होंगे तो यहां उद्योग अधिक लग सकते हैं, औद्योगिक इकाईयां अधिक लग सकती हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे शहरों की सुंदरता बहाल करने के लिए, अच्छे पार्कों की व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था के लिए क्या योजना है ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 12 नगर पालिकाओं के लिए 31.12 करोड़ रुपये की योजना पास करवाई है जिसमें 6 नगर पालिकाएं एन0सी0आर0 में पड़ती हैं और 6 नगर पालिकाएं हुडको में पड़ती हैं। मेरा सिर्फ यह कहना था कि एन0सी0आर0 का पैसा मंजूर होकर आ गया है और हुडको से अभी आना है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 24 अन्य म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए भी हम यह योजना बना रहे हैं। आपको तो मालूम है और जैसे आशंका व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने सोलिड वेस्ट मनेजमैंट के तहत एन0सी0आर0 और हुडको से हरियाणा प्रदेश के लिए 142 करोड़ रुपये का ऋण प्रस्तावित करवाकर कैबिनेट से मंजूरी ले ली है जिसका यूज हरियाणा प्रदेश को सुंदरतम बनाने के लिए और डेयरियों का स्थानांतरण करने के लिए किया जायेगा।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कस्बों को सुंदरतम बनाने के लिए और डेयरियों को स्थानांतरित करने के लिए जो योजना बनाई है उसके तहत जिन डेयरियों को स्थानांतरित किया जायेगा उनके मालिकों को जगह देने के लिए क्या क्राईटेरिया रखा है, कितनी जमीन देने का क्राईटेरिया रखा है इस बारे में मंत्री जी बतायें।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि डेयरियां शिफ्ट करने के लिए जो योजना बनाई है उसके तहत जो डेयरी मालिक 5 या 5 से अधिक पशु रखेगा और उसकी डेयरी शिफ्ट की जायेगी तो उसको सरकार 250 से 1000 गज तक का प्लाट नो प्रोफिट नो लोस बेसिज पर देगी।

चौ0 नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है क्या उन्हें भी प्लाट नो प्रोफिट नो लोस बेसिज पर दिया जायेगा ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने डेयरी डिवैल्प करने के लिए स्कीम बनाई है और जिस भी किसी की डेयरी शिफ्ट की जायेगी उसे प्लाट नो प्रोफिट नो लोस बेसिज पर दिया जायेगा ताकि पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो सके। इसमें किसान के लिए कोई क्राईटेरिया नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नैशनल कैपिटल रीजन में हमारा फरीदाबाद का नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और दुर्भाग्यवश उत्तरी भारत में दिल्ली से भी ज्यादा स्लम आ रहा है। वहां पर डिवैल्पमैंट हो रहा है लेकिन सारी रेलवे लाईन के साथ-साथ, सड़क के साथ-साथ और नहर तथा नालों के साथ-साथ लोग टायलेट बैठते हैं। कई कालोनीज ऐसी हैं जिनमें जा नहीं सकते। भगवान सहाय रावत साहब, भाटिया साहब आदि हम सब उनको देखते हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एम0सी0एफ0 में स्लम लगातार बढ़ रहा है जिस कारण वहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। इस दयनीय स्थिति से सभी अवगत भी हैं। एम0सी0एफ0 के सुधार के लिए एन0सी0आर0 से भी पैसा आ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एम0सी0एफ0 की गन्दगी की कलियरेंस के लिए मंत्री जी कोई निर्णय लेंगे ताकि उस शहर की भी सफाई हो सके।

श्री सुभाष गोयल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह जो आज का मूल सवाल है उसका इनकी इस सप्लीमैन्टरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने जो यह सवाल किया है इस बारे में ये मेरे से अलग से मिलकर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्योंकि यह जो सवाल है यह तो शहरों के अन्दर से डेयरी शिफ्ट करने से संबंधित है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, श्री नफे सिंह राठी जी ने जो सवाल किया था उसका मंत्री जी पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से शहर से बाहर डेयरी चलाने के लिए जो प्लाट दिये जाएंगे वे नो प्रोफिट नो लोस पर दिए जाएंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन जमींदारों की या लोगों की जमीन ली जायेगी क्या उनका कोटा निर्धारित करते हुए उनको भी रियायती रेट्स पर वहां प्लाट्स दिए जाएंगे।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, शायद मैं अपना जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाया। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए जो जमीन एक्वायर की जायेगी उसके लिए कोशिश तो यह की जायेगी कि सरकारी जमीन अधिग्रहण की जाये या पंचायतों की जमीन एक्वायर की जाये। यदि इन दोनों जगहों से हमें जमीन नहीं मिल पायेगी तब ही हम किसानों की जमीन एक्वायर करने की सोचेंगे। इन जगहों पर उन्हीं लोगों को जगह दी जायेगी या प्लाट्स दिये जाएंगे जो 5 या 6 से अधिक पशु रख कर डेयरी का काम करेंगे। उन सभी को नो प्रोफिट नो लोस पर प्लाट्स दिए जाएंगे।

श्री देवराज दिवान : अध्यक्ष महोदय, जो डेयरियां शहरों के अन्दर काम कर रही हैं उनको शहर से बाहर निकालने की योजना है। इस बारे में मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा की दिल्ली से भी ऐसी ही डेयरियां बाहर निकाली गई थीं। जब उन डेयरियों को दिल्ली से बाहर निकाला गया था तो उस वक्त जिन लोगों को डेयरियों की जगह दी गई थी उनको वह जगह डिवैल्प करके दी गई थी यानि उनको पक्के शैड आदि बना कर दिए गए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम डेयरियां शहर से बाहर निकालेंगे और डेरी का काम करने वालों को पक्की जगह या दूसरी सुविधाएं नहीं देंगे तो वह उतना कारगर साबित नहीं होगा। मैं

आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में डेयरियां डिवैल्प करके दी गई थीं क्या उसी प्रकार से हमारी सरकार का भी विचार है। इस बारे में मेरा यह भी कहना है कि यदि हम सभी को एक साथ ऐसी सुविधा नहीं दे सकते तो चाहे शिफ्टों में दें लेकिन डेयरी वाली जगह पूरी डिवैल्प करके दें ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत ही ठीक सवाल किया है। मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम डेयरी का काम करने वाले लोगों को केवल शहर से बाहर खाली प्लाट ही एलाट नहीं करेंगे बल्कि हम वहां पर गोबर गैस प्लांट, हरा चारा तथा सूखा चारा रखने का स्थान, पशु अस्पताल, टयूबवैल, पानी की निकासी आदि दूसरी मूलभूत जो आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करेंगे और उसके बाद ही वहां पर लोगों को प्लाट अलाट किए जाएंगे। प्लाट अलाट करते समय जो सुविधाएं मैंने बताई हैं वे उनको देंगे और इन सब चीजों की कीमत को ध्यान में रखते हुए ही नो प्रोफिट नो लौस पर प्लाट अलाट किए जाएंगे।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस में जो डेयरियां शहरों के अन्दर चल रही हैं उनको शहरों से बाहर शिफ्ट करने बारे में विचार चल रहा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद एन0आई0टी0 को सुंदर बनाने के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं बनाई गई हैं ताकि वह शहर सुन्दर हो सके।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिसला जी तथा फरीदाबाद जिले के विधायकों को मेरे ख्याल से इस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। मैंने इस बारे में पहले भी कहा है कि आज का यह सवाल डेयरियों से सम्बन्धित है इसलिए इनको चाहिए कि ये डेयरी से सम्बन्धित सवाल ही करें। वैसे मैंने पहले भी बताया है कि सरकार से हरियाणा प्रदेश को सुन्दरतम बनाने के लिए 142 करोड़ रुपये की योजना मन्जूर हो चुकी है और 46 करोड़ रुपये की और योजना प्रस्तावित है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन मैं भी चाहता हूं इसलिए आप एक क्लैरिफिकेशन देने की मेहरबानी करें। जहां पशु होंगे नैचुरल बात है कि उनकी डैथ्स भी होंगी तो उनकी आखिरी क्रिया के लिए कोई जगह की भी आवश्यकता होगी जिससे उनको उठा कर नजदीक ही कहीं दफनाया जा सके। मृत पशुओं को ठिकाने लगाने के लिए क्या कोई प्रोविजन किया गया है ?

श्री सुभाष गोयल : स्पीकर सर, आपने यह बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है जो काबिलेगौर है। अभी तो कार्य चल ही रहे हैं इसके लिए भी हम प्रोविजन रख लेंगे।

श्री मलिक चन्द गम्भीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस गांव की जमीन वे लेंगे या जिस पंचायत की या जमींदार की जमीन वे लेंगे अगर गांव वाले वहां डेयरी के लिए जगह मांगेगें तो क्या उनको जगह दी जाएगी ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय साथी मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने यह कहा है कि अगर वे डेयरी के लिए जगह मांगेगे तो उनको जगह दी जाएगी। अगर उनके पास पशुधन है और वे डेयरी के लिए जगह मांगते हैं तो उनको जगह अवश्य दी जाएगी।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस पंचायत की जमीन डेयरी के लिए ली जाएगी या जिस पंचायत की ज़मीन डेयरी के लिए एक्वायर की जाएगी क्या उसका मुआवजा दिया जाएगा ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत की जमीन ली जाएगी उसका मुआवजा तो दिया ही जाएगा इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न दिया था मेरा प्रश्न और श्री पवन कुमार जी का प्रश्न क्लब कर दिया गया है। मेरा प्रश्न शहरों के ब्यूटीफिकेशन के लिए था और डेयरियां शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्रश्न दीवान जी का था जो क्लब किए गए। आप प्रश्न को पढ़ें, क्या नगर विकास मंत्री जी कृपया बताएंगे कि क्या डेयरियों को शहरों से बाहर निकाल कर शहर के सौन्दर्यकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, लेकिन मन्त्री महोदय खाली डेयरियों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मैंने स्पैसिफिकली दोनों के बारे पूछा था। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या डेयरियों को शिफ्ट करने में अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर शामिल हैं, अगर शामिल हैं तो क्या इनके लिए कोई जगह ले ली गई है, अगर जगह ले ली गई है तो यह काम तब तक पूरा हो जाएगा और दूसरे अगर आपकी इच्छा हो तो शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए डेयरियों को शिफ्ट करने के अतिरिक्त किन-किन योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इनका अगला प्रश्न इसी संदर्भ में है उसमें इनकी सारी बात आ जाएगी। डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के सम्बन्ध में मैंने बताया है कि 12 म्यूनिसिपल कमेटी की योजना पास हो चुकी है और 24 अन्य म्यूनिसिपल कमेटीज के लिए भी हम योजना बना रहे हैं। इसके अलावा कूड़ा निष्पादन और सौन्दर्यीकरण के लिए भी काम कर रहे हैं। (विघ्न) अम्बाला छावनी के बारे में विज साहब का अगला सवाल है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यमुनानगर, जगाधरी, हिसार, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, करनाल, गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, रिवाड़ी और रोहतक 12 शहर इसमें शामिल हैं।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से प्रश्न और उत्तर के दृष्टिगत यह पूछना चाहूंगा कि मंत्री महोदय केवल राजधानी क्षेत्र में बनने वाले छः नगरों से सम्बन्धित ही नहीं बल्कि समस्त हरियाणा की बात है। साथ ही राजधानी क्षेत्र में जो 6शहर पड़ते हैं रोहतक गुड़गांव, बहादुरगढ़, पानीपत, सोनीपत और रिवाड़ी इसके अतिरिक्त भी बल्लभगढ़, पलवल, अम्बाला इत्यादि दूसरे हल्के के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या इसकी मन्जूरी राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड से करवाई गई है ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि पूरे राज्य में सफाई और शहरों के सौन्दर्यीकरण के बारे में क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ?

10.00 बजे

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी 12 शहरों के नाम लिए हैं। इसके अलावा 24 और शहर हैं। भगवान सहाय रावत जी से नाम पूछ कर इस लिस्ट में सम्मलित करके प्रस्ताव बना लेंगे।

---

* **835. Sh. Padam Singh Dahiya** : Will the Chief Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Govt. to promote Solar Energy for the purpose of irrigation ; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : जी हां श्रीमान् । सौलर फोटोवोल्टिक वाटर पम्पिंग का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत 1800 वॉट की क्षमता के सोलर पम्पसैट सिंचाई एवं अन्य सम्बंधित कार्यों के लिए लगाए जाते हैं। यह पम्प 10 मीटर तक की गहराई से लगभग 1,20,000 लीटर पानी निकालने की क्षमता रखते हैं। इसकी औसतन कीमत 4.50 लाख रूपये है लेकिन यह किसानों को 67,350/-रुपये के अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल, 200 सोलर पम्प स्थापित किये जाना प्रस्तावित हैं।

श्री पदम सिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा पम्प सैट के क्या क्या लाभ हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह एक नई टैक्नोलोजी है। इससे बिजली की बचत होती है, डीजल की बचत होती है। इसको चलाने का बहुत ही आसान तरीका है और इसका रख-रखाव बहुत ही आसान है। अध्यक्ष महोदय, बिजली हो या डीजल हो तो उस पर काफी खर्चा आता है। सौर ऊर्जा सूर्य से बनती है जोकि मुफ्त में मिलती है। इसलिए यह सिस्टम चलाने में आसान और सुविधाजनक है। इससे बिजली और डीजल का खर्चा कम हो जाता है। इससे डीजल की 720 लीटर एक वर्ष में बचत है और 3360 यूनिट बिजली की वर्ष में बचत है। इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है क्योंकि इससे कम कार्बनाक्साईड निकलती है। यह चलाने में आसान और नई टैक्नोलोजी है।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जमीन की सिंचाई को बढ़ाने के लिए यह जो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया गया है, ये सैट किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं। क्या ये सैट देने के लिए क्षेत्रों का सर्वे किया गया है क्योंकि एरिया वाईज पानी का लैवल ऊंचा नीचा होता है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि ये सैट जहां पर पानी का लैवल डीप है वहां नहीं लगता है। मैंने अपने जवाब में भी बताया है कि जहां पर 10 मीटर या 10 मीटर के लगभग वाटर टेबल होता है वहीं पर यह सैट लगाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर महकमें की रिपोर्ट के मुताबिक 62 ब्लाक्स में ये सैट्स लगाए जा सकते हैं। उन्होंने हरियाणा में 62 ब्लाक्स चिन्हित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह टैक्नोलोजी नई है और सभी मैम्बर्ज इस बारे में जानना चाहेंगे कि ये सैट्स हमारे ब्लाक में लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर ये किसी की दरख्वास्त लाएंगे तो उस बारे में विचार कर लिया जाएगा। ये सैट्स 4-5 एकड़ के किसानों के लिए ठीक हैं। ये 60 ब्लाक कौन कौन से हैं इस बारे में लिस्ट मेरे पास है अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको पढ़कर सुना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इसको पढ़कर सुना दें क्योंकि यह मामला सभी मैम्बर्ज से सम्बन्धित है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं यह लिस्ट पढ़कर सुना देता हूं । अम्बाला जिले में बराड़ा, अम्बाला, नारायणगढ़ और शहजादपुर, भिवानी जिले में दादरी-1, बवानी खेड़ा और भिवानी, फरीदाबाद जिले में हथीन, होडल, पलवल और बल्लभगढ़ फतेहाबाद जिले में फतेहाबाद, भट्टूकलां और भूना, गुड़गांव जिले में फिरोजपुर झिरका, नगीना नूंह और पुनहाना, जिला हिसार में आदमपुर, बरवाला हांसी-1, हांसी-2, हिसार-1, नारनौंद, अग्रोहा और उकलाना, जींद जिले में जुलाना, नरवाना, सफीदों और जींद कैथल जिले में पुंडरी, कलायत और राजौंद, करनाल जिले

[श्री रामपाल माजरा]
में इंद्री, नीलोखेड़ी, अंसध और निसिंग, पानीपत जिले में इसराना, मतलोडा, सोनीपत जिले में गोहाना, राई, खरखौदा, सोनीपत, गन्नौर, कथूरा और झज्जर जिले में बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, मातनहेल और साल्हावास, रोहतक जिले में रोहतक, महम कलानौर, लाखनमाजरा और साम्पला, जिला यमुनानगर में जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और सढौरा शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से 62 ब्लाक्स हैं ।

श्री जसवीर सिंह मलौर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में क्या इस प्रकार का कोई सर्वे किया गया है कि जहां पर पानी बहुत गहरा हो गया है वहां उसको रि-चार्ज करने की कोई जरूरत है?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, वैसे तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमैंट ने इस प्रकार का सर्वे किया है और सर्वे करके चिन्हित किया गया है कि कहां कहां वाटर लेवल कम है जहां पर वाटर लेवल काफी गहरा है उनको डार्क ब्लाक कहा जाता है ऐसी जगहों पर 85 प्रतिशत पानी का दोहन कर लिया गया है, जहां पर 65 से लेकर 85 प्रतिशत तक पानी का दोहन हो चुका है उसको ग्रे ब्लाक कहा जाता है और जहां पर इससे और अधिक पानी का दोहन किया जा सकता है उनको व्हाइट ब्लाक कहा जाता है। स्पीकर सर, इसके बारे में भी एक लम्बी लिस्ट है इसमें 108 ब्लाक्स हैं अगर आप कहें तो मैं इसको भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह लिस्ट जो जो भी मैम्बर मांगें, उनको दे देना ।

श्री राम पाल माजरा : ठीक है जी। स्पीकर सर, 108 ब्लाक्स में से 46 ब्लाक्स डार्क हैं जबकि 18 ब्लाक्स ग्रे हैं और 44 ब्लाक्स व्हाइट हैं। इन्होंने वाटर रिचार्जिंग की बात भी कही है। वाटर रि-चार्जिंग की बड़ी भारी जरूरत है। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य आज यहां पर हैं नहीं उनका इस बारे में एक अहम प्रश्न था और प्रदेश के लोग भी इस बात को जानना चाह रहे थे कि वाटर को कैसे रि-चार्ज करके किसानों को दिया जा सके । अगर ये लोग होते तो मैं इन बातों का विस्तार से उनको जवाब देता। सरकार ने वाटर रि-चार्जिंग की एक काफी महत्वकांक्षी योजना शुरू की है। जब वे आएंगे तो मैं उनको इस बारे में बताऊंगा।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वाटर रि-चार्जिंग के जिन 62 ब्लाक्स का जिक्र इन्होंने किया है इनसे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है और कितने इस तरह के नलकूप देने की सरकार की योजना है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, पहले सारे हरियाणा में केवल सौ नलकूप देने का प्रस्ताव था। इसमें पहले आओ और पहले पाओ की नीति है। जब हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में निवेदन किया तो हमारी सरकार के निवेदन पर ही केन्द्रीय सरकार ने अब सौ के बजाए 200 नलकूप कर दिए हैं। अब इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। यह तो एक्सपैरीमैंटल बेसिज पर है। आगे इसके लिए जब और मांग आएगी तो आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

Opening of College at Anjanthali

***842. Shri Dharam Pal, :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Government College in Anjanthali, District Karnal ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री धर्मपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिला करनाल में कितने सरकारी कॉलिज और कितने प्राईवेट कॉलेज हैं ? मेरे हल्के में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है क्या वहां पर कोई सरकारी कॉलेज खोलने का सरकार का विचार है या नहीं ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य बनने के उपरान्त उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में मात्र 45 महाविद्यालय थे जो बढ़कर 174 हो गए हैं जिनमें से 57 राजकीय महाविद्यालय हैं और 117 गैर सरकारी महाविद्यालय हैं यदि 174 की संख्या पर विचार किया जाए तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों एवं छात्राओं के लिए 1100 विद्यार्थियों के ऊपर एक महाविद्यालय उपलब्ध है। इस प्रकार पर्याप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं और शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए औसतन 25 से 30 किलोमीटर की परीधि में उपलब्ध हैं और वहां रोजाना पढ़ने जाने के लिए छात्रों को 67 प्रतिशत रियायत दी गई है जिससे वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आ जा सकते हैं। जहां तक करनाल का संबंध है। करनाल में तीन गवर्नमैंट कॉलेज हैं एक राजकीय महाविद्यालय, एक महिला महाविद्यालय एक महाविद्यालय घरौण्डा में है। छह गैर सरकारी कॉलेज हैं जिनमें से एक डी0ए0वी0, एक गुरुनानक खालसा कॉलेज, एक दयाल सिंह कॉलेज, एक डी0ए0वी0 महाविद्यालय, एक डॉ0 गणेश डी0ए0वी0 और एक उधमसिंह नैशनल कॉलेज है। इस प्रकार फिलहाल यहां पर्याप्त महाविद्यालय हैं इसलिए करनाल जिले में और कोई सरकारी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-826

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य डॉ0 सीताराम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Computer Education in Schools

***896. @ Sh. Ramesh Kumar Khattak,**
Sh. Nafe Singh Rathee : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the Computer Education compulsory in the Schools; and

(b) the number of schools in which the Computer Education has been introduced in the State so far along with the time by which the Computer Education is likely to be introduced in the remaining Schools ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) नहीं, श्री मान जी कम्पयूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

@ Put by Sh. Ramesh Kumar Khatak

[चौ0 बहादुर सिंह]

(ख) राज्य के 399 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों/ राजकीय उच्च विद्यालयों को टाटा इन्फोटेक तथा हारट्रोन के माध्यम से कम्पयूटर शिक्षा ऐच्छिक विषय के रूप में प्रदान की जा रही है। जैसे -जैसे प्रर्याप्त छात्र संख्या एवं सुविधाएं उपलब्ध होगी, बाकी के विद्यालयों में भी छात्रों की मांग के आधार पर कम्पयूटर शिक्षा लागू कर दी जायेगी।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में कम्पयूटर शिक्षा लागू की गई है, वह कितने विद्यालयों में लागू की गई है और कब तक यह आरम्भ किए जाने की संभावना है।

चौ बहादुर सिंह : फिलहाल 399 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा आरम्भ की गई है जिनमें से 63 महाविद्यालयों का काम हारट्रोन को दिया गया है और 336 का टाटा इन्फोटेक को दिया गया है। दो महाविद्यालय इसराना और बादली रह गए हैं जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा होते ही वहां भी शुरु कर दिया जाएगा। छात्रों और विद्यालयों की मांग को देखते हुए आहिस्ता-आहिस्ता हरेक जगह कंप्यूटर शिक्षा लागू करने की योजना है।

चौ0 नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि कंप्यूटर शिक्षा लागू करने के नार्म्ज क्या हैं।

चौ0 बहादुर सिंह : जिस स्कूल में कम से कम 200 बच्चे ऑप्शन देंगे कि हम कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनमें कम्प्यूटर की शिक्षा लागू की जाती है। इसके लिए स्कूलों में 80 रुपये फीस रखी गई है और उसमें उनको 90 घंटे का प्रशिक्षण देना पड़ेगा । कालेजों में 140 रुपये फीस रखी गई है और उसमें उनको 120 घंटे का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जहां तक बिजली का संबंध है बिजली की इस मामले में कोई कमी नहीं है जो पार्टीज हैं जनरेटर सैट लगाने के लिए तैयार हैं कुछ पंचायतों से हमने अनुरोध किया है कि जहां बिजली की समस्या होगी वहां पंचायतें भी जनरेटर सैट देने के लिए तैयार हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 847

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री शेर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Pension For Pvt. School Staff

***909. Sh. Balwant Singh Sadhaura :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under Consideration of the Government to provide pension to the staff working in Government aided private Schools, if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : जी हां। सरकारी सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए 11-05-98 से अधिसूचना संख्या का0आ0-38/ह0अ0 12/1999 धारा 8 तथा 24/2001 दिनांक 29-03-2001 के अन्तर्गत पैंशन स्कीम पहले ही लागू की जा चुकी है।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्कूल प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से प्लस टू बनाये जाते हैं उनके नार्म्ज क्या फिक्स किये हैं ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का प्रश्न पैंशन के बारे में था। अगर ये नार्म्ज के बारे में पूछना चाहते हैं तो चैम्बर में आ जायें वहां पर इनको सारी इंफोर्मेशन दे दी जायेगी कि स्कूलों को अपग्रेड करने के क्या-क्या नार्म्ज फिक्स किये गये हैं।

प्रो0 राम भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों के कर्मचारियों और अध्यापकों को पैंशन देने की स्कीम लागू की गई हैं क्या उस पैंशन के साथ डी0ए0 का लाभ भी दिया जायेगा अगर डी0ए0 नहीं दिया जायेगा तो उसे पैंशन नहीं कहा जा सकता और यह उन कर्मचारियों और अध्यापकों के साथ कुठाराघात होगा।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 171 प्राईमरी पाठशालाओं में नियुक्त लगभग 5192 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इन कर्मचारियों को पैंशन देने के लिए 0071-पैंशन शीर्ष के अर्न्तगत अंशदायी भविष्य निधि के नियोक्ता हिस्से के रूप में 18 करोड़ प्राप्त/जमा होने का अनुमान है। लगभग 174 स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा इस स्कीम को अपनाने के लिए करार किया जा चुका है तथा इन संस्थाओं के कर्मचारियों ने वचन बद्धता भी दे दी है। वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए 3.00 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा तथा 2.00 करोड़ रुपये प्राइमरी शिक्षा विभाग के लिए राशि का प्रावधान किया है। पैंशन के दस मामलों में पैंशन भुगतान आदेश बजट सहित जारी किये जा चुके हैं और इस उद्देश्य के लिए चालू वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान 6.00 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान सभी कर्मचारी जो 11 मई, 1998 से अब तक सेवानिवृत हो चुके हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी है, को यह लाभ देने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

Construction of new minors in Meham Constituency

***877. Sh. Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new minors in the Meham Constituency :—

(i) Kahnaur Sak to Mokhra Bhog;

(ii) From Dadri Feeder to Kalanaur-Mokhra Roj:

(b) if so, the time by which the aforesaid minors are likely to be consructed ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) माइनरों की 31 मार्च, 2004 तक पूरी होने की सम्भावना है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन माईनर्ज पर कार्य शुरू हो रहा है वह कितना कार्य हो चुका है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पहले किसी भी कार्य को करने के लिए स्कीम बनाई जाती है फिर टैक्नीकल एडवाईजरी कमेटी में मामला जाता है फिर उस कार्य के लिए धन का प्रबन्धन किया जाता है और उसके बाद जमीन एक्वायर की जाती है तब जाकर कार्य शुरू किया जाता है। इसी प्रकार से जो माननीय साथी बलबीर सिंह ने नये माईनर्ज काहनौर शाक से मोखरा रोज तक और दादरी फीडर से कलानौर-मोखरा रोज तक बनाने के बारे प्रश्न पूछा है उसके बारे मे मैं उनको बताना चाहूंगा कि दादरी फीडर से कलानौर-मोखरा रोज माईनर का काम शुरू हो गया है उसका वित्तीय प्रबन्धन भी हो गया है और उसकी ग्रामीण ढ़ाचा विकास एजेंसी ने वित्तीय सहायता देनी स्वीकृत कर दी है और उसके लिए पेपर तैयार कर दिये गये है और 16.55 एकड़ जमीन एक्वायर हो चुकी है और दूसरा माईनर काहनौर शाक से मोखरा के लिए 16.73 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रोसैस शुरू हो चुका है उसके लिए वित्तीय प्रबंधन हो गया है और जैसा कि मैंने बताया कि यह कार्य 2004 तक पूरा हो जायेगा।

श्रीमती सरिता नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो दादरी फीडर से कलानौर माईनर का काम शुरू किया गया है वह बड़ी धीमी गति से चल रहा है पाईप पड़े हुये हैं वे टूट गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि उस कार्य को जरा जल्दी करवाया जाये क्योंकि पाईप रास्ते में पड़े हुये हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने कहा है कि काम जारी है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहां पहले जो सवाल किए जाते थे उनका जवाब मिलता था "नो" इसलिए इनको तो बधाई देनी चाहिए कि अब यहां हर प्रश्न का उत्तर हां में दिया जा रहा है। वैसे मैं इनको बताना चाहूंगा कि कार्य प्रगति पर है और जो थोड़ा बहुत कार्य रह रहा है वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहा था कि कितना कार्य उन पर हो गया है और कार्य किस हद तक पहुंच गया है। लेकिन मंत्री जी तो उसकी स्कीम बताने लगें हैं जिसके बारे में सबको पता है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो मैंने बताया है वह कार्य ही है। लोगों की जो मांग होती है उस पर टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है फिर धन का प्रबन्ध होता है और फिर जमीन एक्वायर होती है। यह सब चीजें काम से ही रिलेटिड हैं। बलबीर सिंह जी को इस बात का पता होना चाहिए कि पहले की सरकारों के समय में इनके इलाके को दरकिनार रखा गया था लेकिन अब हमारी सरकार ने इनके इलाके में पानी की अच्छी व्यवस्था की है और वहां दो माइनर बनाने का प्रावधान भी किया जा रहा है।

Garbage Disposal at Ambala Cantt.

***970. Sh. Anil Vij :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to State whether there is any scheme under consideration of the

Government for the disposal of garbage in Ambala Cantt.; if so, the details thereof ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : जी हां। अम्बाला सदर नगर के लिए ठोस कूड़ा करकट प्रबन्धन स्कीम भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से धन प्राप्त होते ही स्कीम कार्यान्वित कर दी जायेगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, समय कम रह गया है इसलिए मैं मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट स्कीम की प्रपोजल है, इस पर कितना धन व्यय होगा और यह योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी। आज सारे शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके शहर के अन्दर ही फैंका जाता है जिससे कभी भी कोई भी बीमारी फैलने की सम्भावना बनी रहती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब तक यह योजना पूरी नहीं होती तब तक जो शहर के अन्दर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय ने 10 एयर फील्ड नगरों की पहचान की है और किस्मत से हमारे हरियाणा प्रदेश के तीन शहर उन 10 नगरों में आते हैं, पहला अम्बाला सदर, दूसरा अम्बाला शहर और तीसरा सिरसा शहर जिसके लिए 27-28 नवम्बर को भारत सरकार ने हुड्को की एक टीम जगह आइडैंटीफाई करने के लिए भेजी थी जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही आने की सम्भावना है। उसके बाद हम इस स्कीम को लागू कर देंगें और जहां तक सम्मानित साथी का प्रश्न था कि सफाई व्यवस्था के लिए क्या किया जा रहा है तो सफाई व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रबन्ध किए जा रहे हैं। जैसा कि माननीय साथी ने चिन्ता जाहिर की है कि शहर के अन्दर गन्दगी के ढेर होने से बीमारी फैलने की सम्भावना है तो जल्दी से जल्दी सभी शहरों की विशेष रूप से अम्बाला सदर की सफाई व्यवस्था का प्रबन्ध करवा दिया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब तक यह योजना लागू नहीं होती है तब तक ये वहां सफाई व्यवस्था करवाते रहेंगे। अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मंत्री जी ने मेरे एक अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में कहा है कि इनके पास उचित मात्रा में संसाधन नहीं है, जितने सफाई कर्मचारी और ईक्विपमैंट चाहिएं उतने कर्मचारी और ईक्विपमैंट नहीं हैं और एक अन्य अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री जी ने डिटेल प्रस्तुत की है कि नगरपालिकाओं के पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो नगरपालिकाओं ने रिकवर करनी है वह सारे हरियाणा में 258 करोड़ 73 लाख रुपये है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि लोगों की तरफ हाउस टैक्स की, रैंट आदि की 258.73 करोड़ रुपये की रिकवरी पैंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि यह सारी अमाउंट इनकी वजह से पैंडिंग है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सारे मामले को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, इस सारी सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए और रिकवरी करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने जो इनके अतारांकित प्रश्न के जवाब में बताया है कि इतनी अमाउंट पैंडिंग है इन्होंने यह भी देखा होगा कि यह अमाउंट कब से पैंडिंग है। यह अमाउंट पिछली सरकारों की

[श्री सुभाष गोयल]
गलत नीतियों के कारण पैंडिंग है, उनकी गलत हाउस टैक्स नीति के कारण पैंडिंग है यही कारण है कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नई हाउस टैक्स नीति बनाई है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले भी कहा है कि यह अमाउंट इनके कारण पैंडिंग नहीं है।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, पहले जो हाउस टैक्स नीति बनाई हुई थी उसके तहत उन लोगों पर टैक्स लगता था जो टैक्स देने की क्षमता नहीं रखते थे यही कारण है कि यह इतनी ज्यादा अमाउंट पैंडिंग है। अब हमारी सरकार ने जो हाउस टैक्स नीति बनाई है उसके तहत सक्षम लोगों पर ही टैक्स लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हम माननीय साथी की बात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हाउस टैक्स की रिकवरी हो और पैंडिंग अमाउंट न रहे तथा शहरों को सुंदरतम बनाने के मुख्यमंत्री जी के वायदे को भी पूरा करेंगे।

Power Distribution Utilities

***901. Sh. Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) whether any step has been taken for the power supply to the HT and LT Industries in the Power Distribution Utilities; and

(b) if so, the details thereof for the last 4 years ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : (ए) तथा (बी) हां श्रीमान, दिनांक 1-4-98 से एच0टी0/एल0टी0 उद्योग को सुधरी हुई विद्युत आपूर्ति, सुधरी हुई वोल्टेज/गुणवत्ता/तथा विश्वसनीय विद्युत उपलब्धि देने के लिए हरियाणा विद्युत कम्पनियों ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

1. मई 2001 से उद्योगों से पीक लोड प्रतिबन्ध हटाना।
2. बिना जुर्माने के अनाधिकृत लोड की घोषणा के लिए तीन बार स्वैच्छिक डिस्कलोजर स्कीमें/योजना/प्रारम्भ करना।
3. 41 नए उपकेन्द्र जोड़ना तथा वर्तमान 199 चालू उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करना।
4. 16764 नं0 वितरण ट्रांसफार्मर को जोड़ना।
5. वर्ष 1998-99 में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति (-) 2.9 प्रतिशत थी जो कि चालू वर्ष के दौरान (नवम्बर 2001 के अंत तक) बढ़कर 17.6 प्रतिशत हो गई।
6. 17436 एल0टी0 कनैक्शन तथा 1219 एच0टी0 कनैक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी किए गए हैं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी जी से पूछना चाहूंगा कि 1997-98 में एच0टी0 और एल0टी0 के कितने कनैक्शन दिए गये और कितनी एप्लीकेशन पैंडिंग हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि एल0टी0 के 1998 में 3384, 1999-2000 में 4255, 2000-01 में 7217 और 2001 से अब तक 2580 कनैक्शन दिये गये तथा एच0टी0 के 1998 में 189, 1999-2000 में 237, 2000-01 में 480, 2001-02 में 313 कनैक्शन दिए गये। इसी प्रकार से जो एल0टी0 की दरखास्तें पैंडिंग हैं। 1999 के अंत तक 4049, 2000 के अंत तक 4547, 2001 के अंत तक 2561 और 2002 तक अर्थात अब तक 1290 हैं। इसी प्रकार से एच0टी0 की दरखास्तें 1999 के अंत तक 327, 2000 के अंत तक 323, 2001 के अंत तक 410 और 2002 में अर्थात अब तक 381 पैंडिंग हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble members, now, Question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Canal Based Drinking Water

***923 Sh. Lila Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide Canal-based drinking water for Kaithal City ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी। परियोजना पहले से ही निर्माणाधीन है।

Repair of Roads in Guhla Constituency

***830. Sh. Amar Singh Dhanday** : Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair the damaged roads of Guhla Constituency; and

(b) if so, the time by which said roads are likely to be repaired?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इस निर्वाचन क्षेत्र की सारी सड़कों की मरम्मत के लिये समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

V. D. S.

***832 Shri Puran Singh Dabra**
Shri Pawan Kumar Diwan : Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether the HVPN has launched Voluntary Disclosure Scheme for regularization of the unauthorized extended load for domestic, industrial and commercial consumers; if so, the response of the consumers thereof, and

(b) the details of the load declared by the aforesaid consumers during the year 2000-2001 till to date under the said scheme ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान। वितरण विद्युत कम्पनियों ने वर्ष 2000-01 से कृषि, घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अनाधिकृत बढ़ाए गए लोड को नियमित कराने के लिए तीन बार स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरु की थी। उपभोक्ताओं से रिसपोंस उत्साहवर्धक था तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत एक लाख उपभोक्ताओं ने 2,85,868 किलोवाट का अनाधिकृत लोड घोषित किया था।

इस योजना के अन्तर्गत उपोभोक्ताओं की उपरोक्त श्रेणियों द्वारा घोषित लोड (भार) का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा घोषित लोड का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

क्र0सं0	उपभोक्ताओं की श्रेणी	आवेदकों की संख्या	घोषित किया गया भार (किलो वाट में)
1	2	3	4
1.	घरेलू आपूर्ति	68876	165876
2.	गैर-घरेलू आपूर्ति (वाणिज्यिक)	2649	12874
3.	औद्योगिक	1877	27253
4.	कृषि	28509	79865
	योग	**101911**	**285868**

Closure of Shops

*865. **Shri Krishan Pal** : Will the Town and Country Planning Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the commercial shops are being run in the residential areas in Sector 18-A of Faridabad, if so, the House Nos. in which such shops are being run; and

(b) whether the shops referred to in part (a) above are running in accordance to the Govt. Policy; if not, the steps taken or proposed to be taken for the closure of these shops ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी। केवल दो मकानों में (नम्बर 42 व 49) सैक्टर 18-ए, फरीदाबाद में वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं।

(ख) नहीं। हुड्डा ने पहले ही इन दोनों प्लाटों के भवन समेत जब्ती आदेश जारी कर दिये हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Safai Karamcharis of Municipal Committees

67. **Sh. Anil Vij** : Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the equipment and number of Safai Karamcharis posted in the respective Municipal Committees, Councils and Corporations are not adequate to keep the areas neat and clean in the State; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to provide the adequate staff and equipment as per requirement of the aforesaid Committees/Councils, Corporations ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं व नगर निगम में जो स्टाफ व उपकरण उपलब्ध हैं, वह पालिकाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति एवं जनसंख्या व क्षेत्र में वृद्धि के कारण उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) हरियाणा के कस्बों में सफाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए 26 कस्बों में ठोस कूड़ा कर्कट प्रबन्धन के लिए 101.78 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना तैयार करके हुडको तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजनाबोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है। इस आधुनिक योजना का उद्देश्य, व्यक्तियों द्वारा गंदगी उठाने को कम करना एवं यान्त्रिकीकरण को बढ़ावा देने से है। इस स्कीम के अन्तर्गत आधुनिक उपकरण जैसा कि डम्पर प्लेसरज़, जे0सी0बी0, ट्रैक्टर ट्राली आदि खरीद किये जाने प्रस्तावित किये गये हैं। सफाई व्यवस्था में सुधार तथा खर्च को कम करने की दृष्टि से सफाई कार्य के निजीकरण बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। परीक्षण के तौर पर नगरपरिषद् बहादुरगढ़ व पंचकूला के मामले अनुमोदित किये जा चुके हैं। उपरोक्त परिषदों द्वारा टैण्डरों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जहां तक फरीदाबाद नगर निगम का संबंध है, सफाई हेतु क्षेत्र का एक भाग पहले ही 12-7-2001 से सुलभ इन्टरनैशनल को दिया गया है और यह एजेन्सी 675 व्यक्तियों के माध्यम से सफाई का रख-रखाव कर रही है।

Outstanding Amount of House Tax

68. **Sh. Anil Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that an amount of house tax rent, Tehbazari and any other taxes have been outstanding for recovery in the Municipal Committees, Municipal Councils and Municipal Corporations for the last many years in the State; and

[Sh. Anil Vij]

(b) If so, the Committee/Council/Corporation-wise and headwise details of the said amount which has been outstanding for the last one year, two years, three years, four years, five years or more ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) जी हां।

(ख) बकाया करों का शीर्षावार तथा पालिकावार विवरण अनुबन्ध क, ख, ग तथा घ पर दर्शाया गया है।

अनुबन्ध "क"

गत एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया भवन एवं भूमि कर का विवरण।

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	पालिका का नाम	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	चार वर्ष	पांच वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	योग 3 से 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कालका	15.76	8.69	6.86	5.76	5.45	—	42.52
2.	पिंजौर	5.00	—	—	—	—	—	5.00
3.	पंचकूला	—	—	—	—	—	—	—
4.	अम्बाला शहर	133.32	70.48	82.35	60.68	63.91	—	410.74
5.	अम्बाला सदर	50.40	38.50	27.24	12.68	14.35	—	143.20
6.	नारायणगढ़	2.47	2.13	1.71	1.35	9.23	—	16.89
7.	यमुनानगर	4.17	9.65	9.76	7.50	4.93	—	36.01
8.	जगाधरी	10.47	15.20	9.51	10.52	12.32	32.50	90.52
9.	थानेसर	82.65	86.07	68.63	54.58	39.39	20.16	351.48
10.	शाहाबाद	44.11	43.97	37.65	31.22	32.26	32.90	222.11
11.	लाडवा	5.40	4.14	5.21	4.82	6.68	—	26.45
12.	पेहवा	9.83	9.59	18.70	13.32	4.72	—	56.16
13.	कैथल	50.24	45.10	51.76	49.01	45.66	38.08	279.85
14.	चीका	16.27	15.45	13.25	11.23	8.40	—	64.60
15.	पुण्डरी	—	5.34	4.60	4.06	3.40	—	17.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	कलायत	—	13.60	17.59	14.14	12.25	—	57.58
17.	करनाल	100.80	106.00	94.44	80.53	62.75	—	443.52
18.	घरौण्डा	5.43	5.25	5.94	7.57	6.85	—	31.04
19.	तरावड़ी	15.29	9.36	15.39	15.01	15.05	—	70.10
20.	असन्ध	6.47	4.64	3.98	2.63	1.88	—	19.60
21.	नीलोखेड़ी	—	2.84	2.11	2.61	1.76	—	9.32
22.	इन्द्री	—	8.54	4.22	4.60	3.59	—	20.95
23.	पानीपत	28.66	8.29	7.06	6.73	6.58	—	57.32
24.	समालखा	3.74	3.28	2.39	2.11	2.56	—	14.08
25.	रोहतक	23.57	21.32	12.33	10.26	6.23	12.98	86.69
26.	महम	0.21	0.67	0.70	0.81	0.72	0.12	3.23
27.	कलानौर	0.59	0.30	0.06	0.13	0.02	0.90	2.00
28.	झज्जर	16.08	12.10	11.50	9.41	8.71	—	57.80
29.	बहादुरगढ़	25.62	27.39	33.96	28.77	25.84	148.04	289.62
30.	बेरी	—	1.14	1.32	1.00	0.42	—	3.88
31.	सोनीपत	6.18	—	—	—	—	—	6.18
32.	गोहाना	17.92	15.39	16.88	11.69	19.12	—	81.00
33.	गन्नौर	6.08	6.06	4.22	2.35	0.92	—	19.63
34.	खरखौदा	—	1.17	0.75	0.84	0.64	—	3.40
35.	गुड़गांवा	4.51	3.56	2.51	3.19	5.69	12.99	32.45
36.	फिरोजपुरझिरका	0.91	0.90	0.70	1.10	1.27	2.70	7.58
37.	सोहना	5.70	4.00	4.61	4.00	3.41	7.84	29.56
38.	नूंह	1.30	1.48	1.05	0.90	—	0.76	5.49
39.	तावडू	2.22	2.30	2.73	2.41	—	—	9.66
40.	पटौदी	0.33	1.00	1.11	1.11	2.16	—	5.71
41.	हेलीमण्डी	0.43	0.47	0.31	0.31	—	—	1.52

[श्री सुभाष गोयल]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	पलवल	25.14	11.33	23.00	27.14	27.76	20.42	134.79
43.	होडल	—	7.37	4.27	5.37	1.01	1.51	19.53
44.	रिवाड़ी	80.32	43.01	40.56	38.53	33.18	—	235.60
45.	बावल	4.05	5.27	6.13	5.34	6.34	—	27.13

अनुबन्ध ''ख''

गत एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया किराये का विवरण।

(रुपये लाखों में)

क्र0 सं0	पालिका का नाम	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	चार वर्ष	पांच वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	योग 3 से 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कालका	0.45	0.70	0.71	0.65	0.83	—	3.34
2.	पिंजौर	—	—	—	—	—	—	—
3.	पंचकूला	—	—	—	—	—	—	—
4.	अम्बाला शहर	40.67	42.03	45.78	48.68	48.99	—	226.15
5.	अम्बाला सदर	28.56	37.20	45.12	58.83	62.59	—	232.30
6.	नारायणगढ़	4.31	3.42	3.47	3.38	0.36	—	14.94
7.	यमुनानगर	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	7.90	15.40
8.	जगाधरी	—	—	—	—	—	—	—
9.	थानेसर	7.25	8.61	7.60	6.25	8.59	—	38.30
10.	शाहाबाद	3.59	2.47	2.35	2.04	2.30	2.52	15.27
11.	लाडवा	2.00	0.36	0.82	1.33	2.06	—	6.57
12.	पेहवा	1.02	—	9.63	4.94	—	—	15.59
13.	कैथल	21.53	18.64	16.75	15.27	14.31	8.93	95.43
14.	चीका	0.55	0.13	0.09	0.09	0.23	—	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	पुण्डरी	—	6.56	3.40	3.44	0.82.	—	14.22
16.	कलायत	3.32	3.00	3.89	3.16	3.22	1.88	18.47
17.	करनाल	8.24	7.75	9.23	19.61	8.37	—	53.20
18.	घरौण्डा	0.32	0.32	0.32	—	—	—	0.96
19.	तरावड़ी	0.70	0.60	0.55	0.40	0.45	—	2.70
20.	असन्ध	0.04	0.14	0.08	0.10	0.13	—	0.49
21.	नीलोखेड़ी	—	3.55	1.96	1.91	2.86	—	10.28
22.	इन्द्री	—	4.32	0.52	0.58	0.73	—	6.15
23.	पानीपत	5.37	1.88	1.63	1.03	0.84	—	10.75
24.	समालखा	2.72	2.26	1.49	1.21	1.05	—	8.73
25.	रोहतक	3.17	3.18	3.07	2.14	2.24	2.93	16.73
26.	महम	0.10	0.18	0.23	0.22	0.17	—	0.90
27.	कलानौर	0.03	—	—	—	—	—	0.03
28.	झज्जर	2.50	1.31	3.68	1.69	2.89	—	12.07
29.	बहादुरगढ़	3.31	1.46	1.67	9.70	2.00	23.41	41.55
30.	बेरी	—	1.22	1.68	2.21	1.30	—	6.41
31.	सोनीपत	4.99	—	—	—	—	—	4.99
32.	गोहाना	5.06	4.99	4.14	3.31	5.11	—	22.61
33.	गन्नौर	1.87	1.74	1.95	1.12	—	—	6.68
34.	खरखौदा	—	—	0.82	0.96	0.75	—	2.53
35.	गुड़गांवा	0.10	0.26	0.66	0.17	0.10	0.66	1.95
36.	फिरोजपुरझिरका	0.27	0.60	0.51	0.55	2.11	2.11	6.15
37.	सोहना	—	—	—	—	—	—	—
38.	नूंह	0.78	0.15	—	—	—	0.11	1.04
39.	तावडू	0.09	0.07	0.06	0.07	—	—	0.29
40.	पटौदी	0.23	0.47	0.29	0.29	0.71	—	1.99

[श्री सुभाष गोयल]

1 2	3	4	5	6	7	8	9
41. हेलीमण्डी	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	—	5.70
42. पलवल	1.31	1.49	1.57	2.24	2.55	2.28	11.44
43. होडल	0.42	0.37	0.36	0.35	0.27	0.25	2.02
44. रिवाड़ी	49.21	59.22	57.92	44.83	53.48	—	264.66
45. बावल	5.04	4.31	2.41	1.73	2.22	—	15.71
46. नारनौल	0.35	0.12	—	—	—	—	0.47
47. महेन्द्रगढ़	8.85	10.20	6.70	1.40	1.10	—	28.25
48. भिवानी	0.48	0.44	0.42	0.38	0.38	0.36	2.46
49. चरखीदादरी	12.99	10.60	9.73	8.50	6.98	—	48.80
50. बवानीखेड़ा	0.30	0.30	1.01	1.09	1.08	—	3.78
51. सिवानी	—	0.13	0.10	0.07	0.10	—	0.40
52. हिसार	—	—	1.26	1.88	3.17	7.17	13.48
53. हांसी	1.73	1.17	1.08	1.21	1.32	—	6.51
54. बरवाला	4.67	4.01	1.77	1.30	3.17	3.17	18.09
55. नारनौंद	-	2.43	1.11	0.59	0.05	—	4.18
56. फतेहाबाद	2.10	—	—	—	—	—	2.10
57. टोहाना	3.31	2.16	1.10	1.20	0.60	0.42	8.79
58. रतिया	2.42	2.06	—	0.32	—	0.63	5.43
59. जींद	2.65	2.45	—	0.10	2.29	—	7.49
60. नरवाना	2.51	13.19	7.03	4.55	11.56	—	38.84
61. सफीदों	0.85	0.77	0.52	0.92	0.49	—	3.55
62. उचाना	—	—	3.00	2.00	1.90	—	6.90
63. सिरसा	33.93	23.91	27.18	20.90	33.59	63.44	202.95
64. डबवाली	1.38	0.90	0.75	0.40	0.30	—	3.73
65. ऐलनाबाद	—	0.04	—	—	—	—	0.04

66. कालांवाली	4.21	3.96	2.76	3.75	5.28	17.74	37.70
67. रानियां	0.84	1.42	0.62	1.09	0.13	1.98	6.08
68. फरीदाबाद नगरनिगम	18.82	17.86	19.36	17.70	22.63	27.02	123.41
कुल योग	**314.15**	**325.72**	**324.57**	**316.47**	**333.39**	**174.91**	**1789.21**

अनुबन्ध "ग"

गत एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया तहबाजारी का विवरण।

(लाखों में रुपये)

क्र0 सं0	पालिका का नाम	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	चार वर्ष	पांच वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	योग 3 से 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कालका	—	—	—	—	—	—	—
2.	पिंजौर	—	—	—	—	—	—	—
3.	पंचकूला	—	—	—	—	—	—	—
4.	अम्बाला शहर	—	—	—	—	—	—	—
5.	अम्बाला सदर	3.35	3.70	3.69	3.51	3.61	—	17.86
6.	नारायणगढ़	—	—	—	—	—	—	—
7.	यमुनानगर	1.41	—	—	—	—	—	1.41
8.	जगाधरी	—	—	—	—	—	—	—
9.	थानेसर	—	—	—	—	—	—	—
10.	शाहाबाद	—	—	—	—	—	—	—
11.	लाडवा	—	—	—	—	—	—	—
12.	पेहवा	—	—	—	—	—	—	—
13.	कैथल	0.18	0.18	0.11	0.06	0.30	0.98	1.81
14.	चीका	—	—	—	—	—	—	—
15.	पुण्डरी	—	—	—	—	0.54	—	0.54
16.	कलायत	—	—	—	—	—	—	—

[श्री सुभाष गोयल]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	करनाल	—	—	—	—	—	—	—
18.	घरौण्डा	—	—	—	—	—	—	—
19.	तरावड़ी	—	—	—	—	—	—	—
20.	असन्ध	—	—	—	—	—	—	—
21.	नीलोखेड़ी	—	—	—	—	—	—	—
22.	इन्द्री	—	—	—	—	—	—	—
23.	पानीपत	—	—	—	—	—	—	—
24.	समालखा	—	—	—	—	—	—	—
25.	रोहतक	—	—	—	—	—	—	—
26.	महम	—	—	—	—	—	—	—
27.	कलानौर	—	—	—	—	—	0.47	0.47
28.	झज्जर	—	—	—	—	—	—	—
29.	बहादुरगढ़	—	—	—	—	—	—	—
30.	बेरी	—	0.36	0.62	0.52	0.18	—	1.68
31.	सोनीपत	—	—	—	—	—	—	—
32.	गोहाना	—	—	—	—	—	—	—
33.	गन्नौर	—	—	—	—	—	—	—
34.	खरखौदा	—	—	—	—	—	—	—
35.	गुड़गांवा	—	—	—	—	—	—	—
36.	फिरोजपुरझिरका	0.14	0.16	0.11	0.16	0.20	0.26	1.03
37.	सोहना	—	—	—	—	—	—	—
38.	नूंह	0.29	0.51	0.41	0.33	—	0.70	2.24
39.	तावडू	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	—	0.14
40.	पटौदी	—	—	—	—	—	—	—
41.	हेलीमण्डी	—	—	—	—	—	—	—
42.	पलवल	0.97	1.26	2.80	3.27	3.52	—	11.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	होडल	—	—	—	—	—	—	—
44.	रिवाड़ी	1.49	1.67	1.68	1.65	1.66	—	8.15
45.	बावल	0.52	0.49	0.57	0.51	0.31	—	2.40
46.	नारनौल	0.19	0.40	—	—	—	—	0.59
47.	महेन्द्रगढ़	—	—	—	—	—	—	—
48.	भिवानी	—	—	—	—	—	—	—
49.	चरखीदादरी	—	—	—	—	—	—	—
50.	बवानीखेड़ा	—	—	—	—	—	—	—
51.	सिवानी	—	0.01	—	—	—	—	0.01
52.	हिसार	—	—	—	—	—	—	—
53.	हांसी	—	—	—	—	—	—	—
54	बरवाला	—	—	—	—	—	—	—
55.	नारनौंद	—	—	—	—	—	—	—
56.	फतेहाबाद	—	—	—	—	—	—	—
57.	टोहाना	—	—	—	—	—	—	—
58.	रतिया	—	—	—	—	—	—	—
59.	जींद	—	—	—	—	—	—	—
60.	नरवाना	—	—	—	—	—	—	—
61.	सफीदों	—	—	—	—	—	—	—
62.	उचाना	—	—	—	—	—	—	—
63.	सिरसा	—	—	—	—	—	—	—
64.	डबवाली	—	—	—	—	—	—	—
65.	ऐलनाबाद	—	—	—	—	—	—	—
66.	कालांवाली	—	—	—	—	—	—	—
67.	रानियां	—	—	—	—	—	—	—
68.	फरीदाबाद नगरनिगम	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	**8.57**	**8.77**	**10.01**	**10.04**	**10.35**	**2.41**	**50.15**

[श्री सुभाष गोयल]

अनुबन्ध "घ"

गत एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया अन्य कर का विवरण।

(रुपये लाखों में)

क्र0 सं0	पालिका का नाम	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	चार वर्ष	पांच वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	योग 3 से 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कालका	—	—	—	—	—	—	—
2.	पिंजौर	—	—	—	—	—	—	—
3.	पंचकूला	—	—	—	—	—	—	—
4.	अम्बाला शहर	—	—	—	—	—	—	—
5.	अम्बाला सदर	—	—	—	—	—	—	—
6.	नारायणगढ़	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	—	7.50
7.	यमुनानगर	8.82	—	—	—	—	—	8.82
8.	जगाधरी	—	—	—	—	—	—	—
9.	थानेसर	—	—	—	—	—	—	—
10.	शाहाबाद	—	—	—	—	—	—	—
11.	लाडवा	—	—	—	—	—	—	—
12.	पेहवा	—	—	—	—	—	—	—
13.	कैथल	—	—	—	—	—	—	—
14.	चीका	—	—	—	—	—	—	—
15.	पुण्डरी	—	—	—	—	—	—	—
16.	कलायत	—	—	—	—	—	—	—
17.	करनाल	0.04	0.06	0.02	—	0.17	—	0.29
18.	घरौण्डा	—	—	—	—	—	—	—
19.	तरावड़ी	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	असन्ध	—	—	—	—	—	—	—
21.	नीलोखेड़ी	—	—	—	—	—	—	—
22.	इन्द्री	—	—	—	—	—	—	—
23.	पानीपत	—	—	—	—	—	—	—
24.	समालखा	—	—	—	—	—	—	—
25.	रोहतक	0.21	0.12	0.12	—	—	—	0.45
26.	महम	—	—	—	—	—	—	—
27.	कलानौर	—	—	—	—	—	—	—
28.	झज्जर	—	—	—	—	—	—	—
29.	बहादुरगढ़	5.00	5.00	5.00	—	—	—	15.00
30.	बेरी	—	0.36	0.63	0.47	0.25	—	1.71
31.	सोनीपत	—	—	—	—	—	—	—
32.	गोहाना	—	—	—	—	—	—	—
33.	गन्नौर	—	—	—	—	—	—	—
34.	खरखौदा	—	—	—	—	—	—	—
35.	गुड़गावां	5.65	—	—	—	—	—	5.65
36.	फिरोजपुरझिरका	—	—	—	—	—	—	—
37.	सोहना	0.29	—	—	—	—	—	0.29
38.	नूंह	0.73	0.45	—	—	—	—	1.18
39.	तावडू	—	—	—	—	—	—	—
40.	पटौदी	—	—	—	—	—	—	—
41.	हेलीमण्डी	—	—	—	—	—	—	—
42.	पलवल	0.84	0.65	0.45	0.26	0.17	0.09	2.46
43.	होडल	—	—	—	—	—	—	—
44.	रिवाड़ी	—	—	—	—	—	—	—
45.	बावल	—	—	—	—	—	—	—

[श्री सुभाष गोयल]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	नारनौल	—	—	—	—	—	—	—
47.	महेन्द्रगढ़	—	—	—	—	—	—	—
48.	भिवानी	—	—	—	—	—	—	—
49.	चरखीदादरी	—	—	—	—	—	—	—
50.	बवानीखेड़ा	—	—	—	—	—	—	—
51.	सिवानी	—	—	—	—	—	—	—
52.	हिसार	35.77	—	—	—	—	—	35.77
53.	हांसी	0.13	—	—	—	—	—	0.13
54.	बरवाला	—	—	—	—	—	—	—
55.	नारनौंद	—	—	—	—	—	—	—
56.	फतेहाबाद	—	—	—	—	—	—	—
57.	टोहाना	—	—	—	—	—	—	—
58.	रतिया	1.80	—	—	—	—	—	1.80
59.	जींद	27.11	0.88	0.63	—	—	—	28.62
60.	नरवाना	—	—	—	—	—	—	—
61.	सफीदों	1.37	—	—	—	—	—	1.37
62.	उचाना	—	—	—	—	—	—	—
63.	सिरसा	—	—	—	—	—	—	—
64.	डबवाली	—	—	—	—	—	—	—
65.	ऐलनाबाद	—	—	—	—	—	—	—
66.	कालांवाली	—	—	—	—	—	—	—
67.	रानियां	—	—	—	—	—	—	—
68.	फरीदाबाद नगरनिगम	2007.25	2144.29	2184.60	2286.69	2235.60	957.49	11815.92
	कुल योग	**2095.51**	**2153.31**	**2192.95**	**2288.92**	**2237.69**	**957.58**	**11926.96**

Outstanding Amount of Loan Against Cooperative Sugar Mills

69. Sh. Anil Vij : Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a huge amount of loan is outstanding against the Cooperative Sugar Mills of the State; and

(b) if so, the Mill-wise details of the amount which has been outstanding for the last one year, two years, three years, four years, five years and more years; togetherwith the steps taken or proposed to be taken for the repayment of the said loan ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : (क) एवं (ख) मिलवार वांछित विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	मिल का नाम	नीचे वर्णित तिथियों को बकाया ऋण तथा ब्याज की राशि (लाख रूपयों में)				
		31-3-2001	31-3-2000	31-3-99	31-3-98	31-3-97
1.	पानीपत	5425.48	4717.20	3530.29	2263.59	1482.12
2.	रोहतक	2040.41	1496.57	389.47	429.81	439.13
3.	सोनीपत	1359.34	1060.56	469.47	457.87	446.27
4.	महम	2931.35	2293.05	953.05	3032.24	3017.93
5.	कैथल	3537.61	2846.68	1318.12	2553.02	972.44
6.	भूना	7303.56	6115.00	4954.27	3791.05	4620.33
7.	करनाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	शाहबाद	सम	सम	सम	सम	सम
9.	जीन्द	सम	सम	सम	सम	सम
10.	पलवल	सम	सम	सम	सम	सम
11.	सिरसा	सम	सम	सम	सम	सम
12.	गोहाना	सम	सम	सम	सम	सम

इस ऋण की अदायगी के लिए निम्न पग उठाए गए हैं/ उठाए जाने प्रस्तावित हैं :-

1. वर्ष 1999-2000 की तुलना में गत वर्ष और इस वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों के कार्य परिणामों में सुधार हुआ है जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

मापदण्ड	1999-2000	2000-2001	2001-2002(लक्ष्य)
गन्ना पिराई (लाख क्विंटलों में)	274.71	342.68	400.00
चीनी रिकवरी (प्रतिशत)	8.97	9.56	9.75
चीनी उत्पादित (लाख क्विंटलों में)	24.62	32.83	40.00

2. सहकारी चीनी मिल पानीपत, रोहतक, सोनीपत, महम, कैथल एवं भूना जिनकी नैटवर्थ नकारात्मक है, को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

3. वेतन व भत्तों का खर्च कम करने के लिए सहकारी चीनी मिल की स्टाफ संख्या को तर्क संगत बनाया गया है।

Houses for Government Employees

70. Shri Anil Vij, M.L.A. : Will the Minister for Town &Country Planning be plased to state—

(a) whether it is a fact that the Houses constructed by the State Government for its employees are inadequate; and

(b) the category wise number of Houses in the state as at present togetherwith the steps taken to solve the Housing probled of the employees ?

Interim Reply

अ0 स0 पत्र क्र0 101-N

धीरपाल सिंह

नगर एवं ग्राम आयोजना,
राजस्व तथा आवास मंत्री,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

दिनांक 5 मार्च, 2002

विषय : अतारांकित विधान सभा प्रश्न नम्बर-70 श्री अनिल विज विधायक द्वारा।

प्रिय श्री कादियान जी,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको यह सूचित किया जाता है कि माननीय अनिल विज, विधायक हरियाणा के द्वारा पूछा गया उक्त प्रश्न 7-3-2002 को नियत है। इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना हरियाणा के सभी विभागों (लगभग 82) से प्राप्त की जानी है। सूचना प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को अनुरोध कर दिया गया है। विभागों ने भी यह सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करनी है। इस प्रश्न का उत्तर सभी विभागों से सूचना प्राप्त होने पर संचित किया जायेगा तथा उसके उपरान्त ये सूचना भेजी जा सकेगी। इस सूचना को एकत्रित करने तथा उत्तर देने में काफी समय लगने की सम्भावना है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अतारांकित प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से कम चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाये।

सादर,

आपका शुभचिन्तक,
(हस्ता/-)
(धीरपाल सिंह)

श्री सतबीर सिंह कादियान,
अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा।

अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया हुआ है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष : वह अंडर कंसिड्रेशन है। (शोर)

ध्यानाकर्षण सूचना –

हाल ही में ओलों, बेमौसमी वर्षा तथा तेज सर्दी तथा धुंध के कारण चना, सरसों तथा तिलहन की फसलों की भारी क्षति संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Member, I have received a Calling Attention Notice from Shri Ajay Singh Yadav, M.L.A. and other three members regarding the extensive damage of crops. I admit it. Since Shri Ajay Singh Yadav, Shri Dharambir Singh, Smt. Anita Yadav, M.L.As have been suspended from the House, therefore, Shri Narender Singh may read the notice, who is one of the signatories.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैंने और हमारे हाउस के तीन सम्मानित सदस्यों ने एक कालिंग अटैंशन नोटिस अन्डर रूल 73 के तहत आपको दिया था, जिसको आपने स्वीकृत किया है। स्पीकर साहब, हाल ही में ओलों, बेमौसमी वर्षा तथा तेज सर्दी तथा धुंध के कारण चना, सरसों तथा अन्य तिलहन की फसलों की भारी क्षति के संबंध में एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर इस महान् सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, झज्जर तथा गुड़गांव जिलों में 50 से 80 प्रतिशत की सीमा तक क्षति हुई है। इन प्राकृतिक अस्थिरताओं के कारण किसानों का कठोर परिश्रम पूर्णतया व्यर्थ चला गया है। क्षेत्र के किसान छोटे भू-स्वामी हैं जिन्होंने न केवल अपनी कमाई का निवेश किया है अपितु इन फसलों के लिए ऋण भी उठाया है। इन परिस्थितियों में , वे निवेदन करते हैं कि फसलों की क्षति का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष गिरदावरी के आदेश दिये जाने चाहिएं तथा फसलों की क्षति के लिए सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए जो कि कम से कम 10,000/- रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए। ऋणों तथा अन्य देयों की वसूली स्थगित की जानी चाहिए।

इसलिए वे राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दें।

वक्तव्य –

ग्राम तथा नगर आयोजना मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, Revenue Minister will make a Statement.

ग्राम तथा नगर आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक जानकारी इस रिप्लाई में अंकित होनी रह गई है, इस अतिरिक्त जानकारी को अंकित करने के लिए आप मुझे अनुमति दें ताकि मैं यह जानकारी दर्ज करा सकूं। यह अतिरिक्त जानकारी है कि इस रिप्लाई में गुड़गांव का प्रभावित रकबा अंकित नहीं था। हमें जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गुडगांव के एक गांव मोऊ में गेहूं और सरसों का प्रभावित रकबा 650 एकड़ है। स्पीकर सर, उपायुक्त रिवाड़ी, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ तथा फरीदाबाद व आयुक्त मण्डल गुड़गांव से सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक 15 और 17 जनवरी, 2002 को ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसल

[श्री धीरपाल सिंह]

को नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने और हरियाणा सरकार ने तमाम कार्यवाही करके स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी किए और उन आदेशों में फसलवार और ब्यौरेवार प्रतिशत दिखाने के आदेश जारी किए गए। विशेष गिरदावरी के आधार पर उपरोक्त उपायुक्तों से फसलों को हुए नुकसान का विवरण निम्न प्रकार से प्राप्त हुआ है।

क्र0 सं	जिले का नाम	प्रभावित गांव की संख्या	क्षतिग्रस्त फसलों के नाम	प्रभावित रकबा	नुकसान की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	गुड़गांव	—	गेहूं तथा सरसों	—	25 प्रतिशत से कम
2.	महेन्द्रगढ़	5	—	—	मामूली ओलावृष्टि,फसलों को कोई नुकसान नहीं।
3.	रिवाड़ी	10	सरसों	158 एकड़	26 से 50 प्रतिशत
4.	फरीदाबाद	10	सरसों तथा दालें	161 एकड़	1 से 25 प्रतिशत 11 एकड़ 26 से 50 प्रतिशत 79 एकड़ 51 से 75 प्रतिशत 53 एकड़ 76 से 100 प्रतिशत 18 एकड़

मुआवजा देने सम्बन्धी उपरोक्त मामले विचाराधीन हैं और प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्ज अनुसार मुआवजा दिया जायेगा।

इसके पश्चात् राज्य में दिनांक 22 से 24 फरवरी, 2002 तक वर्षा/ओलावृष्टि हुई।

तदानुसार राज्य के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया गया कि यदि खड़ी फसलों को हाल ही में हुई ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तो उसकी प्रतिशतता सहित सूचना भेजी जाये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायुक्तों से सूचना प्राप्त हुई है :-

क्र0 सं0	जिले का नाम	नुकसान की प्रतिशतता
1.	रोहतक	20 प्रतिशत से कम
2.	कुरुक्षेत्र	शून्य
3.	फरीदाबाद	शून्य
4.	झज्जर	शून्य
5.	गुड़गांव	शून्य
6.	भिवानी	23 गांवों में खराबा हुआ है।
7.	सिरसा	उपमण्डल डबवाली व ऐलनाबाद के 12 गांव प्रभावित हुये हैं। विस्तृत रिपोर्ट बाद में भेजी जायेगी।
8.	अम्बाला	शून्य
9.	हिसार	शून्य
10.	पानीपत	शून्य
11.	करनाल	मामूली ओलावृष्टि, कोई नुकसान नहीं।

किन्तु, किसी भी उपायुक्त ने बे मौसमी वर्षा, अत्याधिक सर्दी तथा पाला के कारण खड़ी फसलों का नुकसान बारे सूचित नहीं किया है।

ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को हुये नुकसान के दृष्टिगत राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाये तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाये।

मैं इस महान सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार स्थिति बारे पूरी तरह जागरुक है तथा प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्ज अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप उनको बताएं नहीं अपना प्रश्न पूछें और जानकारी लें।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इनके पास जो रिपोर्ट है ****

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट गलत नहीं है, "गलत" शब्द को कार्यवाही से निकाल दें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, खुद किसान के बेटे हैं। आठ और नौ फरवरी की रात को अत्याधिक पाला पड़ने की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ। आपको पता ही है कि जिला महेन्द्रगढ़ में सरसों की फसल मुख्य फसल है। किसान के बच्चों की ब्याह-शादी और पढ़ाई वगैर सारे कार्य इस सरसों की फसल से ही होते हैं। स्पीकर सर, यह कोई राजनैतिक मंच नहीं है। हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप दोबारा वहां का सर्वे करवाएं। मेरी खुद इस बारे में डी0सी0 नारनौल से बात हुई है उन्होंने कहा है कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यह बड़े अफसोस की बात है कि मुआवजा देना तो दूर की बात है, सरकार किसान के नुकसान को नुकसान ही नहीं मान रही है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, भाई नरेन्द्र सिंह जी विधायक हैं, किसान के बेटे भी हैं और सदन में यह कह रहे हैं कि सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती है। स्पीकर सर, मैंने अभी जो रिपोर्ट सदन के सामने रखी है यह डी0सी0, महेन्द्रगढ़ की रिपोर्ट है। स्पीकर सर, मैं सदन में आश्वासन देना चाहूंगा कि ओलावृष्टि से जो-जो नुक्सान हुआ है उस बारे में स्पेशल गिरदावरी से पता करके जिसका जो नुक्सान हुआ है उसको 15 दिन के अन्दर मुआवजा देंगे।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मुआवजा क्या देंगे यह रिपोर्ट ही * है। ये दोबारा से जांच करने के लिए टीम क्यों नहीं बनवाते हैं। ये मेरे साथ सदन के कुछ सदस्यों को भेजें अगर मैं जो बात कह रहा हूं वह गलत होगी तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्र सिंह जी ने जो * शब्द इस्तेमाल किया है वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, सभी मैम्बर्ज साहेबान इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस बार गेहूं, सरसों और चने की फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती वहां पर धुन्ध पड़ गई लेकिन जिस तरह का अनुमान लगाया गया था उतना नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं यहां कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं यह कोई मंच नहीं यह महान् सदन है और यहां पर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आपको सही बात बताई जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए चौधरी ओम प्रकाश जी ने जिनका जो नुक्सान हुआ

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री धीरपाल सिंह]

है उनको मुआवजा देने की बात की है। स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी के राज में यह होता था कि जिस किसान का 100 प्रतिशत नुकसान होता था उसको 600 रुपए और जिस किसान का 50 से 75 प्रतिशत नुकसान होता था उसको 450 रुपए और जिस किसान का 25 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होता था उसको 300 रुपए दिए जाते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों के दुःख को देखते हुए उनकी लागत को देखते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। वह इस प्रकार से है, जिस किसान का 100 प्रतिशत नुकसान होगा उसको 2000 रुपए प्रति एकड़, जिस किसान का 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान होगा उसको 1500 रुपए प्रति एकड़ और जिस किसान का 25 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होगा उसको 1000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। स्पीकर साहब, हमने यह अमाउन्ट बिना मांगे दिया है। यह सरकार हर वर्ग की हितैषी सरकार है। सबके दुःख को महसूस करती है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो आश्वासन दे रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। हम तो दोबारा से चैक करवाने की मांग कर रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाई नरेन्द्र सिंह जी किसान के बेटे हैं और ये 15 जनवरी की बात कर रहे हैं।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 8,9 फरवरी की बात कर रहा हूं।

श्री धीरपाल सिंह : नरेन्द्र सिंह जी, ओलावृष्टि से हुए नुक्सान का तीसरे दिन ही पता चल जाता है। आज तारीख 7 हो गई है। इस तरह की बात राजनीति में चमकने के लिए कही जाए ठीक बात नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : * * * * * * *

चौधरी भजन लाल : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ और झज्जर खुश्क इलाका है वहां पर कटाई शुरु हो गई है तो आज उस फसल के मालिकान का कैसे पता लगेगा कि कौन है। अगर किसान के खेत में ओलावृष्टि से नुकसान होता है तो उसको तीन दिन के अन्दर दर्ज किया जा सकता है। हमारी सरकार ने उसको चैक करवा लिया है और जिनका जितना नुकसान हुआ है उनको हम मुआवजा देंगे।

श्री भागीराम : स्पीकर सर, वैसे तो मंत्री महोदय ने इनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जवाब दे ही दिया है लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह धुंध की वजह से सरसों की फसल के नुक्सान की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सही मायनों में किसान हैं ही नहीं। ये किसान के घर में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन असल में ये किसान नहीं हैं। ये किसान की वैसे ही बात कर रहे हैं इनको किसानी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है (शोर एवं व्यवधान)

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हम किसान हैं तब ही इस बारे में कह रहे हैं।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप जाति से तो किसान हैं लेकिन कर्म से किसान नहीं हैं।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जाति से भी किसान हैं और कर्म से भी किसान हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, अगर ये किसान होते तो धुंध का नाम लेकर फसल खराब होने की बात इस तरह से नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं और मैं भी किसान हूं इसलिए मैं तजुर्बे के मुताबिक कहता हूं कि अगर धुंध न पड़ती तो गेहूं की फसल आधी होती। धुंध की वजह से ही इस बार यह फसल बहुत ज्यादा हुई है। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। नरेन्द्र सिंह ने अपने मोशन पर दो सप्लीमैंट्री पूछ ली हैं इसलिए नरेन्द्र जी अब आप बैठ जाएं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पांच तारीख से चर्चा चल रही है। बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्यारह तारीख को इस चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी ने देना है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि सदस्यगण अगर इस अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं तो वे अपने-अपने नाम दे दें और वे उतना ही बोलें जितना उनके लिए समय निर्धारित किया गया है। अब वैद्य कपूर चन्द गवर्नर ऐड्रेस पर बोलेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, अभी तो कोई सब्जैक्ट ही शुरू नहीं हुआ है फिर आप किस प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : मैं आपको बताऊंगा कि सब्जैक्ट शुरू हुआ है या नहीं।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, विदआउट डिसकशन क्या कोई प्वायंट ऑफ आर्डर हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : राव साहब, अभी तो कोई बिजनैस ही शुरू नहीं हुआ है इसलिए आप प्वायंट ऑफ आर्डर किस चीज़ का करेंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस इन दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली की किताब से रूल कोट करके आपको बताना चाहता हूं। आप भी पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अगर आप मेरी बात सुन लें तो कोई ऐसी बात नहीं है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब जो भी राव साहब बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : राव साहब, अब आप बैठें। पहले बिजनैस तो शुरू होने दें और उसके बाद आप अपना प्वायंट ऑफ आर्डर रेज करें। आप कृपया हमें सहयोग दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक मैम्बर के साथ ज्यादती है। यह रूल का हवाला देकर अपनी बात कहना चाहते हैं आप इनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : ज्यादती तो आप कर रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन दिया हुआ है उसके बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वह अंडर कंसीड्रेशन है।

चौधरी भजन लाल : वह हमने कल का दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, अगर मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता होगा तो आप कहना।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। वैद्य कपूर चंद जी बोलेंगे। राव इन्द्रजीत की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौधरी बंसी लाल : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। एक सीनियर मैंबर खड़े होकर प्वांयट आर्डर पर बोल रहे हैं और आप उनको भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, यहां सिफारिश नहीं चलती यहां कायदे कानून चलते हैं। ये आपकी सिफारिश करने के लिए खड़े हुए हैं।

चौधरी भजन लाल : यह हमारा अधिकार है और हम बात कर सकते हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनकर इंकार कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं रूल कोट कर रहा हूं उसको आप सुनें तो सही।

श्री अध्यक्ष : आपसे पहले वैद्य जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : राव इन्द्रजीत सिंह की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कपूर चंद शर्मा (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा इसमें हरियाणा की कृषि, बिजली, उद्योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, नगर तथा ग्रामीण विकास की ओर पूरा ध्यान दिया गया। जनहित को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचार आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। एस0वाई0एल0 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला देकर हरियाणा राज्य की मांग को पूरा किया। इसके लिए हरियाणा की सरकार ने जो परिश्रम किया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)**

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। क्या कोई मैंबर यहां पढ़कर अपनी स्पीच दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : राव इन्द्रजीत सिंह, आप बैठ जाएं। आपने जो प्वायंट रेज किया है उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। राव साहब, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री कपूरचंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार से यह काम ढीला नहीं पड़ना चाहिये और पंजाब सरकार इस नहर का कार्य जल्दी से पूरा करे इसके लिए दबाव डालना चाहिये। जब तक पंजाब के इलाके में इस नहर का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हरियाणा के क्षेत्र में इस नहर का काम शुरु नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि कोई भी सदस्य अपनी सीट पर बैठे-बैठे और बिना इजाजत के नहीं बोले, चाहे वह ट्रेजरी बैंचिज का सदस्य है चाहे विपक्ष का।

श्री कपूर चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस नहर से हरियाणा के किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सम्पर्क नहर का कार्य जल्दी पूरा किया जाना चाहिये। इसके बाद मैं अपने हल्के की पुरानी लम्बित मांगों को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरे हल्के में दादूपुर नलवी नहर को बनाने का कार्य जल्दी से जल्दी किया जाये। इससे यमुना नगर, अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के किसानों को पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि यह इलाका हरियाणा में सबसे अधिक उपजाऊ इलाका है और इस इलाके में प्रदेश का सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है। कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि भूमिगत जल ढूंढते रह जाएंगे हरियाणा के किसान। राज्य के कम से कम सात जिलों के किसानों ने यदि शीघ्र ही भूमिगत जल का अंधाधुंध प्रयोग बंद न किया, तो वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब वे खेतीबाड़ी के साथ-साथ पीने के लिए भी इस पानी को ढूंढते रह जाएंगे। अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदेश के अम्बाला, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत व गुड़गांव जिलों में भूमिगत जल का स्तर खतरनाक ढंग से नीचे जा रहा है। राज्य के लघु सिंचाई व नलकूप निगम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकलकर आया है। सर्वेक्षण के नतीजों में साफ कहा गया है कि राज्य के 40 फीसदी हिस्से में भूमिगत जलस्तर तेजी से गिरता जा रहा है। सबसे भयावह स्थिति कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी व महेन्द्रगढ़ जिलों में है, जहां यह जल स्तर हर साल एक फुट की गति से नीचे जा रहा है। बिजली का सवाल सारे हरियाणा प्रदेश का है। बिजली उत्पादन में विभिन्न स्तर के सुधारों के कारण किसानों को काफी राहत मिली उसके बाद भी किसानों को बिजली की अधिक आवश्यकता है। इसके साथ-

[श्री कपूर चन्द शर्मा]

साथ तुरन्त ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज देने के लिए किसानों से जो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये खम्बों के हिसाब से लिये जाते हैं यह बहुत अधिक पैसा है और नाजायज है। इसलिए इस समस्या को दूर किया जाये और इस राशि को किसानों से न लिया जाये ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। इसके अलावा बिजली के सलैब के रेट के अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग पैसे लिये जाते हैं कहीं 30/- रुपये कहीं 40/- रुपये कहीं 50/-रुपये हैं इनको दोबारा सर्वे करवाकर एक जैसा किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बाढ़ प्रति वर्ष आती है और उसमें कम से कम 20-25 गांव जलमग्न हो जाते हैं और फसलों को बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। यदि इसका कोई समाधान नहीं किया गया तो जमींदारों का बड़ा भारी नुकसान होगा और अनाज का भी काफी नुकसान होगा। इसलिये बाढ़ को रोकने के लिए सही इंतजाम किये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के शहर शाहबाद में गंदगी बहुत ज्यादा है और सीवरेज सबसे पहले 1972 में लगाना शुरु किया गया था उसका 70 प्रतिशत काम तो पूरा हो चुका है और 30 प्रतिशत रह गया है उसको जल्दी पूरा किया जाये क्योंकि शाहबाद शहर में गंदगी के पानी का कोई निकास नहीं है और सारे शहर में गंदगी फैली रहती है। 11.00 बजे शहर नीचा है और बाहरी इलाका ऊंचा है, पानी की निकासी की योजना भी आ चुकी है। 1300-1400 फुट तक नाला भी बन गया है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस काम को जल्दी पूरा किया जाए ताकि शहर के पानी की निकासी हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के 40-45 गांव ऐसे हैं जो शाहबाद के रेलवे फाटक को क्रॉस करके शहर में आते हैं। इस्माइलाबाद से लेकर शाहबाद तक कोई डिलीवरी केस हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी को कोई चोट लगी हो तो उसको अस्पताल ले जाने में घंटा-2 लग जाता है क्योंकि रेलवे फाटक नहीं खुलता। हमारे शहर शाहबाद में इलैक्ट्रिक रेलें चलती हैं, डबल लाइन है। इस फाटक की वजह से गांव के लोगों को शहर में आने में काफी कठिनाई होती है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रेलवे लाइन के नीचे से कोई सड़क बनवाने का प्रबन्ध किया जाए जहां से छोटी गाड़ियां, ट्रैक्टर, कार, रिक्शा और रेहड़े वगैरह आ जा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौ० भजन लाल (आदमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं और सरकार ने जो आंकड़े उनको दिए हैं, उनको जो लिखकर भेजा गया है, उन्होंने वे सारी बातें यहां विस्तार से पढ़ दी। लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने अपनी आत्मा के विरुद्ध पढ़ी हैं क्योंकि उनकी आत्मा नहीं मानती थी कि सारी बातें पढ़ें। बहुत सी बातों पर तो उन्होंने कह भी दिया कि इनको पढ़ा समझा जाए क्योंकि सरकार की कारगुजारियों से वे इतने असंतुष्ट थे कि वे सरकार की तारीफ कर नहीं सकते थे। राज्यपाल महोदय बहुत ही नेक और सच्चे इन्सान हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है और ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे। राज्यपाल महोदय की तो मजबूरी होती है कि सरकार उनको जो लिखकर भेजे उन्हें उनको पढ़ना ही होता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण में लिखा हुआ है कि हमने इतने यूनिट बिजली पैदा की। जबकि इन्होंने एक भी यूनिट बिजली को नहीं पैदा किया। एस०वाई०एल० नहर के बारे में चौधरी बंसीलाल जी ने बहुत सी ठीक बातें कहीं। इस सरकार का एस०वाई०एल० नहर के मामले में कोई भी सहयोग और योगदान नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार कटवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : रामकुमार जी, आप बैठें आपको बोलने की परमीशन दी जाएगी।

चौ0 भजनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 नहर के मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 100 पेज का फैसला है जिसमें मौजूदा सरकार का जिक्र तक नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पत सिंह जी को कहना चाहता हूं कि वे ध्यान से सुन लें, यह 31 दिसम्बर, 1981 का फैसला है जिसमें 3 मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री श्री दरबारा सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री शिवचरण ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के साइन हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह रिकार्ड में लिखा हुआ है आप भी देख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अम्बाला के पास गांव कपूरी में इस नहर की आधारशीला रखी थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब इस नहर का हमने 95 प्रतिशत काम कर दिया था। उसके बाद कुछ काम चौधरी बंसी लाल जी ने भी करवाया। उस समय हरियाणा के सरपंचों को, पंचों को नहर पर ले जाकर दिखाया कि देखो एस0वाई0एल0 का काम कांग्रेस ने करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 का काम मैंने और चौधरी बंसी लाल जी ने करवाया है सत्ता पक्ष ने कोई काम नहीं करवाया। ये तो लोगों को बहका सकते हैं काम नहीं कर सकते हैं। ये लोगों को इतना जरूर कह देते हैं कि बिजली के बिल मत भरो जब हमारी सरकार आयेगी तो हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एस0वाई0एल0 की आधारशिला रखवाई और 95 प्रतिशत काम करवाया लेकिन उसके बाद एक ईंट भी सत्ता पक्ष ने नहीं लगवाई। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद राजीव-लौंगोवाल फैसला भी मेरे मुख्यमंत्री काल के दौरान ही हुआ और सभी लोगों ने कहा कि यह फैसला लागू होना चाहिए।

श्री राम कुमार कटवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूंगा कि 1993 में हाउस के अंदर चौधरी बंसी लाल जी ने माना था कि एस0वाई0एल0 की खुदाई का काम सबसे ज्यादा चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पानीपत थर्मल पावर प्लांट से चौधरी बंसी लाल अपने तीन साल के कार्यकाल में इतनी बिजली पैदा नहीं कर सके जितनी हमने थोड़े से समय में कर ली।

श्री उपाध्यक्ष : कटवाल साहब, चौधरी बंसी लाल जी जिस समय बोल रहे थे उस समय चौधरी भजन लाल जी हाउस में नहीं थे इसलिए इनको नहीं मालूम की बंसी लाल जी ने क्या कहा।

चौ0 भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब नहर का काम शुरू नहीं हुआ तो 1995 में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में रिट मैंने डाली। रिट के फैसले के मुताबिक बी0आर0ओ0 इस नहर का काम करवायेगा। उसके बाद बंसी लाल जी 1996 में मुख्यमंत्री बने। उन्होंने रिट वापिस ले ली और कहा कि रिव्यू करके दोबारा से रिट डालेंगे। हमने उस समय कहा था कि रिट वापिस नहीं लेनी चाहिए लेकिन बंसीलाल जी ने कहा कि रिव्यू करके दोबारा से रिट डालेंगे और इन्होंने रिव्यू करके दोबारा से रिट डाली। उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह हमने जो रिट 1995-96 में डाली थी उसी के बेस पर आया है। अब सत्ता पक्ष का धर्म बनता है कि इस नहर का काम जल्दी शुरू करवायें। चौटाला साहब कहते हैं कि

[चौ0 भजन लाल]

हरियाणा के अंदर जितनी एस0वाई0एल0 बनी हुई है ये उसकी सफाई करवायेंगे, मुरम्मत करवायेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब तक पूरी नहर न बने, पानी न आये तब तक नहर की मुरम्मत करवाने का क्या फायदा है। पहले मुरम्मत करके ये काफी पैसा खर्च कर देंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ये पहले मुरम्मत इसलिए करवाना चाहते हैं कि ये पैसा खाना चाहते होंगे।

वित्त मंत्री (प्रो0 संपत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि नहर जल्दी बननी चाहिए। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि नहर बनाने के मामले में सरकार सीरियस है। पंजाब ने जो रिव्यू डाला था उस बारे में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर कल आ गये हैं और सदन को यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब ने जो रिव्यू डाला था वह खारिज हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से नहर बनाने के बारे में चौधरी भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब इनकी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है, पंजाब के मुख्यमंत्री को भजन लाल जी गुडविल में कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों के अनुसार वे जल्दी ही एस0वाई0एल0 का काम शुरू करवायें और एक साल के अंदर नहर बनवायें। इन्होंने अब तक नहर बनाने के लिए क्या किया है, जरा यह भी बतायें। (विघ्न)

चौ0 भजन लाल : आपने एस0वाई0एल0 कैनाल बनाने के बारे में क्या किया है ?

प्रो0 सम्पत सिंह : चौधरी साहब, हमने तो बहुत कुछ किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात भी सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगे राम गुप्ता जी, आप बैठिये। आपके नेता बोल रहे। आप बीच में न बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बीच में न बोलें। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा इसलिए आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) इस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजीशन बोल रहे हैं इसलिए आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा, फिर भी आप बीच में खड़े हैं। आप बैठ जायें।

प्रो0 सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो किया है वह मैं भजन लाल जी को बताना चाहता हूं। मैं तो केवल साधारण सी बात ही बताना चाहूंगा। मैं आंकड़ों की बात नहीं बताऊंगा। यदि मैं आंकड़ों की बात बताऊंगा तो ये आंकड़ों में उलझ जायेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, एस0वाई0एल0 कैनाल बनाने के बारे में हमारा तो शुरू से एक ही स्टैण्ड रहा है। हमने पिछले बजट में भी और उससे पहले अधिवेशन में भी यानि मुख्य मंत्री जी ने सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी एक ही स्टैण्ड रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है इसलिए अब इसका फैसला न्यायालय ही कर सकता है इसलिए इसका फैसला बाहर नहीं हो सकता, केवल न्यायालय के माध्यम से ही इसका हल संभव है। इस बारे में हमने कल भी बताया था कि सरकार की तरफ से इस केस की पूरी पैरवी की गई है और इस केस की तारीखों पर एक से एक चुनिंदा वकील किए गए थे। उन सभी ने हमारे केस को पूरे फैक्टस के साथ कोर्ट में उठाया। इतना ही नहीं सरकार के पूरे सिंचाई विभाग ने भी काफी मेहनत की थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी और नहर महकमें के अन्य अधिकारी भी जिस दिन कोर्ट की डेट होती थी उससे पहले यहां

पर भी मीटिंग करते थे और दिल्ली में भी मौजूद रह कर केस की बराबर पैरवी करते रहे हैं। हर तरफ से केस की पूरी पैरवी की गई है और यही कारण है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायलय है यानि सबसे बड़ा न्यायालय है उन्होंने यह फैसला हमारे हक में दिया है। हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला दिया है। हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनको आपको एप्रीशिएट करना चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब 1979 में चौधरी देवी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। चौधरी देवी लाल जी आगे की सोच वाले व्यक्ति थे। उनकी सोच थी कि प्रदेश का भला तभी हो सकता है, नहर तभी बन सकती है जब इस मामले में कोर्ट इन्टरवीन करे या कोर्ट कोई आर्डर करे वरना राजनीतिक दल तो अपनी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। पंजाब में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, कांग्रेस की आई हो या और किसी की आई हो, किसी ने नहर बनाने के बारे में बात नहीं की। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब में बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे, चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री यहां पर थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री रहे और दोनों प्रदेशों में आपकी सरकारें रहीं यानि तीनों जगह ब्रूट मैजोरिटी आपके पास थी, तब क्यों नहीं इस नहर को बनवाया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, तीनों जगह इनकी सरकार होने के बावजूद भी ये नहर क्यों नहीं बनवा पाये। मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने प्रयास नहीं किये। आपने प्रयास किये होंगे लेकिन इस इशु का राजनीतिकरण हो गया था इसलिए राजनीतिकरण होने की वजह पंजाब में जो भी पार्टी सत्ता में आई चाहे किसी का एक मैम्बर हो या अधिक मैम्बर हो सभी ने यही कहा कि हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। और अकाली दल वाले भी कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चौधरी देवी लाल जी ने इस बारे में सोच लिया था कि चाहे जो भी पार्टी पंजाब में आये वह इस नहर को नहीं बनने देगी क्योंकि इस मामले का राजनीतिकरण हो गया है। पंजाब की हर पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो वह यही बोलेगी कि एक बून्द भी पानी हरियाणा को नहीं देंगें।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह, आप कनक्लूड करें।

प्रो0 सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए लेकिन बाद में चौधरी भजन लाल जी ने इस केस को कोर्ट से वापस ले लिया। यदि ये इस केस को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से वापस न लेते तो आज से 20 साल पहले ही यह नहर बन कर तैयार हो जाती। कोर्ट का आर्डर आ जाता और यह नहर बन चुकी होती। इनका यह सबसे बड़ा दोष है कि इन्होंने कोर्ट से केस को वापस ले लिया क्योंकि इन्होंने कोर्ट से केस वापस ले लिया था इसलिए इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। इससे बड़ा अपराध हरियाणा प्रदेश के साथ नहीं हो सकता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठिये। चौधरी बंसी लाल जी कुछ कहना चाहते हैं।।

चौधरी बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक सबमिशन है कि चौधरी सम्पत सिंह की आदत ठीक करो क्योंकि जो भी कोई बोलता है यह बीच में भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह इनका क्या तरीका है ? इस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजीशन बोल रहे हैं, उनको बोलने दें और जो इनको कहना है वह कह लेने दें। ये अपनी बात बाद में कह लें। ये यों ही बीच में जो मर्जी आ जाये बोलने लग जाते हैं इसलिए आप इनको बीच में न बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, इनको मैंने बोलने के लिए टाईम दिया है। मैंने तो आपके कहने से पहले ही इनको कन्कलूड करने के लिए बोल दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह : चौधरी बंसी लाल जी, मैं उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत से ही बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी बात कहिए।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप सम्पत सिंह जी को कहें कि ये मेरे बीच में न बोलें। जो इन्होंने अपनी बात कहनी है वह बाद में कह लें। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। कृपया ये बीच में न बोलें। ये जब भी बीच में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो लम्बा चौड़ा भाषण देने लग जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी साइड को ठीक रखो, अपोजीशन को ठीक रखो।

चौधरी भजन लाल : मैं तो इनको रोकूंगा लेकिन कृपया आप भी इनको रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप चिन्ता न करें, मैं यहां पर बैठा हूं।

चौधरी भजन लाल : आप बैठे हैं तभी तो इन्साफ की उम्मीद है। आप अगर न होते तो शायद मैं बोलता भी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि नहर का जो काम हुआ है वह कांग्रेस के वक्त में हुआ है। इन्दिरा जी के वक्त में हुआ है, भजन लाल के वक्त में हुआ है और बंसी लाल जी के वक्त में हुआ है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि नहर बनाई नहीं और केस वापस ले लिया। केस वापस तब लिया जब फैसला हो गया। मैंने यह फैसला करवाया और इन्दिरा जी ने फैसला किया। मेरे पास यह कागज हैं, फाईल है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। (विघ्न) आप कृपा करके इसको देख लें।

श्री उपाध्यक्ष ; भजन लाल जी, यह फैसला तो बहुत पुराना है।

चौधरी भजन लाल ; उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पर इन्दिरा जी के साइन हैं। इस दस्तावेज पर चौधरी भजन लाल, एस0सी0 माथुर, सरदार दरबारा सिंह और श्रीमती इन्दिरा गांधी के साइन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत पुराना इशू है सारे हाउस में कई बार यह डिस्कस हो चुका है। कोई नयी बात आप रखें।

चौधरी भजन लाल : इंदिरा गांधी जी के उस पर साइन हैं इसलिए फैसला होने के बाद केस वापस लिया था। नहर बनाई जानी थी जब उन्होंने नहर नहीं बनाई तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर भजन लाल गया था (विघ्न) आप बैठें। आपको किसी बात का पता तो है नहीं, आप मेहरबानी करके सुनने की कृपा करें। यह मोटे दिमाग की बात नहीं है। यह बारीक दिमाग की बात है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप इधर देख कर बात न करें और चेयर को ऐड्रस करें। यह बहुत पुरानी बात हो गई है। आप कोई नयी बात हो तो रखें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि पिछले दो दिन से हाउस में बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहां पर बैठे हुए हैं इनको सोचना चाहिए कि उनका क्या कसूर था . . . . (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप गवर्नर ऐड्रेस पर बोलें। मैंने आपको गवर्नर ऐड्रेस पर बोलने के लिए परमीशन दी है।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर ऐड्रेस में ला एण्ड ऑर्डर की बात है। कानून व्यवस्था की बात है, इखलाक की बात है अच्छी बात करने की बात भी है, सुझाव देने की बात भी है ये सभी बातें इसमें शामिल हैं। यह इनका कोई तरीका नहीं है। * * *

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप गवर्नर ऐड्रेस पर ही बोलें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : * * *

प्रो0 सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है चेयर के प्रति जो इन्होंने कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई बात चेयर के प्रति कही गई हो तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। चौधरी भजन लाल जी, आप गवर्नर ऐड्रेस पर बोलें और चेयर के प्रति कुछ न कहें।

चौधरी भजन लाल : मैंने आपके प्रति तो कुछ नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे प्रति की बात नहीं है। न कुछ मैं हूं न कुछ श्री, कादयान साहब हैं और न ही आप कुछ हैं चेयर सुप्रीम है।

चौधरी भजन लाल : चेयर की हम इज्ज़त करते हैं लेकिन चेयर को भी अपनी इज्ज़त करवानी चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी स्पीच कांटीन्यू करें। You please come to the point.

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम मैम्बर चुनकर आए हैं। आप भी चुनकर आए हैं। (विघ्न) * * *

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, क्या आप ऐड्रेस पर बोल चुके हैं। जो ये चेयर के प्रति बोला गया है यह रिकार्ड न किया जाए। भजन लाल जी, आप गवर्नर ऐड्रेस पर ही बोलें और कोई बात न करें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर ऐड्रेस पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, अगर आपको गवर्नर ऐड्रेस पर बोलना है तो बोलें वरना आप बैठ जाएं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[illegible]

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन अब जब इन्होंने इलैक्शन का जिक्र किया है तो मैं आपकी इजाजत से इनको बताना चाहता हूं कि जिस बात का जिक्र गवर्नर ऐड्रेस में नहीं किया गया है ये उस पर न बोलें। लेकिन ये गवर्नर ऐड्रेस से बाहर बोल रहे हैं। यू0पी0 के चुनाव का जिक्र इन्होंने किया है। लेकिन अब जब

[प्रो0 सम्पत सिंह]

इन्होंने इसका जिक्र किया ही है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये खुद से भी वहां के इलैक्शन के बारे में पूछ लें। पहले जहां कांग्रेस पार्टी के वहां से 85 एम0पी0ज0 बना करते थे और 425 एम0एल0एज0 में से 415 एम0एल0एज0 बना करते थे वहां अब इनकी क्या हालत हो गयी है ये खुद ही बता दें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में यमुनानगर के चुनाव का जिक्र किया गया है इसलिए मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं। हम यमुनानगर के इलैक्शन का भी जिक्र करेंगे, यू0पी0 के इलैक्शन का भी जिक्र करेंगे, राजस्थान के इलैक्शन का भी जिक्र करेंगे, दिल्ली के इलैक्शन का भी जिक्र करेंगे और इनके दोस्त की जो हालत पंजाब में हुई हैं उसका भी जिक्र करेंगे। इनका एक भी एम0एल0ए0 राजस्थान में नहीं बना था, एक भी एम0एल0ए0 दिल्ली में नहीं बना था। उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप आगे देखना जब हरियाणा में इलैक्शन होंगे तब इनकी क्या हालत होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने दिल्ली में या राजस्थान में सब जगहों पर अपने कंडीडेटस खड़े नहीं किए थे। आप अपनी इस बात को सुधारें और रैलेवैंट बात ही करें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं क्योंकि आपके साथ इनके थोड़े से ताल्लुकात हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर इनका एक आदमी भी चुनाव नहीं जीता। जब हरियाणा में इलैक्शन होंगे तब आप देखना इनकी क्या हालत होगी। बाई इलैक्शन की बात कुछ और होती है। फिर भी अगर इनको ज्यादा ही इस बाई इलैक्शन पर नाज है तो ये इस्तीफा देकर इलैक्शन करवा लें हम भी इस्तीफा दे देते हैं तब इनको पता लग जाएगा।

प्रो0 सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि ये चैलेंजबाजी पर आ गए हैं इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई पहलवान अगर एक बार हार जाता है तो वह फिर कहता है कि एक बार और मुकाबला करवा लो वह फिर हार जाता है तो फिर वह कहने लग जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, हमने रोड़ी में बाई इलैक्शन जीता, यमुनानगर में बाई इलैक्शन जीता। जहां तक दूसरे चुनाव की बात है बिना सरकार के भी हमने बाई इलैक्शन जीते हैं। सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने रोड़ी से उप चुनाव जीता था उस समय चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे उसके बाद नरवाना में भी हमने उप चुनाव जीता उस समय चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे उसके बाद फतेहाबाद से हमने उप चुनाव जीता उस समय फिर चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे। लेकिन अब ये फिर कह रहे हैं तो ये इस्तीफा देकर सीट खाली करें हम इनको फिर जीत कर दिखा देंगे। कोई सीट ये खाली तो करें हम चुनाव के लिए तैयार हैं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महदय, यह कैसे यमुनानगर में जीते हैं मुझे पता है। इस बारे में क्या कहूं। अगर मैं कहूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। लेकिन ये किसी का तो अहसान मान लें। लेकिन ये मानते ही नहीं। यहां तो जुल्म की बात हो रही है दोबारा चुनाव लड़ के देख लें आप क्या बात कर रहे हैं। कम से कम अहसान तो मान लिया करो। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इन बातों को छोड़ता हूं। इनकी यू0पी0 ने पोल खोल दी है इन्होंने बहुत पैसा यहां से खर्च किया। (शोर एवं व्यवधान) बहुत सारी सरकारी मशीनरी को वहां लेकर के गए।

प्रो0 सम्पत सिंह : कोई सरकारी मशीनरी वहां नहीं गई।

चौधरी भजन लाल : यह बात आप लोगों से पूछें, इलैक्शन कमिशन से पूछें। उन्होंने कहा है कि हरियाणा का कोई औफिसर वहां नहीं जाएगा।

प्रो0 सम्पत सिंह : वहां कोई नहीं गया था।

चौधरी भजन लाल : हमने फोटो ले रखे हैं वह दिखा दूंगा तो मारे जाओगे।

प्रो0 सम्पत सिंह : फोटो दिखाएं।

चौधरी भजन लाल : जहां दिखानी होगी वहां दिखाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है हर तरह से बुरा हाल है।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप वैसे कानून और व्यवस्था का जिक्र कर चुके हैं।

चौधरी भजन लाल : पूरी बात नहीं की थी। रोजाना जी0टी0 रोड पर आप देखें क्या हाल है ? सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी बुरा हाल इस सरकार ने कर रखा है। छंटनी कर के निकाल रहे हैं और उनके स्थान पर अपने चहेतों को लगा देते हैं। मार्किटिंग बोर्ड और दूसरे कार्पोरेशन हैं, निगम हैं उनके कर्मचारियों को छंटनी करके निकाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहां जाएंगे ? कुछ तो ओवरेज हो गए हैं। ऐसा जुल्म इनको नहीं करना चाहिए। जहां तक खानक की बात है उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कितना बुरा हाल था, नाके लगा दिए थे एक हजार रुपये प्रति ट्रक के लेते हैं और कोई रसीद नहीं देते कोई रिकार्ड नहीं है। सारे हरियाणा को पता है कि ये कितनी ज्यादती और जुल्म मजदूर पर कर रहे हैं * * * रखी है दोनों हाथों से ले रहे हैं कोई काम पैसे दिए बगैर नहीं होता। लोग कहते हैं तीनों बाप बेटे लगे हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं लोग कहते हैं। आम आदमी कहता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो चौधरी भजन लाल जी ने शब्द इस्तेमाल किया है उसे रिकार्ड न किया जाए। भजन लाल जी, लोग क्या कहते हैं यह हाउस यह नहीं सुन रहा है। यह हाउस लीडर ऑफ दि अपोजीशन को सुन रहे हैं इसलिए आप सही बात करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात पूछना चाहूंगा कि अभी भजन लाल जी ने कहा था तीनों बाप बेटे ने प्रदेश में लूट मचा रखी है।

चौधरी भजन लाल : मैंने कहा था कि लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : आपने कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक तीनों का सवाल है, तो तीसरा किसका जिक्र किया है वह इस सदन का सदस्य नहीं है और जहां तक पैसे का सवाल है, आपने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा कि भजन लाल के राज में जो 1500 सिपाहियों की भर्ती हुई थी उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मेरिट पूरी नहीं करते थे और पैसे लेकर लगाए गए थे।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जुल्म की बात है। इनका यह कहना कि भजन लाल ने गलत लगा दिए। भजन लाल ने एक भी आदमी गलत नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि पैसे लेकर लगा दिए। ये जैसे खुद होते हैं लोगों को भी वैसा ही समझते हैं। चौधरी भजन लाल ने आज तक किसी को पैसे लेकर नौकरी नहीं लगाया। यह जो तीसरे की बात कह रहे हैं वह भी तो इन्ही का भाई है और C.M. का बेटा है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हमने मैरिट पर नियुक्तियां की हैं इनकी तरह से पैसे लेकर नियुक्तियां नहीं की है। इन्होंने सारी की सारी नियुक्तियां पैसे लेकर की हैं। ये बात सारी दुनिया कहती है। (शोर एवं व्यवधान) आप यह कहते थे कि मैं 500-700 की हाजरी में नहीं बोलता आपने यमुनानगर में हर चौखट-पर नाक रगड़ी थी।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, सबको पता है क्या हुआ था। इसलिए आप अपना भाषण कंटीन्यू करें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने खानक की बात की, कंडेला की बात की।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप लॉ एण्ड आर्डर की बात कर रहे थे क्या यह बात आपकी कम्पलीट हो गई ?

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं तो मैं आप की बात मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बारे में डिस्कस करें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार प्रदेश के लोगों को न्याय नहीं दे सकती उस सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों को इन्साफ नहीं मिल रहा है, प्रदेश में शांति नहीं है। लोगों की जानमाल की रक्षा नहीं हो रही है। प्रदेश के अन्दर बहुत बुरे हालात हैं। जहां तक गृह कर की बात है। कहते हैं कि वापिस ले लिया। थोड़ा बहुत वापिस लेकर उसको गोलमाल कर गये इससे और ज्यादा खराब कर रहे हैं। कम से कम हाउस की इजाजत लेते, हाउस में डिसकस करते, मैटर को यहां लाते। हमें तो हाउस से निकाल दिया और रातों-रात गृह कर के बारे में बिल पास कर दिया।

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने गृह कर के मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए दो मर्तबा कांग्रेस पार्टी को इन्वाईट किया और कांग्रेस पार्टी के सदस्य उस मीटिंग में महज इसलिये नहीं आये क्योंकि इन्होंने राजनीतिक लाभ लेना था सिर्फ लोगों में प्रचार करना था क्योंकि इनको बोलने की आदत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि पुरानी हाउस टैक्स की नीति के मुताबिक एक रिक्शा पुल्लर का वर्ष का तो 600/- रुपये हाउस टैक्स बनता था और एक बड़ी विशाल कोठी में रहने वाला व्यक्ति 1200/- रुपये टैक्स देता था। हमने बगैर किसी भेदभाव के इस नई नीति को लागू किया है जिसके तहत एरिया के हिसाब से हाउस टैक्स फिक्स होगा। इनकी तो बोलने की आदत है कभी कहते हैं कि एस0वाईएल0 को 95 प्रतिशत हमने बनाया और कभी कुछ कहते हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महदय, चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि हाउस टैक्स का बिल रातों रात पास करवा लिया और इन्हें हाउस से निकाल दिया। डिप्टी स्पीकर सर, हाउस की प्रोसिडिंगज निकाल कर देख लें पिछले सदन में हाउस में किसी मैम्बर को नहीं निकाला गया। यह रिकार्ड की बात है। इस बारे में बिल रातों रात कहीं नहीं पास किया। बाकायदा हाउस का जो बिजैनस फिक्स किया गया था उसके हिसाब से हाउस टैक्स का मामला टेक अप किया गया था और हाउस की कंट्रीब्यूशन से पास किया गया था। अगर ये चाहते तो उस समय अपने सुझाव दे सकते थे।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बार बार खड़े होकर जवाब देने लग जाते हैं यह मुनासिब नहीं है ?

प्रो० सम्पत सिंह : आपको कहां निकाला था ?

श्री उपाध्यक्ष : निकालना और हाउस को छोड़कर जाना अलग अलग बात है।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की बात करते हैं कि बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया है कभी कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। आज देहात में बिजली की बहुत बुरी हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो शहर में रहते हैं आप लोगों के बीच में जाकर देखें। उपाध्यक्ष महोदय, पानी की हालत इससे भी बुरी है जिसके कारण आज किसान बरबाद हो रहा है, जबकि यह सरकार किसानों की हमदर्द बनती है। आज प्रदेश में सबसे बुरी हालत किसान की है। किसान को आज न उसकी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है और न ही उसकी बरबाद होने वाली फसल के लिए उसको कोई मुआवजा मिल रहा है। कपास की उसकी बहुत सी फसल बरबाद हो गई है। अभी नरेन्द्र सिंह जी ने काल अटैंशन नोटिस पढ़ा था कि ओले पड़ गए, पाले से किसान की फसल खराब हो गई और इसके लिए उसको कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

ग्राम एवं नगर आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी तो आदत से मजबूर हैं। मैंने तो जहां-जहां किसान की फसल बरबाद हो गई और गिरदावरी की गई है, मैंने उसी के बारे में ही यहां हाउस को बताया है और हम हाउस को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार नार्म्ज के मुताबिक जहां किसान की शत प्रतिशत फसल बरबाद हो गई है वहां 2000 रुपये प्रति एकड़ और जहां 50 से 75 प्रतिशत फसल बरबाद हुई है उसके लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ और जहां 25 से 50 प्रतिशत फसल बरबाद हुई है वहां 1000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी।

चौधरी भजन लाल : सरकार यह मुआवजा कब देगी।

श्री धीरपाल सिंह : यह सरकार दो हफ्ते के अन्दर-अन्दर उन किसानों को मुआवजा दे देगी।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी इन्होंने कहा था कि सरसों की फसल तो आजकल में कट जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो गिरदावरी की बात की थी कि जहां गिरदावरी हो चुकी है वहां सरकार मुआवजा देगी। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ओले 2 तारीख को पड़े थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, नरेन्द्र सिंह जी बताएंगे कि ओले कौन सी तारीख को पड़े थे।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी से कहना चाहूंगा कि इनके मित्र कह रहे हैं कि ओले 7 फरवरी को पड़े थे। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जब ये हाउस के नेता होते थे तो मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा था कि बाजरे के एक किले में कितने खूड होते हैं तो ये कहने लगे 250 फिर मैंने इनसे पूछा कि एक किले गेहूं में खाद कितनी पड़ती है तो ये कहने लगे 10 कट्टे और आज ये पाले की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान रहे हैं। मैं भजन लाल जी को किसान के नाते कहता हूं कि पाले और धुंध को तो केवल किसान ही महसूस करता है जब सरसों की झाड़ होती है तभी उसको पाले और धुंध से हुए नुकसान के बारे में मालूम पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं भजन लाल जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बहुत समय तक मुख्य मंत्री रहे हैं कभी इन्होंने पाले से हुई फसल के नुकसान का मुआवजा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमने तो पाले से और ओले से बरबाद होने वाली फसल का मुआवजा दिया है और यहां तक कि बाढ़ से बरबाद होने वाली फसल का भी हमने ने मुआवजा दिया है जो कि सारे हिन्दुस्तान में किसी ने भी नहीं दिया होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, नरेन्द्र सिंह जी ने जो कालिंग अटैंशन रखा था उसमें पाले और धुंध की बात थी।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें ओलें की भी बात कही गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसी के विषय में आग्रह करना चाहूंगा कि भजन लाल जी रिकार्ड मंगा कर देख लें कि कभी धुंध से, बारिश से या पाले से गेहूं की, जौं की, चने की या सरसों की फसल बरबाद हुई हो और इन्होंने एक भी पैसा मुआवजा दिया हो। ये तो लम्बे-चौड़े भाषण देने तक सीमित हैं, लेना देना तो ये करते ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धीरपाल जी, आपके पास ये महकमा है इसलिए आप इस बारे में अच्छी तरह से रिकार्ड देखकर बता देना। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार मुझे बीच में टोक रहे हैं इसलिए इनको रोकिए। उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार मे जनता पर करों का बहुत भारी बोझ डाल दिया है और हर तरह के टैक्स प्रदेश में लगे हैं। प्रदेश में चाहे किसान है, व्यापारी है, अधिकारी है, कर्मचारी है हर वर्ग इस सरकार से बेहद परेशान है। लोग हम से पूछते हैं कि इस सरकार की छुट्टी कब होगी। मैंने लोगों को कहा कि थोड़े दिन रूको इन लोगों के पाप के बक्से भर गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब की सरकार ने कहा कि वे शहीदों के परिवार वालों को 10 लाख रुपये देंगे अब यह कह दिया कि 2 लाख रुपये देंगे लेकिन इन्होंने वह भी अभी तक किसी को दिया नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है लेकिन ये लोग अपने आपको किसानों का हितैषी कहते हैं। इनका किसान विरोधी चेहरा अब लोगों के सामने आ गया है क्योंकि पिछले चार साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है। (शोर एवं व्यावधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी चौटाला साहब की सरकार को बने तो अढ़ाई साल ही हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने तीन साल हो गये हैं। अढ़ाई साल अब हो गये और 6 महीने पहले यह सरकार रह चुकी है। तीन साल से इस सरकार ने भी गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया और पहले वाली सरकार ने भी गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, कुल मिलाकर चार साल हो गये हैं गन्ने का भाव बढ़े।

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि पिछले चार साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने किसानों को गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया है जो कि पूरे देश में आज तक सबसे ज्यादा है। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय चौधरी भजन लाल जी 1982 में मुख्य मंत्री थे उस समय यमुनानगर के अंदर किसानों ने गन्ने के भाव में एक रुपये की बढ़ोतरी की बात की थी लेकिन इन्होंने 50 पैसे ही बढ़ाये। इसके विरोध में हमने धरने दिये तो इन्होंने किसानों के ऊपर ठण्डे पानी के फव्वारे चलवाये और घोड़ों से लात मरवाई। (इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से शैम-शैम की आवाजें हुईं)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथी मुझे बीच में टोकते हैं मुझे अपनी बात नहीं कहने देते। कृपा करके इन्हें चुप रहने के लिए कहें।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब आप बुजुर्ग हैं ये तो आपको आराम दे रहे हैं ताकि आप आराम करके दोबारा बोल लें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को जितना भाव भजन लाल की सरकार ने दिया उतना किसी दूसरी सरकार ने नहीं दिया और न ही दूसरी सरकारें देंगी। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण दिया है उसमें सच्ची बात सरकार ने नहीं लिखवाई इसलिए जो आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यह सरकार हर क्षेत्र में बेहद अक्षम तथा नाकामयाब रही है इसलिए इस सरकार को चलता करना चाहिए।

श्री कंवर पाल सिंह (छछरौली) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की समस्याएं सरकार के सामने रखूंगा। मैंने अपने हल्के की एक समस्या पिछली बार भी आपके सामने और सरकार के सामने रखी थी। मेरे हल्के की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो सबसे पहले मेरा हल्का यमुना की बाढ़ से प्रभावित होता है और वहां पर सबसे अधिक नुकसान होता है। अब की बार एक नयी स्थिति यह पैदा हो गई है कि जो यमुना का बहाव था वह सारा का सारा छछरौली की तरफ हो गया। उस बहाव की वजह से यमुना नदी में एक नयी क्रीक पैदा हो गई जिस कारण इसका बहाव सारा का सारा हरियाणा की तरफ हो गया और उसमें मेरा हल्का सबसे अधिक प्रभावित हुआ। मुख्य मंत्री महोदय जब छछरौली गए थे उस वक्त मैंने यह समस्या उनके सामने रखी थी और यहां पर सदन के सामने भी रखी थी। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं कि सरकार ने बड़ी तत्परता से उस पर कार्य किया और इसके लिए जो भी पैसा चाहिए था वह सैंक्शन कर दिया। इस बारे में मेरा यह भी कहना है कि पैसा मंजूर होने के बाद भी जिस तत्परता से काम होना चाहिए उस तत्परता से काम नहीं होता। अब तक यह व्यवहार की बात रही है कि पैसे के बावजूद भी फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जब भी काम करने की बात आती है तो वह काफी लेट काम होता है। अब की बार सर्दी की बरसात हुई। इस बारिश की वजह से जो पानी आया वह मेरी कॉन्स्टीच्यूंसी के कई गांवों में भर गया जिस कारण मेरे हल्के के कई गांवों को काफी नुक्सान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, उस नुकसान के बारे में सरकार को भी पता है। इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर जो काम होना चाहिए वह एक टाईम बाऊंड अवधि के दौरान होना चाहिए और जो क्रीक्स बनी हुई हैं उनको बन्द किया जाना चाहिए। यदि इनको समय रहते बंद नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने हल्के की समस्या की तरफ दिलाना चाहूंगा। सड़कों के बारे में मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई काम नहीं हुआ बल्कि इस दिशा में भी काफी काम हुआ है। सड़कों का काम मेरे हल्के में भी हुआ है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूं। इसके अलावा मेरे हल्के की कई सड़कों की हालत बहुत खराब है क्योंकि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर माईनिंग होती है और ट्रकों में बड़ा भारी लोड होता है जिस कारण वहां की सड़कें टूट जाती हैं। मेरे हल्के की एक सड़क बुडिया से खिजराबाद वाया देवधर तक है। इस सड़क पर काफी काम हो चुका है लेकिन आधी सड़क जो खिजराबाद तक है वह बहुत बुरी हालत में है। इसी प्रकार से शेरपुर से डारपुर व तदारपुर के लिए जो सड़क है वह भी टूटी हुई है। इसी

[श्री कंवर पाल सिंह]

तरह से एक सड़क छछरौली बाजार की है, इस सड़क की भी बहुत बुरी हालत है। इस सड़क के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा जब 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम वहां पर लगा था उस वक्त भी यह बात मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाई गई थी। मुख्यमंत्री महोदय ने इस सड़क को बनाये जाने का आश्वासन दिया था। इस सड़क से सारे बाजार का आना-जाना होता है। यह सड़क तकरीबन एक किलोमीटर लम्बी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको ठीक कराया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। मेरा इनसे भी निवेदन है कि वे इस सड़क पर गौर करें क्योंकि इस सड़क से मार्किटिंग बोर्ड की मण्डी भी पास ही है इसलिए मेरा इनसे भी अनुरोध है कि ये भी इस सड़क की तरफ ध्यान दें ताकि किसानों को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस सड़क के बारे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे तो मैंने मांग रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी0सी0 साहब को बुला कर इसको बनाये जाने के आदेश भी दिए थे लेकिन अभी तक इस पर काम आरंभ नहीं हुआ है। यह सड़क छछरौली शहर की मेन सड़क है। इस सड़क के ठीक न होने के कारण पूरे हल्के में परेशानी है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को तुरन्त ठीक करवाया जाये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर काफी काम मंजूर हो चुके हैं लेकिन वे आरम्भ नहीं हुए है, मैं चाहूंगा कि वे काम शुरू करवाये जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छछरौली एक बड़ा फैला हुआ हल्का है लेकिन वहां पर कोई भी कालेज नहीं है। छछरौली सबसे पुरानी तहसील है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से बाहर कोई तहसील है तो वह छछरौली है बाकी सभी की सभी तहसीलें जिला स्तर पर हैं। हमारे यहां कोई कालेज नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी छछरौली गए थे तो उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि यहां पर कोई कालेज नहीं है, कृपया यहां पर कालेज खोला जाये। अब मैं आपके माध्यम से भी सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां पर लड़कियों के लिए एक कालेज अवश्य खोला जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में वन विभाग की तरफ से दफा चार लगाई हुई है जिसके कारण बड़ी भारी समस्या है। दफा चार लागू होने के कारण किसान लोग या दूसरे लोग अपनी जमीन में से अपने पेड़ नहीं काट सकते जिस कारण किसान को ज्यादा नुकसान होता है। खासकर जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं उन लोगों को बड़ा मुनाफा है क्योंकि वे 100 रुपये के पेड़ को 35-50 रुपये में मिलीभगत से खरीद लेते हैं और पेड़ काट लेते हैं इस बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी कि इन पेड़ों को काटने के लिए कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। कानून की पेचीदगियां रहते हुए सरकार के लिए भी मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी कानूनी पेचीदगियां दूर करते हुए उनको काटने की छूट देनी चाहिए। कम से कम चार किस्म के सिम्बल, तुन, जमोवा व कदम के पेड़ों को काटने की छूट दी जाये क्योंकि ये पेड़ बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन चारों किस्म के पेड़ों से दफा चार समाप्त होनी चाहिए। दफा चार लागू होने की वजह से जो परम्परागत पेड़ थे वे भी लोगों ने लगाने छोड़ दिये हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां पर पापुलर की खेती बहुत अधिक होती है। सफेदे और पापुलर के बहुत पेड़ लगे हुए हैं। दूसरे पेड़ लोग इसी लिए नहीं लगाते क्योंकि उन पर दफा 4 लागू है और इसकी वजह से पर्यावरण की भी समस्या सामने आ रही है। जो परम्परागत पेड़ थे उन पर तो घोंसला बन सकता है और पक्षी उन पेड़ों से कुछ फल वगैरा भी खा सकते हैं क्योंकि उन पर कुछ न कुछ लगता है। सफेदे के पेड़ पर कोई फल नहीं लगता

और पक्षी इस पर अपना घोंसला भी नहीं बना सकते हैं। जहां सरकार पर्यावरण के लिए इतनी चिंतित है तो मेरी समझ में यह भी आता है कि इसके लिए भी अगर छूट मिले तभी लोग ये पेड़ लगाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में विचार करें। दूसरे जंगली जानवरों से पहाड़ी क्षेत्रों कण्डी क्षेत्र में बड़ा भारी नुकसान होता है। पिछली बार भी इस बात को मैंने यहां पर रखा था। सरकार जंगली जानवरों की रक्षा के लिए बड़ी प्रयासरत है और उनकी रक्षा होनी भी चाहिए लेकिन कुछ जानवर इतनी संख्या में बढ़ जाते हैं जिनके प्रति कोई स्नेह नहीं रहता, जैसे रोज़ है। पिछली बार भी इस पर काफी चर्चा हुई थी और पता नहीं इसका नाम नील गाय कहां से आया क्योंकि इसका और गाय का आपस में कहीं कोई मेल ही नहीं है। इसमें गाय जैसा कुछ भी नहीं है और न ही गाय से इसे कुछ लेना देना है। पता नहीं क्यों और किसने इसके साथ गाय शब्द जोड़ दिया। इस जानवर ने वहां पर बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसका कोई न कोई इलाज़ जरूर होना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास अगर इस बारे में कोई सुझाव हो तो वह आप दें।

श्री कंवर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जंगल के साथ तार लगाई जाए ताकि यह इधर आए ही नहीं या फिर इसको पकड़ कर कहीं और छोड़ा जाए, सरकार इसका कोई न कोई इन्तजाम जरूर करे, या सरकार इसके शिकार के लिए छूट दे। यह संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इसके शिकार की छूट होनी चाहिए (विघ्न)। मेरी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो इसका शिकार तो करना ही पड़ेगा आखिर जमींदार की फसल की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हम ही नहीं इससे सारा हरियाणा प्रदेश परेशान है लेकिन हम लोग पहाड़ के नजदीक हैं इसलिए इससे ज्यादा परेशान हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में बहुत बातें होती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वह छछरौली है, चाहे सढौरा है, चाहे नारायणगढ़ या कालका है इनका पहाड़ के साथ लगता क्षेत्र है, यहां सिंचाई के लिए नहरी पानी की बड़ी समस्या है। अक्सर यहां सूखा पड़ता रहता है। पहले तो नहरी पानी यहां पर आ नहीं सकता था क्योंकि इसकी कोई योजना नहीं थी लेकिन अब जब हथनी कुण्ड बैराज बन गया है तो पानी ज्यादा लिफ्ट हो गया है इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस हल्के में भी नहरी पानी पहुंचाने की चिन्ता की जाए और उसको सूखे से राहत दी जाए। इस हल्के की और भी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे मैंने अभी दफा 4 की बात कही कि दफा 4 इस एरिये में लागू है, जंगली जानवरों से नुकसान भी इसी इलाके में होता है और फ्लड से भी इसी ऐरिया में नुकसान होता है। अक्सर जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की इस इलाके में नियुक्ति होती है इन्टीरियर में होने के कारण वे अधिकारी और कर्मचारी वहां पर जाते नहीं हैं। अध्यापक भी उन इलाकों के स्कूलों में नहीं जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का नुकसान इसी इलाके को सहन करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस इलाके को कम से कम कोई तो फायदा होना चाहिए। जो यमुना नहर आती है वह पहले छछरौली में आती है इसलिए वहां पर भी पानी देने की कुछ चिन्ता की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दुग्ध क्रान्ति की बात सदन में कही थी। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सरकार इस तरीके से दुग्ध क्रान्ति लाना चाह रही है तो पिछली योजना जो बनाई है उसमें अमरीकन नसल की गायों को डिवैल्प किया जा रहा है। मैं समझता हूं वह हमारे लिए उपयोगी नही हैं, वह प्रैक्टिकल नहीं है। इस नसल की गाय जो हम तैयार कर रहे हैं बड़ी मात्रा में यह गाय गर्भ धारण नहीं करती। यह अमरीका और इंगलैंड में तो ठीक है, उनके लिए गाय कोई मां नहीं

[श्री कंवर पाल सिंह]

है न ही उनमें गाय के प्रति कोई विशेष भावना है। उनके लिए गाय भी वैसा ही पशु है जैसे दूसरे पशु हैं इसलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए यह बड़ी समस्या है कि जो अमरीकन गाय है उसमें आधी गाय गर्भ धारण नहीं करती। यदि इनको सही चारा, सही खुराक मिलेगी तब वह गर्भ धारण करेगी नहीं तो वैसे ही घूमती रहेगी उसका क्या करेंगे। यह हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि जो उसके बछड़े हैं वे उपयोग में नहीं आते हैं। उपयोग में न आने के कारण लोगों ने उन्हें खुला छोड़ दिया वे खेतों में नुकसान करते हैं। (विघ्न) 12.00 बजे यह जो स्कीम बनाई गई थी कि अमेरिकन गाएं दूध ज्यादा देंगी, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उसका क्या क्या नुक्सान होगा। आज इन गायों के बछड़े किसी काम के नहीं हैं इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और जब ये बहुत बड़ी तादाद में हो जाएंगे तो ये किसानों की फसल का बहुत नुक्सान करेंगे। अमेरिकन नस्ल की गायों के अलावा हमारे यहां जो दूसरी नस्ल की गाएं हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान एक दूसरी बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त हरियाणा में पालिथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी लेकिन उस पर सही तरीके से इम्पलीमैंट नहीं हो पाया है। आज आप खेतों में जाते हैं और खुद भी देखते हैं कि वहां पर पालिथीन पड़े रहते हैं। आज तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आने वाले समय में यह बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और इनसे बहुत नुकसान होगा। आज हम भी किसी दुकान से सामान लेते हैं तो वह सामान दुकानदार एक लिफाफे में डालकर देता है तो हम उस लिफाफे पर एक और लिफाफा चढ़ा देते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे पालिथिन के प्रयोग पर अच्छी तरह से और सख्ती से रोक लगाए ताकि आने वाले समय में इनकी वजह से कोई बड़ी दिक्कत पैदा न हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी आदमी के घर चाय पीने के लिए 25-30 आदमियों की पार्टी होती है तो वहां पर चाय पीने के लिए ग्लास दूसरी किस्म के भी प्रयोग किए जा सकते हैं लेकिन जब वे ग्लास खरीदते हैं तो वह प्लास्टिक वाले ही खरीदते हैं और उनको वैसे ही फैंक दिया जाता है जिससे काफी समस्या पैदा होती है। इस समस्या की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिजली के तत्काल कनैक्शन देने की स्कीम चालु की है लेकिन इसमें इतना पैसा देना पड़ता है कि आम किसान ये कनैक्शन नहीं ले सकता है। यह कनैक्शन तो वही ले सकता है जो सम्पन्न किसान है। मैं यह नहीं कहता कि यह स्कीम ठीक नहीं है लेकिन सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि जिन लोगों ने 1983 से 1985 तक कनैक्शन लेने के लिए अप्लाई किया था और सिक्योरिटी जमा करवा रखी है उनको भी प्रायर्टी बेसिज पर कनैक्शन देने की व्यवस्था करें। ऐसी स्कीमों का साधन सम्पन्न लोग ही प्रयोग कर सकते हैं आम किसान उस स्कीम का तब प्रयोग कर सकते हैं जब सम्पन्न लोग उसका प्रयोग करके छोड़ देते हैं। सरकार से मेरी एक बार फिर प्रार्थना है कि जिन लोगों ने पहले की दरख्वास्तें दी हैं और सिक्योरिटी जमा करवा रखी है उनके प्रति भी ध्यान दें। मैं यह नहीं कहता कि तत्काल कनैक्शन लेने वालों को कनैक्शन न दें उनको भी दें लेकिन आम किसान के बारे में भी सोचें।

श्री उपाध्यक्ष : कंवर पाल जी आप कन्कल्यूड करें।

श्री कंवर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान सड़कों पर होने

वाले एक्सीडैंट्स के तरफ भी दिलाना चाहूंगा । इस बारे में आज प्रश्न भी पूछा गया था और उसके बारे में जवाब देते हुए बताया गया कि पिछले पांच सालों में 40,000 एक्सीडैंट्स हुए हैं और उनमें से 14,230 लोगों की मौतें हुई हैं और 40,800 लोग घायल हुए हैं। हमारी सरकार को एक्सीडैंट्स की तरफ समुचित ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि आज चालान कैसे काटे जाते हैं। वैसे तो चालान उन लोगों के काटे जाते हैं जो सड़क पर अपने वाहन ठीक नहीं चलाते हैं, ओवर स्पीड पर चलाते हैं, हैलमेट नहीं पहनते हैं, गाड़ी में बैल्ट नहीं बांधते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि थाने में फोन आ जाता है कि आज तूने 35 चालान करने हैं तो तू फलां चौक पर शाम को आ जा वहीं पर काट लेंगे। जबकि चाहिए यह कि अगर कोई अपना वाहन गलत चलाता है या कानून की अवहेलना करता है तो उनको उस बारे में बताया जाना चाहिए शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे दोबारा से उस गलती को न करें।

कृषि मंत्री (स0 जसविन्द्र सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह ठीक नहीं है कि इस तरह से चालान का कोटा पूरा करने के लिए चौक पर खड़े होकर चालान काटे जाते हैं। चालान तो उन्हीं के काटे जाते हैं जो नियमों की पालना नहीं करते हैं। आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। आप तो मेरे पड़ौस में ही रहते हैं।

श्री कंवर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बजरी और रेता काफी मात्रा में निकाला जाता है। वहां पर इसकी जो रायल्टी है उसके लिए एक ग्रुप बना दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इस ग्रुप के बनाने से शायद सरकार की आमदनी 25 परसैंट बढ़ी होगी या 30 परसैंट बढ़ी होगी लेकिन जो रायल्टी का रेट है वह कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जहां पर पहले यह दो सौ रुपये था वहीं अब यह बढ़कर सात सौ रुपये हो गया है। एक तरफ तो सरकार कम्पीटीशन की बात करती है और दूसरी तरफ कम्पीटीशन को समाप्त किया जा रहा है। केवल एक ही ग्रुप खड़ा किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि वह ग्रुप लोगों का शोषण कर रहा है। हो सकता है कि इस मामले में सरकार ने सोचा होगा कि इससे लाभ होगा लेकिन इससे लाभ होने की बजाए नुक्सान ही हो रहा है। अगर तीन सौ रुपये का रेत है तो उसके ऊपर रायल्टी पांच सौ रुपये की है यानी रेत की कीमत कम है और उस पर रायल्टी बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले में पुनर्विचार करें। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। विधायक की विकास निधि के बारे में मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' का प्रोग्राम चलाया हुआ है और वे इसके तहत पूरा पैसा भी दिलवा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का बहुत आभारी भी हूं कि उन्होंने पर्याप्त पैसा दिया है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे काम होते हैं उनको विधायक अपने स्तर पर ही करवा सकता है। मुख्यमंत्री जी को तो पूरे हरियाणा के बारे में सोचना होता है लेकिन विधायक को अपने हल्के में ज्यादा पता होता है इसलिए वह इस तरह के छोटे काम करवा सकता है। अगर विधायक को विधायक विकास निधि के रूप में कुछ पैसा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो साधनहीन स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने विधायकों को इस तरह की निधि दी हुई है। यू0पी0 जैसे स्टेट ने भी अपने विधायकों को इस तरह का पैसा दिया हुआ है और इसी तरह दिल्ली में दो करोड़ रुपये विधायक को मिलते हैं लेकिन हरियाणा में विधायक को इस तरह का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि हरियाणा में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कंवरपाल जी, अब आप वाईंड अप करें।

श्री कंवरपाल सिंह : ठीक है जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका समय देने के लिए शुक्रिया। सर, गवर्नर ऐड्रैस पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज से पहले भी हम सदन के अंदर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन हम ठीक ढंग से सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसलिए मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं। इस सरकार ने तीन बजट इन पिछले दो ढाई सालों में पेश किए हैं। आम तौर पर यह देखा जा रहा है और यह एक रिवायत सी पड़ गयी है कि जब बजट पेश किया जाता है तो सत्ता पक्ष के लोग उसकी बड़ी-बड़ी तारीफ करते हैं। जो विपक्ष के लोग होते हैं वे उसकी नुक्ताचीनी करते हैं लेकिन जो हरियाणा की वास्तविक समस्याएं होती हैं उनको हल करने के नजरिये से न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष कभी गौर फरमाता है। जैसे-जैसे सैशन आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे पहले तो पार्टी के ऊपर एक दूसरे द्वारा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसके बाद पर्सनेलाइज अटैक होने शुरू हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करके हम किसको इस बात का बैनीफिट दे रहे हैं। यह ठीक है कि हम सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है सबके मन बने हुए हैं सब अपनी-अपनी पार्टी के सदस्य हैं और जो इंडीपैंडेन्ट रूप से विधायक बनकर आते हैं वे यह सोच लेते हैं कि हमारे एरिया का हित किस तरह से होगा और वे उसी हिसाब से अपनी-अपनी एलायन्मैंट कर लेते हैं। पिछले दिनों में पर्सनल अटैक के मामले में ऐसा देखा गया कि पार्टी की तो बात ही छोड़िए पेट के अंदर भी लात मारने की कोशिश की गयी। बड़े-बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं उनके ऊपर ही सारे का सारा सदन का समय खराब हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैं रेडियो सुन रहा था। उस पर एक एडवरटाईजमैंट आ रही थी जिसका मुझे अब ख्याल आ रहा है। दो छोटे-छोटे बच्चों में लड़ाई हो गयी। पहले वाले बच्चे ने कहा कि मेरा डैडी तेरे डैडी से तगड़ा है तो दूसरा बच्चा बोला नहीं, मेरा डैडी तेरे डैडी से तगड़ा है। फिर पहले बच्चे ने कहा कि यह तो बराबर का कर दिया तो उसने कहा कि मेरा घर तेरे घर से बढ़िया तो दूसरा बच्चा बोला कि मेरा घर तेरे घर से भी बढ़िया, तो पहले वाले बच्चे ने कहा कि इसमें भी बराबर हो गया। फिर उसने कहा कि मेरी मां तेरी मां से सुन्दर तो दूसरे वाले ने कहा कि मेरे पापा भी यही कहते हैं। तो क्या हुआ कि पेट के नीचे वार करना पड़ा और आज सदन के अंदर भी यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से चाहे विपक्ष वाजिब बात भी कहने वाला है तो उनको कहने न दो इसके लिए चाहे उनके पेट के नीचे वार करना पड़ जाए लेकिन उनको चुप करवा कर बैठा देना चाहिए जो कि आज हमारे लिए बहुत हानिकारक है। गवर्नर साहब ने यहां पर अभिभाषण दिया, जो सरकार ने कहलवाया वह उनको यहां कहना पड़ा। लेकिन हम उनका धन्यवाद क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बारे में 2-4 बातें कहना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर लोगों की माली हालत सुधरी। खासकर जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तब सुधरी और किस वजह से सुधरी, एग्रीकल्चर की वजह से सुधरी। आज यदि हरियाणा और पंजाब दोनों प्रान्त मिला लिए जाते हैं तो देश का जितना भी गेहूं है उसका 80 फीसदी हिस्सा केन्द्रीय पूल में ये दोनों राज्य देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आज नहीं हैं इनके काबिल दोस्त श्री चन्द्रबाबू नायडू के प्रान्त आन्ध्रप्रदेश को भी यदि इसमें शामिल कर लिया जाए तो धान की फसल के मामले में ये तीनों राज्य मिलकर केन्द्रीय पूल में

80 फीसदी धान देते हैं। कायदे से हमारे गांवों के अंदर रहने वाले किसान भूखे नहीं रहने चाहिए लेकिन वास्तिवकता क्या है कि हमारा किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। बाप यह समझता है कि मैंने अपने बेटे को पालपोसकर बड़ा कर दिया अब यह मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा लेकिन जब वह कुछ कर नहीं पाता तो वह नमक मिर्च लगाकर सल्फास की गोली खा जाता है और इस बारे में इस सदन में चर्चा नहीं होती। क्या चर्चा होती है एक कहता है एस0वाई0एल0 का पानी मैं लाया दूसरा कहता है मैं लाया। एक कहता है गेहूं का दाम मैंने बढ़वाया दूसरा कहता है कि मैंने बढ़वाया। एक दूसरे पर इस तरह से तीरंदाजी चलती रहती है और समय खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर जिसकी वजह से हरियाणा ने वास्तव में तरक्की की है और किसान की माली हालत सुधरी है उसके बारे में जिक्र नहीं होता। तरक्की हरियाणा के किसान ने की है फिर भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां बराबर की तरक्की नहीं हुई। जो सरकार बन जाती है वह सरकार सबकी हो जाती है, जब तक वह सत्तासीन है, सबकी हो जाती है उसको एक नजर से सारे प्रान्त के लोगों को देखना चाहिए। यह नहीं कि यह कांग्रेस का हल्का है, यह बी0जे0पी0 का हल्का है यहां हमारी सत्ता नहीं है इसलिए यहां विकास नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो वे जिले हैं जिनके यहां पर एस0वाई0एल0 का पानी पहुंचता है और वे 20 रुपये में एक एकड़ की फसल में पानी लगा देते हैं और दूसरी तरफ हमारे साथी बोल रहे थे अरावली के साथ का तथा अरावली का क्षेत्र और दूसरी तरफ कण्डी क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा का एरिया है जहां पर तीन-तीन सौ फीट नीचे से पानी खींचकर लाया जाता है और उनकी हालत यह हो गई है कि एक फसल से उनका काम चलता नहीं और दूसरी तरफ वे लोग तीन-तीन फसलें लें रहे जो नहरी पानी ले रहे हैं। एक फसल से उनका काम चलता है और ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर तरक्की हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर अगर वास्तविकता में तरक्की करनी है तो कम से कम बराबरी पर सबको हिस्सा दिया जाये, किसानों के अन्दर बराबरी का हिस्सा होना चाहिये। हर जिले में रहने वाले किसानों को बराबर का हिस्सा होना चाहिये। हरियाणा प्रदेश में किसानों को बराबर का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। जींद, सिरसा जिलों में रहने वाले किसानों को बराबर का लाभ सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये। सारे प्रदेश के किसान प्रत्येक मामले में बराबर के शरीक होने चाहियें। लेकिन हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। आज तक हम जो गेहूं और धान केन्द्र में भेजते रहे हैं सबको मालूम है कि जितना धान और गेहूं हमारे देश के मोटे-मोटे चूहे खा जाते हैं उतना हमारा प्रदेश एक साल में पैदा नहीं करता है। लेकिन फिर भी हमारी नीति है कि हम धान और गेहूं उगाकर केन्द्र में भेजकर नम्बर कमाते हैं। इस बात के नम्बर बनाते हैं कि गेहूं का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, धान का 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इस प्रकार नम्बर कमाते हैं। होता क्या है कि यह सारा का सारा अनाज केन्द्र के भण्डारों में जमा हो जाता है और उसको चूहे खाते रहते हैं। यह सरकार इस बात पर क्यों नहीं सोचती। सरकार के यहां पर बड़े-बड़े वैज्ञानिक साईंटिस्ट हैं इस बात पर चर्चा क्यों नहीं की जाती कि कोई ऐसी पोलिसी बनाई जाये जिससे एग्रीकल्चर के विषय में लोगों के पास पानी के लिमिटिड सोर्स हैं उसका मैक्सिमम यूटीलाईजेशन हो और किसानों को बराबर का फायदा मिले। जो किसान सिरसा में बैठा है उसको भी उतना ही फायदा मिले और जो किसान महेन्द्रगढ़ और नारनौल में हैं। उसको भी बराबर का फायदा हो। उपाध्यक्ष महोदय, श्री सम्पत सिंह हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब मुआवजा देने का जिक्र कर रहे थे। मुआवजा देने का जहां तक फैसला लिया गया वह उन इलाकों के लिए लिया गया जहां पर पाला पड़ा था और ओलावृष्टि हुई थी और जहां

[राव इन्द्रजीत सिंह]

पर ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन उन क्षेत्रों के अन्दर जहां लोग अपनी फसल की बिजाई ही नहीं कर पाये उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए था। उनके पास पानी ही नहीं था। न नहरी पानी था और न नीचे का पानी था क्योंकि जमीन का वाटर लैवल नीचे चला गया था और फसलें बारानी रह गई थीं। नांगल चौधरी के हमारे माननीय सदस्य मूलाराम जी का इलाका और बावल का क्षेत्र उन इलाकों में कई गांव के गांव अपनी फसल नहीं बीज सके क्योंकि गेहूं की बिजाई करने के लिए, प्लो करने के लिए पानी नहीं था। क्या वे लोग मुआवजे के बराबर के हकदार नहीं हैं। क्या इस सदन की और सरकार की इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है कि उस बारे में इस सदन के अन्दर हम चर्चा करें कि जो प्रदेश के किसान पानी की कमी के कारण अपनी फसल बीज नहीं सके उनको भी मुआवजा दिया जाये जबकि सबको मालूम हैं कि हमारे पास पानी उपलब्ध है। गर्वनर महोदय के अभिभाषण में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है जबकि इस विषय में अभिभाषण में चर्चा अवश्य होनी चाहिये थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चर के विषय को वाईंड अप करते हुए इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के क्रापिंग पैटर्न को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक पानी की कमी हमें हमेशा सेधती रहेगी। हम लोगों को कहते रहेंगे कि जब एस0वाई0एल0 का पानी आयेगा तब दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र बागड़ी एरिया के अन्दर पानी पहुंचायेंगे। लेकिन जो लोग 20 साल से गेहूं की फसल के लिए 100 लीटर वन स्केयर फीट एरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे थे आज वे लोग धान की बिजाई करने लग गये हैं और उनका पानी का इस्तेमाल बढ़कर 200 से 500 लीटर वन स्केयर फीट एरिया प्रति एकड़ हो गया है। नदी का पानी जहां से चलता है वहां पर लोग दबादब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का स्तर नीचे चला गया है। वे लोग पानी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी नीति यह होनी चाहिये कि पानी को आगे भी दिया जाये। लेकिन जो लोग गेहूं बोते थे उनको सरसों बीजनी पड़ रही है और जो सरसों बीजते थे उनको जौं बोने पड़ रहे हैं। इस विषय पर सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब आप वाईंड अप करें आपका भाषण का हिस्सा इसी विषय पर कंपलीट हो गया है।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं इरीगेशन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। एस0वाई0एल0 नहर का जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। एस0वाई0एल0 नहर का पानी हरियाणा को थोड़ा सा मिलता है यह हम और आप जानते हैं और सदन के लोग भी जानते हैं लेकिन देश के बाकी एरियाज में जहां सूखा है वे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। पिछले दिनों हमने ठंडी सांस ली जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि हरियाणा के पानी के लिए जो लिंक चैनल है वह एक साल के अन्दर बनाया जाएगा और उसके पश्चात् देखने को यह मिला कि ट्रिब्यून या और अखबारों में बड़े-बड़े एडीटोरियल आए और यह कहा गया कि एस0वाई0एल0 के पानी के बारे में फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। हमें पब्लिसिटी के तौर पर कम से कम उन बातों का खण्डन तो करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करने का अधिकार था और हमको यह मान्य है। जो-जो पार्टियां इस फैसले को नहीं मानती या गैर कांस्टीच्यूशनल ढंग से इन्कार करती हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उनको सबक मिल सके। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से इस

विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई क्योंकि शायद बादल साहब पड़ौस के प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे और अगर वे इस विषय पर चर्चा कर देते तो उनको राजनीतिक तौर पर हानि हो जाती। हमारी प्रथम जिम्मेवारी प्रदेश के लोगों के प्रति बनती है और हमारी सरकार को उस जिम्मेवारी को पहले निभाना चाहिए था और दोस्ती का फर्ज बाद में अदा करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैंने यहां कहा था कि आज के दिन हमें रावी व्यास का पानी 1.8 मिलियन एकड़ फुट मिल रहा है लेकिन हमारे फाइनैंस मिनिस्टर जी ने कहा कि 1.8 नहीं 1.83 मिल रहा है। वह 1.83 जो पानी मिल रहा है, आज की स्थति में हम यह नहीं सोचते कि हमको यह पानी मिल जाएगा क्योंकि जिस तरह से यहां सदन चला है या जो बातें हुई हैं उससे हमें उम्मीद नहीं है कि यह पानी हमें मिल जाएगा जो आज के दिन हरियाणा के हिस्से में आता है। जिस यमुना के अन्दर सर्दियों के दौरान 5000 से लेकर 8000 क्यूसिक तक पानी गुजरता है वह बरसात के दौरान बढ़कर 80 हजार क्यूसिक हो जाता है। वह 80 हजार क्यूसिक पानी हरियाणा की सरहद पार करके, यू0पी0 की सरहद पार करके और बिहार की सरहद पार करके वे आफ बंगाल में जाकर गिर जाता है। उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमको इस्तेमाल क्यों करना चाहिए जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि हम को रिचार्जिंग की आवश्यकता है, जमीन के नीचे पानी नहीं है। 99.9 परसैंट तक सब सोयल वाटर खत्म हो चुका है। हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते क्योंकि हमारे इंजीनियर्ज साहेबान इंडैंट नहीं भेजते। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से कम से कम यह उम्मीद करना चाहते हैं कि वह इस बारे में अपनी नीति बनाए कि बरसात के दौरान इस नदी से जो पानी गुजरता है, इसको रिचार्ज करके उसको कैनालाइज करके उन एरियाज में भेजें जहां जोहड़ भरे जाएं, ताकि अंडर ग्रांउड वाटर रिचार्ज हो सके। अध्यक्ष महोदय, एक समय हुआ करता था जब हरियाणा के अन्दर जगह-जगह पर पानी के वैट लैण्ड बन जाया करते थे। 10 एकड़ के अन्दर अगर पानी ठहरता था तो 100 एकड़ के एरिया में उसका फायदा होता था क्योंकि इर्द गिर्द में रिचार्जिंग की वजह से उपज ज्यादा हो जाती थी। अब धीरे-धीरे हो यह रहा है कि जमीन हुड्डा एक्वायर कर रही है, कहीं लोगों ने उसके ऊपर जमींदारी करनी शुरू कर दी है। वैट लैण्ड धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जो किसान पहले टयूबवैल से 100 फुट से पानी लिया करते थे अब वे 300 फुट से पानी लेने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो लोग खेती करके अपनी जमीन के अन्दर वैट लैण्ड को नष्ट कर रहे हैं उनको सरकार मुआवजा दे, कि तुम्हारे को जितनी उपज इस जमीन में मिलेगी उतने सरकार तुम्हें पैसे दे देगी और तुम इस जगह को बरकरार रखो।

श्री अध्यक्ष : राव साहब प्लीज वाईंड अप करें।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के साथियों ने कहा कि बिजली बहुत पैदा हो रही है। हमारे सत्ता पक्ष के भाईयों ने एक बात उठाई थी कि हम हाउस में उन बातों का जिक्र न करें जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा ही है तो ये हमें रबड़ की स्टैंप दे देते हम वह लगा देते और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पास हो जाता। हमें मालूम है कि इनका बहुमत है जो ये चाहेंगे वही होगा लेकिन जिन बातों का जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया यदि हम भी उन बातों का जिक्र हाउस में नहीं करेंगे तो सरकार को जनता की समस्याओं का कैसे पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि हरिजन कल्याण निगम बनती है तो उसका चेयरमैन हरिजन को

[राव इन्द्रजीत सिंह]

बनाया जाता है क्योंकि एक हरिजन ही हरिजन की समस्या को भलीभांति जान सकता है, एक ब्राहमण नहीं। इसी तरह से यदि बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाते हैं तो उसका चेयरमैन बैकवर्ड क्लास के आदमी को ही बनाया जाता है लेकिन जब बिजली और पानी की बात आती है तो अमूमन अब तक जितनी सरकारें आई, एक-दो बार को छोड़कर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जहां पर बिजली और पानी की ज्यादा जरूरत है उसी जगह के लोगों को यह महकमा दिया जाये। जो लोग बिजली पर ही निर्भर हैं, जिनके यहां बिजली की और पानी की बहुत कमी है, जिनका सबकुछ बिजली पर ही दारोमदार है उस क्षेत्र के लोगों को सरकार बिजली का महकमा क्यों नहीं देती क्योंकि वे लोग ही उनकी समस्या अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो लोग उन लोगों की बिजली छीनने का काम करते हैं, पानी छीनने का काम करते हैं उन लोगों को बिजली का महकमा दिया जाता है क्या इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते। सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि जिनके पास पहले ही काफी है उनको और दिया जाये और वे ज्यादा मोटे हो जायें तथा जो गरीब हैं उनको कुछ न दिया जाये और वे भूखे मर जायें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं लैंड एक्वीजीशन पॉलिसी पर एक दो बातें और कहना चाहूंगा कि हरियाणा का काफी एरिया दिल्ली के आसपास है और हरियाणा का काफी एरिया एक्वायर होता जा रहा है। पिछले 20 सालों से यह देखा जा रहा है कि जो एरिया एक्वायर होता है वह बड़े सस्ते दामों पर एक्वायर होता है और उनके मालिक उससे सहमत नहीं होते, वे कोर्ट में चले जाते हैं। पहले वे छोटी कोर्ट में जाते हैं, वहां उन्हें मुआवजा मिलता है फिर हाईकोर्ट होते हुए वे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं इस तरह से उनके मुआवजे में वृद्धि होती रहती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4-5 साल से एक बड़ी समस्या यह हो गई है कि अब जो लोग मुआवजे के लिए कोर्ट में जाते हैं उनका मुआवजा कोर्ट बढ़ाने की बजाय घटा देता है लोगों को पहले जो पैसा मिला था वह तो उन्होंने खर्च कर लिया और सरकार को देने के लिए पैसे हैं नहीं इसलिए उन्हें जेलों में जाना पड़ता है। क्या सरकार लैंड एक्वीजीशन पॉलिसी को चेंज करेगी ताकि जिन लोगों की भूमि एक्वायर होती है उनको राहत मिल सके। विशेषकर फरीदाबाद, गुड़गांव और चण्डीगढ़ के पास पंचकूला का जो एरिया है वहां किसानों की जो जमीन एक्वायर की जाती है उनको कम से कम इतना मुआवजा दिया जाना चाहिए कि उनके कलेजे ठण्डे हो जायें। हम सब जानते हैं कि यदि हम आज के दिन जमीन खरीदने जायेंगे तो 40 प्रतिशत हम सफेद पैसा देते हैं और 60 प्रतिशत * * * पैसा देते हैं और सरकार भी किसानों को मुआवजा स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से ही देती है जो कि बहुत कम होता है।

श्री अध्यक्ष : ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमीन एक्वायर होने से पहले जिनके पास 10-10 या 15-15 एकड़ जमीन थी अब उनके पास एक या दो एकड़ जमीन ही रह गई है और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन भी नहीं रही। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि कुछ लोग हरियाणा के थे भी नहीं। (विघ्न)

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। माननीय राव साहब जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के लिए हमें आदेश मिला पिछली सरकार का-- (विघ्न) विभाग कोई भी हो, हुड्डा को

---

* चेयर के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गए।

आदेश मिला कि इस भाव पर बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाये। हमारे द्वारा उस आदेश की पालना की गई। इसके बाद भी कुछ को संतुष्टि नहीं थी। जैसे राव साहब कह रहे हैं कि उनकी संतुष्टि न होने की वजह से वे कोर्ट में चले गए। जिनको ज्यादा मुआवजा दिया गया था, उनका मुआवजा कोर्ट के आदेशानुसार वापस लेने की बात थी। जो बढ़ा हुआ मुआवजा ले गये वह तो ठीक था लेकिन बात में कुछ लोग इधर-उधर की बातें करने में लग गए। यह बात चौधरी बंसी लाल जी को भी याद होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस बात का राव साहब जिक्र कर रहे हैं वह मामला आज भी कोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से राव साहब से अनुरोध है कि इस बात का ज्यादा उल्लेख न करें। राव साहब, हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : ठीक है, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहता लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो लैण्ड एक्वायर करता है, कौन करता है। लैंड इक्विजीशन आफिसर करता है। लैण्ड इक्विजीशन आफिसर किसका होता है ? लैण्ड एक्विजीशन आफिसर सरकार का होता है और सरकार ही मुआवजे का पैसा देती है। इस बारे में मेरा कहना है कि आप ऐसा नियम क्यों नहीं बना लेते जिससे लोगों को पूरा मुआवजा मिल जाये। यदि उनको पूरा मुआवजा मिल जायेगा तो फिर उनको कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि हम जमीन एक्वायर करने के बाद पूरा मुआवजा दें, पूरा दाम दें तो फिर यह कोर्ट में जाने वाली बात खत्म हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें।

राव इन्द्रजीत सिंह : ठीक है जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूं। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि फर्द देने की एक निति सरकार ने शुरू की थी और उसको इम्पलीमैंट करने की भी कोशिश की गई थी। जो फर्द पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार देता था उस पर वे यानि फर्द पर लिख दें कि हमने फर्द 100 रुपये में दी है या कम व अधिक में दी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फर्द देने के दाम निर्धारित किए जाएं कि फर्द इतने पैसे में दी जायेगी। पैसा कितना वसूल किया गया इस बारे में शुरू-शुरू में तो सरकार ने अपनी नीति लागू की थी लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या प्रैशर पड़ा, क्या लाभ हुआ, वह सारी नीति डिसकन्टीन्यू हो गई। अब पटवारी कहता है कि फर्द के लिए 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। यदि पटवारी 5000 रुपये मांगेगा तो 5000 रुपये देने पड़ेंगे। गुड़गांव व पंचकूला का पटवारी, नायब तहसीलदार या तहसीलदार 20 हजार रुपये मांगेगा तो 20 हजार रुपये देने होंगे क्योंकि यहां पर जमीन की कीमत ज्यादा है। (विघ्न) आप इस तरह से फर्द के पैसे लेने पर पाबंदी लगाइए। (विघ्न) सरकार को फर्द देने के दाम निर्धारित करने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पीने के पानी की भी सुविधा नहीं दे पा रही। इस बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पंचायत फण्ड से या कम्युनिटी फण्ड से जो लोग ट्यूबवैल चलाकर पीने के पानी का प्रबंध कर रहे हैं उनसे भी सरकार बिजली के पूरे कमर्शियल रेट्स वसूल कर रही है। सरकार उनके बिजली के पैसे नहीं दे सकती, इसका नतीजा क्या होता है कि जो पंचायत के बचे-खुचे पैसे हैं वे बिजली के बिल में नष्ट हो जाते हैं और बिजली का बिल न भरने की वजह से बिजली का कनैक्शन भी कट जाता है जिस कारण वे पीने के पानी से भी महरूम हो जाते हैं। इस बारे में मेरा कहना यह है कि जो पंचायतें पीने के पानी का अपना प्रबंध कर रही हैं उनका बिजली का बिल पब्लिक हैल्थ विभाग को देना चाहिए। अंत में अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव भाई निशान सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री शादी लाल बत्रा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना तीसरा अभिभाषण पढ़ा। वे इस सदन में आए और अभिभाषण दिया। उन्होंने अभिभाषण में एक बड़ी बात कही कि यह प्रदेश आदर्श प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, आदर्श प्रदेश में हर निवासी को रहने के लिए छत, काम करने के लिए कोई न कोई साधन हो और अच्छी शिक्षा दिक्षा हो अच्छा स्वास्थ्य हो लेकिन हम देखते हैं कि छत देने की बजाए यहां पर तो मकान गिरवाए जा रहे हैं और छतें हटवाई जा रही हैं। हुडा का एक्ट है वह ठीक है। हुडा एक्ट के नीचे कन्ट्रोल ऐरिया डिक्लेयर किया जाता है। अगर उस कन्ट्रोल एरिया में कोई मकान बनता है तो उसको गिरा दिया जाना चाहिए यहां तक मैं सहमत हूं। अध्यक्ष महोदय, इस समय दिक्कत यह है कि जब मकान बन रहा होता है तो कोई अधिकारी उसको बनाने से नहीं रोकता। गरीब किसान, गरीब आदमी शहर में नजदीक आ करके मकान बनाता है ताकि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दवाईयां ले सके लेकिन जब वह मकान बन जाता है तब साल दो साल बाद मकान गिरा दिया जाता है यह बात कोई शोभनीय नहीं है। खासकर उस वक्त जिस मकान पर हाउस टैक्स लगता हो खासकर वह मकान जिसकी रजिस्ट्री बनी हुई हो वह मकान गिरा दिया जाये तो वह किसान गरीब भाई कहीं का नहीं रहता है। कंट्रोल ऐरिया में अगर मेरा कोई भाई जमीन बेचना चाहता है तो हुडा को यह जमीन बेचनी चाहिए यह ठीक है अगर सरकार का यह आदेश है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से उस का कोई न कोई ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे किसान उस जमीन को बेचना चाहता है तो सरकार उसको सरकारी मार्किट वैल्यू पर खरीद ले ताकि उस भाई की जो घरेलू समस्या है वह उसका समाधान कर ले। अध्यक्ष महोदय, जब यह भी नहीं होता, सरकार उस जमीन को नहीं खरीदती है और बाहर वह बेच नहीं सकता तो उसके घर की जो समस्या होती है उनका समाधान कैसे हो, यह सोचा जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कन्ट्रोल एरिया डिक्लेर कर रखा है उस कन्ट्रोल एरिया में कोई भी भाई अगर किसी वक्त कोई जमीन बेचना चाहे तो सरकार को उस जमीन को लेने के लिए कोई कारपोरेशन बनानी चाहिए और बाजारी भाव पर उसको ले-ले तो यह समस्या कुछ हद तक सुलझ जायेगी। दूसरी बात यह है कि जो मकान वहां पर बन चुके हैं उन मकानों को गिराने की बजाय उन मकानों को रैगूलराईज कर दिया जाये और उनसे पेमैंट ले ली जाये तब तो कोई बात बनती है नहीं तो मकान गिराये जायेंगे और उनको इतना नुक्सान हो जायेगा जिसकी भरपाई नहीं हो पायेगी। जब वह शहर में आता है तब तो हम देखते हैं कि शहर में आने के बाद उसको कितनी सुविधाएं और लाभ मिल सकते हैं लेकिन बाद में उसे दुखी होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं रोहतक की बात करना चाहूंगा कि रोहतक में सरकार का एक इकलौता मैडीकल कालेज है। उसकी तरफ देखें एक तो ईलाज के लिए वहां काफी दिक्कत है दूसरा बच्चों के एडमिशन की बात चलती है तो एडमिशन में भी बहुत गड़बड़ी होती है इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछली बार एडमिशन के समय एन0आर0आई0 का कोटा रखा गया था जिनके लिए 17 सीटें रखी गई थी। एन0आर0आई0 से कोई आया नहीं प्रोसपैक्टस में जो सीटें उनको दी हुई थीं उनको ओपन डिक्लेयर कर दिया और यह कह दिया कि ये सीटें ओपन कोटे को जानी चाहिएं और ये सीटें ओपन कोटे से भर दी गईं और इस पर हर आदमी के मन में एक प्रश्न उठता है कि बिना डिकलेयर किए इन सीटों को कैसे भरा गया इसमें ट्रांसपिरेंसी नहीं है इसमें कुछ गड़बड़ है तो एन0आर0आई0 का जो कोटा प्रोसपैक्टस में था अगर एन0आर0आई0 से कैंडीडेट नहीं आये तो उसमें कोई चेंज करनी थी तो

उसकी दोबारा नोटीफिकेशन होनी चाहिए थी, पब्लिकेशन होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इससे लिटिगेशन बढ़ती है और विद्यार्थियों के मन में एक शंका पैदा होती है कि जो काम हो रहा है वह साफ़ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह सदन और यह सरकार कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और हमारी शक की सूई कहीं पर भी गड़ी न हो। अगर अब आगे चलें तो आज 21वीं सदी में हम एंटर हुए हैं और 21वीं सदी में जो सुविधाएं होती हैं उनमें ईलाज भी आता है लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस मैडीकल कालेज में आज एम0आई0आर0 स्कैन मशीन नहीं है जिसके कारण प्रदेशवासियों को भारी नुकसान हो रहा है। वहां पर सरकार को भी काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि सरकार के कर्मचारियों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है उनको मैडीकल ऐड लेने के लिए उन्हें दिल्ली या दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। उस पर सरकार को बहुत खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर MRI स्कैन मशीन रोहतक मैडिकल कालेज में लगा दी जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा और हम यह कहेंगे कि रोहतक मैडिकल कालेज में आधुनिक सुविधा आ गई है। MRI स्कैन मशीन तो दूर रही, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो सीटी स्कैन की मशीन 15 साल पहले की लगी हुई है और उसकी जिन्दगी पूरी हो चुकी है उसमें बहुत सी खराबियां आ चुकी हैं। आज तक वहां पर दूसरी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगी है। आज से एक साल पहले मुख्यमंत्री जी वहां पर आश्वासन देकर आए थे कि नई सीटी स्कैन मशीन लग जाएगी। आज एक साल का समय बीत चुका है लेकिन उस आश्वासन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने एम0आर0आई0 स्कैन और सीटी स्कैन की बात कही है उसके साथ मैं यह भी कहता हूँ कि वहां पर लाईफ सेविंग ड्रग्ज भी नहीं हैं। वहां पर अगर आप्रेशन चल रहा हो तो वहां पर आप्रेशन के लिए ब्लेड चाहिए होते हैं, वे भी नहीं हैं। वहां पर ब्लेड भी पेशेन्ट को ही लाने के लिए कहा जाता है, उनको यह भी कहा जाता है कि आप स्टीचीज के लिए धागा ले आएं और पट्टी ले आएं। आज यह सरकार यह क्लेम करती है कि हमारे मैडिकल कालेजिज हैं और वहां पर गरीब आदमियों को फ्री सुविधा दी जाती है लेकिन मैं यह कहता हूं कि वहां पर ब्लेड, पट्टियां और स्टीचीज लगाने के लिए धागा भी नहीं होता है। वहां पर कंसलटैंट, प्रोफैसर और लैक्चरार भी पूरे होने चाहिएं ताकि वे इन सुविधाओं का भी ध्यान रख सकें। वहां पर पिछले दो सालों में 6 डायरैक्टर प्रिंसिपल बदले गए हैं। उनको बदलने का क्या कारण है मैं उस बात पर नहीं जाता। मैं तो यह कहता हूं कि इसके लिए सरकार के पास पूरे अधिकार हैं कि सरकार उनकी रैगुलर नियुक्ति करे। वहां पर दो साल में 6 डायरैक्टर प्रिंसिपल चैंज कर दिए गए लेकिन वहां पर एक भी ऐसा डायरैक्टर प्रिंसिपल नहीं लगा जो मैडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की क्वालिफिकेशन पूरी करता हो। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इस सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे मैडिकल कालेज की गिनती प्रदेश के अच्छे अस्पतालों में हो और देश में भी इसकी गिनती अच्छे मैडिकल कालेजों में हो तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पर एक अच्छा क्वालिफाईड डायरैक्टर प्रिंसिपल लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर इसके अलावा भी जो वेकैन्ट पोस्ट्स हैं उनको भी जल्दी-से-जल्दी भरा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रोहतक मैडिकल कालेज में एक ट्रामा सैन्टर बना था और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। आज उसको बने हुए एक साल हो गया है, उस ट्रामा सैन्टर की बिल्डिंग पूरी चुकी है लेकिन आज तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकार की एक नीति आई कि करनाल में और सिरसा में एक्सीडैंट बहुत होते हैं और हम ट्रामा सैन्टर करनाल में और सिरसा में बनाएंगे। मैं इनकी इस नीति का स्वागत करता हूं।

[श्री शादी लाल बत्रा]

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर भी सरकार का एक करोड़ रुपया लग गया है ट्रामा सैंटर की बिल्डिंग कम्पलीट हो चुकी है तो उस बिल्डिंग का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस ट्रामा सैन्टर को जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। उसको शुरू करने में सरकार को कोई एडीशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वहां पर स्टाफ भी है अगर एक दो लैक्चरर या प्रोफैसर अप्वांयट करने पड़ें तो उनको अप्वांयट करें उससे सरकार पर कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैडीकल कालेज एम0डी0 यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटिड है। एम0डी0 यूनिवर्सिटी मैडिकल कालेज के एन्ट्रैंस टैस्ट लेती थी लेकिन पिछले दो साल से मैडिकल कालेज के एन्ट्रैंस टैस्ट लेने की पावर एम0डी0 यूनिवर्सिटी से छीन कर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार को दे दी गई थी। फिर वहां से भी वह पावर छीन कर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दे दी गई। अगर हमारी एम0डी0 यूनिवर्सिटी इतनी इनकंपीटैंट है तो मैं समझता हूं कि वहां से टैस्ट लेने की पावर विदड्रा करने की बजाए वहां की अथौरिटी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है जिनके कारण यह हुआ है। अगर यह सरकार ऐसा करती तो यह बहुत ही अच्छी बात होती। अब बार-बार चेंज करने से हमारे मन में एक शक की सूई खड़ी हो गई कि इसके कारण इनएफिसिएंसी नहीं है बल्कि कुछ और ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस इलैक्टिड सरकार से कहना चाहूंगा कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रदेश का कोई वासी हमारे उपर शक की सुई खड़ी करे। हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि जनता यह कह सके कि हमारी सरकार में ट्रांसपेरेंसी है। बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और इस सरकार में सारी गुणवत्ता है। यह सरकार भी इलैक्टिड है और हम भी इलैक्टिड हैं। यह जो सदन का गठन हुआ है इसमें सभी इलैक्टिड मैम्बर्ज हैं। हम सब की जिम्मेवारी है कि इस प्रदेश की प्रगति के लिए, इसकी खुशहाली के लिए ऐसे कार्य करें जिससे हर हरियाणा वासी यह कहे कि सरकार हमारी हर प्रकार से सुरक्षा कर रही है और हमें सभी सुविधाएं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं रोहतक शहर की सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जब यह सरकार आई थी तो कुछ सड़कें अन्डर कंस्ट्रक्शन थीं। उन सड़कों में काठमण्डी की भी सड़क थी और गोहाना स्टैण्ड से सुखपुरा चौक तक एक और सड़क थी। वे जहां तक बनी हुई थी वहीं तक रह गई हैं। वह एक ही साईड की सड़क है दूसरी साईड की सड़क नहीं बनी है। मैं नहीं समझता कि इसके न बनने के क्या कारण हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। सरकार के पास फंड हैं क्योंकि दूसरी सड़कें बन रही हैं। फिर मैं जानना चाहता हूं कि रोहतक के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। इस तरह का भेदभाव अच्छा नहीं लगता। जब एक तरफ की सड़क बन गयी है तो दूसरी तरफ की सड़क न बनाना उचित नहीं है। एक ही सड़क के दो भाग होते हैं उसकी राईट साईड तो बन गयी लेकिन लैफ्ट जो साईड है वह अभी तक नहीं बनायी गयी। उसको दो साल हो गये हैं। इसी तरह से वहां पर शोरा कोठी और माता चौक के सामने वाली सड़क जो बस स्टैंड को जाती है उस पर चलना मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार से आल इंडिया रेडियो के सामने वाली सड़क में खड्डे पड़ चुके हैं। इसी तरह से इंदिरा कालोनी की सड़कों का बुरा हाल है। सरकुलर रोड का भी यही हाल है। अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा भी कोई मौहल्ला या गली वहां पर ऐसी नहीं होगी जहां की सड़क टूटी हुई न हो। उन सड़कों पर कोई आ जा नहीं सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो यह रोहतक के साथ सड़कों के मामले में भेदभाव हो रहा है उसको दूर किया जाए क्योंकि यह ठीक बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, रोहतक बहुत पुराना शहर है लेकिन रोहतक में पीने के पानी का भी बुरा हाल है। वहां पर पीने के पानी की जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं हो पायी है। वहां पर केवल एक बार ही पानी आता है और वह भी केवल एक आधे घंटे के लिए। पिछले दिनों वहां पानी की बहुत कमी थी। जब इस बारे में महकमें वालों को कहा गया तो कहने लगे कि हमारे पास टैंक की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम पानी स्टोर कर सकें और पूरी सप्लाई दे सकें। अध्यक्ष महोदय, पापुलेशन बढ़ रही है और अगर हम पापुलेशन बढ़ने के बाद यह भी नहीं देख सकते कि जो वहां पर टैंक हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी और कैपेसिटी उनकी बढ़ाई जानी चाहिए या कितने और वहां पर टैंक बनाए जाने चाहिएं तो यह हम सबके लिए लज्जा की बात हो जाती है कि हमारी सरकार कर क्या रही है। जब इस बारे में बात की गयी तो हमें बताया कि वहां पर ऐडीशनल टैंक बनाने की एक स्कीम है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह स्कीम केवल पेपर पर ही नहीं रहनी चाहिए बल्कि तुरन्त इसको लागू किया जाना चाहिए। वहां पर ऐडीशनल टैंक बनाए जाने चाहिएं और रोहतक के अंदर पीने के पानी की उचित सुविधा मुहैया करवायी जानी चाहिए। इस बारे मे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपने पानी के टैंक वहां बना भी दिए लेकिन जब तक उनमें पानी नहीं स्टोर होगा तो कैसे आप पानी की पूरी सप्लाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पीने के पानी की नहर है उसमें 42 दिन बाद पानी आता है अगर ऐसा ही रहा तो वहां पर पानी कहां से आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर इतने टैंक बना दिए जाने चाहिएं कि अगर उस नहर में 42 दिन बाद भी पानी आए तो उनमें पूरा पानी स्टोर रहे और पानी की पूरी सप्लाई चलती रहे। अध्यक्ष महोदय, हमें आजाद हुए इतने साल हो गये हैं अगर इतने सालों बाद भी हम पीने के पानी जैसी सुविधा भी लोगों को न दे सकें तो क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, पानी के साथ-साथ वहां पर जो सीवरेज सिस्टम हैं उसकी समस्या भी कनैक्टेड है। पहली बात तो वहां पर सीवरेज है ही नहीं और अगर थोड़े बहुत हैं भी तो वह भी पानी की कमी की वजह से चोक हो जाते हैं। इसकी वजह से नतीजा यह होता है कि पानी घरों में आ जाता है इस तरह से ये समस्याएं रोहतक में हैं। इन समस्याओं का समाधान करना सरकार का कर्तव्य है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ये काम वहां पर करवाए जाने चाहिएं। मुख्यमंत्री जी, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जगह-जगह जाते हैं। सरकार ने एम0एल0एज0 की ग्रांट भी बंद कर दी है और इस बारे में उनका कहना है कि इसका सारा पैसा इस प्रोग्राम में लगाया जा रहा है जोकि ठीक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि जैसे एक गली में अगर कोई नाली टूट गयी है तो शुरू में तो उसकी रिपेयर पर पचास हजार रुपये में ही काम चल सकता है लेकिन अगर उसकी कोई परवाह नहीं करेगा तो धीरे-धीरे उस नाली के पानी से वहां की सड़क भी टूट जाएगी और फिर इन दोनों की मरम्मत पर लाखों रुपया खर्च आएगा इसलिए अगर इस तरह के छोटे-छोटे काम शुरू में ही हो जाएं तो यह दुगना खर्च सरकार का बच सकता है और ये छोटे-छोटे काम तभी हो सकते हैं जब एम0एल0एज0 को ग्रांटस दी जाए। मैं चाहूंगा कि अगर एम0एल0एज0 की ग्रांट बहाल कर दी जाए तो इस तरह के छोटे-छोटे काम वह अपने हल्के में तुरन्त ठीक करवा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ौसी प्रदेशों ने अपने विधायकों को इस तरह की ग्रांटस दी हैं इसलिए अगर हरियाणा सरकार भी इस तरह की ग्रांटस विधायकों को दे दें तो अच्छा होगा। इसके बाद हर एम0एल0ए0 कह सकता है कि अगर कोई इस तरह का काम हो तो वह करवा सकता है, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसको वह दूर कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : अब आप वाईंड अप करें।

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लेना चाहूंगा। अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। जितने सरकारी ऐडिड कालेज हैं अगर उनमें कोई टीचर नौकरी छोड़कर चला जाता है या वह रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह खाली पड़ी रहती है वहां पर कोई अप्वायंटमैंट नहीं होती जिससे कालेज का और बच्चों का कितना नुकसान होता होगा इस बारे में अध्यक्ष महोदय आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो गवर्नमैंट ऐडिड कॉलेज हैं उनमें कंट्रोल कीजिए उनकी जब भी रिक्रूटमैंट मैरिट पर होती हैं तो नियुक्तियां भी शीघ्र होनी चाहिएं अन्यथा बच्चों की पढ़ाई का बहुत अधिक नुकसान होता है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेना चाहता हूं।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात हम जानना चाहते हैं कृपा करके हमें बता दीजिए कि हमने आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है वह कब आएगा, कौन सी डेट को आएगा ? क्योंकि पता नहीं आप उसे कब ले आएं और अचानक रद्द कर दें। आपने यही करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। इस बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि वह अंडर कंसीड्रेशन है।

चौ0 भजन लाल : * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। जल्दी ही उस बारे में बता दिया जाएगा। अब आप बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैंने और श्री राम कुंवार सैणी ने श्री कर्ण सिंह दलाल के खिलाफ मोशन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस दिया हुआ है कृपया हमें बता दें कि उसका क्या फैसला किया है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब श्रीमती सरिता नारायण बोलेंगी।

श्रीमती सरिता नारायण (कलानौर) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अभिभाषण में चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब वर्ग के लिए हो या खेलों के बारे में हो। राज्य सरकार ने सभी के हितों को ध्यान में रखा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करती हूं। अभी 15 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस0वाई0एल0 कैनाल के मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है इससे हमारे यहां काफी लाभ होगा और हमारे यहां की जनता, किसान हर वर्ग को पर्याप्त पानी मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में विकास के काम तेजी से चल रहे हैं और उनके लिए केन्द्र सरकार से भी बहुत पैसा आ रहा है इससे पहले किसी सरकार को केन्द्र सरकार से इतनी मदद नहीं मिली है जितनी आज मिल रही है। गरीबों के लिए इन्दिरा आवास योजना व किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। (शोर एवं व्यवधान) इन्दिरा आवास योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

के लिए मकान बनाए जाते हैं व जो गरीब विधवाएं हैं उनको भी दस हजार रुपये नकद दिए जाते हैं। आज किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ हमारी केन्द्र सरकार हरियाणा को भेज रही है। ऐसा भी नहीं है कि यह पैसा लग नहीं रहा हो। यह पैसा हमारी हरियाणा सरकार पूरी तरह से लगा रही है। (शोर एवं व्यवधान) बिजली के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि बिजली पूरे राज्य में दी जा रही है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत बिजली अधिक दी जा रही है। मैं तो इस बारे में यही कहूंगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत ज्यादा बिजली दी जा रही है वह पूरी मिलनी चाहिये। मेरा सरकार से यही अनुरोध है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा पानी और बिजली की समस्या के बारे में लोगों का सामना करना पड़ता है। आगे अभिभाषण में आया कि पीने के पानी के लिए नलकूपों के कनैक्शंज दिये जा रहे हैं। परन्तु आज भी मेरे हल्के के कई गांव ऐसे हैं जिनमें आधे गावों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे हल्के के जिन गांवों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना चाहिये। जहां तक सिंचाई की बात है। मेरे हल्के के अन्दर कई जगह नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है जो उनका हिस्सा है वह उन्हें पूरा मिलना चाहिये और नहर का पानी टेल तक पहुंचना चाहिये क्योंकि लाहली माईनर का पानी हमें जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। अब काहनौर डिस्ट्रीब्यूट्रीज़ की सफाई का काम चल रहा है और दादरी-कलानौर डिस्ट्रीब्यूट्री की सफाई का काम भी चल रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूट्रीज की सफाई का काम जल्दी कराया जाये। मैं सरकार का ध्यान अपने शहर कलानौर के बारे में आकर्षित करना चाहूंगी। कलानौर शहर में जो पीने का पानी मिलता है वह बिल्कुल कड़वा है। इस बारे में मैंने सरकार से पहले भी अनुरोध किया था और विभाग से कहकर टयूबवैल्ज भी लगवाये थे लेकिन उनका पानी भी कड़वा आ रहा है और पीने लायक नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि दादरी फीडर की सफाई जल्दी से जल्दी करवाई जाये ताकि कलानौर में जो पीने के पानी की दिक्कत है वह दूर हो सके। कल रंगा साहब कह रहे थे कि हम सभी शहरों की सफाई करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करुंगी कि कलानौर शहर में नालियों में गंदगी फैली हुई है उनकी प्रोपर सफाई की व्यवस्था करवायी जाये। वहां पर सड़कों का बुरा हाल है. सड़कें टूटी हुई हैं नालियां बड़े नाले का रूप धारण कर चुकी हैं। इसलिए सरकार मेरे हल्के कलानौर की तरफ ध्यान दे। मैं चौधरी भजनलाल जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि कलानौर हल्के के साथ कांग्रेस के राज में सौतला व्यवहार किया गया। उस समय जो मंत्री थीं वे एक जगह बैठती थीं उन्होंने जनता का कोई दु:ख दर्द नहीं सुना। लेकिन वर्तमान सरकार के अढ़ाई वर्षों मे कलानौर हल्के में काफी सुधार हुआ है। यहां तक कि हरेक गांव की सड़कों को दूसरे गांव की सड़कों से जोड़ा गया है। काफी सड़कें बनाई गई हैं जबकि कांग्रेस के राज में इस हल्के का बुरा हाल था। जबकि अब काफी सुधार हुआ है। 13.00 बजे इसके लिए मैं हरियाणा सरकार की धन्यवादी हूं। (मेजें थपथपाई गई) अनुसूचित जाति के छात्रों व छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृति को दुगना किया गया है। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को 10+2 की पढ़ाई के बाद उनके लिए आवासीय योजना लागू की गई है उसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार की धन्यवादी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रोहतक की तरफ दिलाना चाहूंगी। जैसा कि हमारे विधायक शादी लाल बत्रा जी ने भी कहा था कि हमारे रोहतक क्षेत्र में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाया गया है लेकिन आज भी जो रोहतक शहर है

[श्रीमती सरिता नारायण]

वह इस योजना से वंचित है क्योंकि वहां कुछ सड़कों की हालत बहुत खराब है। एक सड़क तो मेरे घर की ही है सरकुलर रोड। उस रोड पर जगह-जगह गढ्ढे हैं और उसकी बहुत बुरी हालत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान रोहतक की सरकुलर रोड, प्रेम नगर की सड़क जहां से सभी विधायकों की गाड़ियां निकलती हैं, की तरफ आकर्षित करवाते हुए अनुरोध करना चाहती हूं क्योंकि उन सड़कों की बहुत बुरी हालत है इसलिए उनकी रिपेयर करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का ध्यान कलानौर हल्के की तरफ दिलवाना चाहती हूं कि हमारे हल्के में लड़कियों का सतजिंदा कल्याणा कालेज है वहां कोई परिवहन की बस नहीं रूकती है, लड़के तो बसों के पीछे लटक जाते हैं और जबरदस्ती बसों को रुकवा लेते हैं। लेकिन हमारी छात्राओं को बहुत मुश्किल आती है इसलिए मैं परिवहन मंत्री जी का ध्यान दिलवाते हुए कहना चाहूंगी कि वहां उस गर्ल्स कॉलेज के पास रोडवेज की बसें रुकवाने के लिए कोई प्रबन्ध करवाया जाएं क्योंकि कलानौर में केवल यही गर्ल्स कालेज है। कलानौर का बस स्टैण्ड कलानौर के अन्दर बना हुआ है इसलिए बसें उस बस स्टैण्ड के अन्दर न रुककर बाहर रोड पर रूकती हैं जिसकी वजह से यातायात में बहुत परेशानी आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान अपने हल्के की ओर दिलवाना चाहूंगी। मेरे हल्के की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनकी बहुत बुरी हालत है। जैसे कलानौर से पिलाना सड़क, उस सड़क की तो हालत बहुत ही जर्जर है, उसको शीघ्र ही बनवाया जाए। कलानौर की जो मेन रोड है वह कालेज रोड से बस स्टैण्ड तक है, को कई बार बनवाया गया है लेकिन हर बार उसको तारकोल से बनाया जाता है। इसलिए अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि उस सड़क को तारकोल का न बनाकर सीमेन्ट का बनाया जाए नहीं तो 2 महीने बाद यह सड़क फिर टूट जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे हैं जहां मिनी बैंक नहीं है और गरनावठी गांव भी उन्हीं गांवों में आ जाता है। गरनावठी गांव रोहतक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए गरनावठी के लोगों को पहले रोहतक आना पड़ता है फिर मांडौठी गांव में मिनी बैंक के लिए जाना पड़ता है। पीछे 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया था कि गरनावठी गांव में मिनी बैंक खोल दिया जाए या उससे अगले गांव ककराना या सुंडाना में खोल दिया जाए। अगर इन गांवों में मिनी बैंक नहीं खोला जा सकता तो एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर मांडौठी गांव है वहां मिनी बैंक बना दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि गरनावठी और ककराना गांव में बिजली रोहतक से दी जाती है। इसलिए जो बिजली के कनैक्शन रोहतक से दिए जाते हैं वह रोहतक की बजाय सुमरिया गांव से दे दिए जाएं क्योंकि सुमरिया गांव गरनावठी से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है अगर ऐसा किया जाता है तो इन गांवों में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : सरिता नारायण जी, आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्रीमती सरिता नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि हमारे हल्के के कुछ गांवों में फिरनियां कच्ची हैं। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में इनको पक्की करवाने के लिए कहा गया था तो हमें कहा गया था कि मिट्टी डलवा दी जाएगी और इनको पक्का करवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि कलिंगा, खरक और मुढाल गांवों की फिरनियों को जल्दी पक्का करवाया जाए। इन्हीं शब्दों

के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया और मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करती हूं।

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यावाद करता हूं।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी ने जो कहा वह रिकार्ड न किया जाये।

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चाहे यह बात रिकार्ड हो या न इस तरह की बात हाउस में नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैनिक हूं और मैं सबसे पहले शहीदों से संबंधित बात करूंगा। मौजूदा सरकार जब चुनाव नजदीक होते हैं तो मिठी-मिठी बातें करती है जिसकी मिसाल 1999 का चुनाव है। उस समय कारगिल का युद्ध हुआ। मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा कि उस समय सरकार ने काफी अच्छे काम किए और शहीदों के परिवारों को काफी धन दिया लेकिन अवसर निकल जाने के बाद शहीदों के परिवार वालों के साथ अच्छा बरताव नहीं किया जा रहा। 1999 के चुनाव के समय चाहे अर्द्ध सैनिक बल का सैनिक, चाहे आर्मड फोर्सिज का सैनिक या किसी दूसरी फोर्स का सैनिक शहीद हुआ हो, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हों सबके परिवार वालों को हरियाणा सरकार अपने खाते से 10-10 लाख रुपये देती थी और दो-दो या तीन-तीन लाख रुपये भारत सरकार की तरफ से अलग से दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जून, 2001 में सरकार ने इस स्कीम को बंद करके नई स्कीम बना दी। नई स्कीम के तहत जो सैनिक आर्मड फोर्सिज का शहीद होगा उसके परिवार वालों को ही 10 लाख रुपये हरियाणा सरकार देगी, दूसरे फोर्सिज के सैनिक शहीद होने पर उनके परिवार वालों को अब यह पैसा नहीं मिलेगा। पहले केन्द्र सरकार शहीदों के परिवारों वालों को जो दो या तीन लाख रुपये देती थी वह भी दिया जाता था और हरियाणा सरकार द्वारा भी 10 लाख रुपये अलग से दिया जाता था । केन्द्र सरकार ने अब वह राशि बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दी है जो बहुत अच्छी बात है लेकिन अब शहीद के परिवार को टोटल 10 लाख रुपये ही मिलते हैं जिसमें 7.50 लाख रुपये केन्द्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और 2.50 लाख रुपये हरियाणा सरकार देती है जो कि बहुत ही दुःख की बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा सरकार मतलबी न बने और शहीद होने वाले सभी फोर्सिज के सैनिकों के परिवार वालों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपये दे और केन्द्र की तरफ से जो राशि दी जाती है वह अलग से दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको टोटल 10 लाख रुपये दिए जायें तथा जो पैसा दिया जाता है वह सभी फोर्सिज के शहीदों के परिवार वालों को दिया जाना चाहिए। चाहे वह बी0एस0एफ0 का जवान है, चाहे सी0आर0पी0एफ0 का है, चाहे आई0टी0बी0पी0 का है, चाहे एस0एस0बी0 का है या सी0आई0एस0एफ0 का जवान है। अध्यक्ष महोदय, पैरा मिलिट्री फोर्सिज भी देश की सेवा करती हैं, इनके जवान भी देश के लिए बलिदान देते हैं, बहादुरी का काम करते हैं जैसे आर्मड फोर्सिज के जवान करते हैं। अगर इनके साथ हरियाणा सरकार भेदभाव करेगी तो इनका मनोबल कम हो जायेगा जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार पैरा मिलिट्री फोर्सिज के जवानों को भी हरियाणा सरकार वही अधिकार दे जो सैनिक बलों के जवानों को भी दिए जाते हैं यानि 10.00 लाख रुपये पैरा मिलिट्री फोर्सिज के शहीदों के परिवारों को दिए जायें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, आप इस बारे में मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे देना।

आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखकर दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूं। सत्ता पक्ष के भाई कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज युवकों को रोजगार देने की, उनको सही रास्ता दिखाने की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके विषय में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि उनको किस तरीके से रोजगार दिया जायेगा, बल्कि जो लोग टैक्सी चला कर अपना छोटा-मोटा काम धन्धा कर गुजारा कर रहे थे या अपनी टैक्सी चला रहे थे उनके पीछे पड़कर उनका भी धन्धा बन्द करा दिया गया। अब वे बेचारे कहां जायेंगे, यह हमें मालूम नहीं पड़ता। आज के दिन हमारे जो पढ़े लिखे युवक और युवतियां हैं उनके लिए आज कोई काम नहीं है। अब पहले की अपेक्षा खेती भी कम हो चुकी है और नौकरियां भी नहीं मिलती। आज नौकरियां जिस तरह से मिल रही हैं या जिस तरीके से मिलती हैं और नौकरी देने के लिए क्या तरीके अपनाये जाते हैं वह आप सब लोग जानते हैं। अब नौकरियों में मैरिट का कोई हिसाब-किताब नहीं रह गया। आज कोई बच्चा बी0ए0 या बी0एड0 करता है तो उसका नौकरी में कोई हिसाब नहीं रखा जाता बल्कि एक छोटा सा जो टैस्ट वह देता है उसी टैस्ट को आधार मानकर नौकरियां दी जाती हैं। चाहे कोई बच्चा बी0ए0 में फर्स्ट डिवीजन लेकर क्यो न पास हुआ हो लेकिन उसको टैस्ट का आधार नहीं माना जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे वह फर्स्ट डिवीजन हो या उसकी डिस्टिंगशन हो वह उस छोटे से टैस्ट में पास होने से रह जाता है और वह मैरिट में नहीं आता जिस कारण वह नौकरी से वंचित रह जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार द्वारा इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सामने और प्रदेश के सामने पॉपुलेशन ग्रोथ की बहुत भारी समस्या है क्योंकि आज जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस विषय में हम कहीं पर भी कभी भी कोई बात नहीं करते। यह किसी पार्टी विशेष का प्वांयट नहीं है। यह हमारे देश और प्रदेश का प्वायंट है। इसको कैसे रोका जाये, इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। वरना आज हम एक एकड़ जमीन के लिए जो झगड़ रहे हैं कल को वह एक एकड़ भी नहीं रह जायेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप भी बर्थ कन्ट्रोल में हैं।

आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पर यह लागू नहीं है। जो पीछे लोग चले गए हैं उन पर यह लागू नहीं होता। यह आगे आने वाले समय के लिए है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पर लागू नहीं होता।

आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह : यह तो आगे आने वालों के लिए है पीछे जाने वालों के लिए नहीं है। आप जैसे जो लोग बैठे हैं उनके लिए यह बात लागू होती है। (विघ्न) मैं तो बर्थ कन्ट्रोल में रहा हूं। मैं उससे ऊपर नहीं गया हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके कितने बच्चे हैं, आप यह बताएं ?

आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह : मेरे पास दो ही बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी के पास कितने बच्चे हैं। (विघ्न)

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : मेरे पास तो 2 ही हैं। (विघ्न)

श्री राम कुमार कटवाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, डी0आई0जी0 साहब एक माननीय सदस्य हैं। इन्होंने जो बात कही है वह बड़े दिल से कही है और ये बड़े होनहार हैं लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब ये इलैक्शन लड़ रहे थे उस समय ये छाती पर फीता लगा रहे थे। क्या वह फीता आंकड़ों के हिसाब से ठीक था ? (विघ्न)

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : स्पीकर साहब, यह बात तो ये पहले भी बोल चुके हैं। इनको आप बैठा दीजिए। (विघ्न) यहां पर सभी लोग बैठे हैं। मैंने चुनाव में फीता भी नहीं देखा था, तो फिर फीता क्या लगाता। (विघ्न) फीता लगाया था, आपको। आप तो अनफिट हैं ही। (विघ्न)

श्री राम कुमार कटवाल : स्पीकर साहब, ये एक बात तो बड़ी सच्ची कह रहे हैं कि जुलाना में पॉपुलेशन सारे जिला जीन्द में सबसे अधिक है, इनकी इस बात में तो सच्चाई है लेकिन यह सच्चाई कैसी है कि ये झूठे फीते लगाये घुमें। (विघ्न)

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : माई डियर फ्रैण्ड। मैंने फीता मारा तो लोगों को नौकरियां भी दिलवाई हैं। आपकी तरह नौकरियां नहीं दिलवाई। मैंने नौकरियां दिलवाई हैं उसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। अब आप बैठ जाये। (विघ्न)

श्री राम कुमार कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जुलाना में जो प्रौग्रैस हुई है उतनी प्रोग्रैस और किसी हल्के में नहीं हुई। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कटवाल जी, आप बैठिये।

श्री राम कुमार कटवाल : स्पीकर साहब, मैं डी0आई0जी0 साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी ने आपको रजवाहे नहीं दिए, क्या सड़कें नहीं बनवाई और क्या लड़कों को नौकरियां नहीं दी। आप यह बताएं कि जुलाना को क्या नहीं दिया गया। दूसरी बात एक यह कही कि बिना रिश्वत के नौकरियां नहीं मिलती। आप एक आदमी का नाम बता दें जिससे रिश्वत खाई हो।

श्री अध्यक्ष : कटवाल जी, अब आप बैठ जाएं।

श्री राम कुमार कटवाल : स्पीकर साहब, डी0आई0जी0 साहब को नौकरियां देने के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी।

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : कटवाल साहब, आप बैठ जाएं अभी रहने दें।

श्री राम कुमार कटवाल : आप सच्चाई की बात करो। मांगे राम जी बैठे हैं, ये बता देंगे। (विघ्न)

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : स्पीकर साहब, आप इनको बिठायें। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और चेयर की इज्जत करते हैं। अगर इस तरह की ये लोग बात करेंगे तो फिर बात नहीं हो पायेगी।

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : शेर सिंह जी, वह तो आपकी बात का ही समर्थन कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है।

आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह : चौधरी साहब, जब मैं बात करता हूं तो उनको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। जब मैं कोई अच्छी बात करूंगा तो मेरी तारीफ लोग करेंगे और लोगों ने मेरी तारीफ की तभी तो मैं यहां पर आ गया हूं। (विघ्न) चौधरी साहब, आपकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूं। (विघ्न) सिंचाई के बारे में हमारा जुलाना एरिया जिला जीन्द का बैकवर्ड ऐरिया है जिसमें पानी का काफी अभाव है और खेती के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं क्योंकि कोई भी शहर नहीं है जहां कुछ इम्पलॉयमैंट कैपेबिलिटी मिले। सिंचाई के बारे में श्री राम कुमार जी भी बोल रहे थे कि नहरें दी हैं। नहरें हमारे एरिया से जाती हैं, गुजरती हैं लेकिन उनका पानी का ज्यादातर भाग कहीं और जाता है। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे एरिया का जो हमारे हक का पानी है वह हमें दिया जाए और हमारी जो माईनरज़ बननी थीं उन्हें बनाया जाए। अभी दो साल पहले रामकली माईनर बननी शुरू हुई थी। आप सभी को मालूम है कि इस माईनर पर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है और एक रेल ट्रैक भी है जिस पर पुल नहीं बना हुआ है जबकि नहर बन चुकी है। दो साल अभी पुल बनने में लगेंगे इस प्रकार चार साल बेकार चले गए जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से अकालगढ़, नजवाना और मेहरड़ा की जो माईनरज बननी थी उनके बनाने की प्रपोजल भी पता नहीं कहां पड़ी हुई है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार उस पर पोजल पर भी विचार करे तो वह एरिया भी इरीगेट हो सकता है। 42 दिन में लोगों को पानी मिलता है और हमारे एरिये के जो रजवाहे हैं उनमें पानी बहुत कम आता है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि टेल पर जितने भी गांव हैं उनमें तो पानी कभी जाता नहीं है। जीन्द से पीछे एक नहर निकलती है जो कुछ गांवों में जाती है। रामगढ़ और मेरा जो गांव है वह भी टेल पर है और इसके अलावा और भी कई गांव टेल पर हैं जहां पानी नहीं जाता है। अकालगढ़, किला जफरगढ़ में भी पानी नहीं जाता है। एक रजवाहे की स्कीम भी बनाई गई थी वह किसी जमाने में शहर के बीच से जाता था जब यहां पर शहर नहीं था उसमें सारा गन्द जाता था और उसमें आगे तक अब कोई पानी नहीं जाता है क्योंकि उसमें पोलीथीन के बैग इतने भरे होते हैं कि वह अटी पड़ी है और साथ ही उसमें पानी का भी काफी अभाव है। अगर इस रजबाहे को बीड़ के ऐरिया से निकालने की जो परपोजल है अगर वह जल्दी सिरे लगाई जाए तो गरीब लोगों को और किसानो को काफी राहत मिलेगी। बेरड़ा रजवाहा और अकालगढ़ माईनर की तरफ भी सरकार ध्यान दे। अब मैं इलैक्ट्रिसिटी की बात करता हूं। हम लोग बिजली पर बहुत निर्भर करते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे जितने भी टयूबवैल्ज़ हैं वे बिजली से ही चलते हैं क्योंकि डीजल से चलाते हैं तो वे काफी महंगे पड़ते हैं। बिजली के बारे में सारे हरियाणा में कहीं जिक्र नहीं होता कि कितना उत्पादन एक दिन में होता है, कितना खर्चा होता है, कितनी बिजली दी जाती हैं, कितनी उनकी जरूरत हैं, कितना वेस्टेज होता है कितना पिलफ्रेज होता है, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर ख्याल करें तो शायद यह समस्या भी ठीक हो सकती है। राम राय एक फीडर लगा हुआ है, हमारे यहां यह एक सबस्टेशन है जो किसी जमाने में लगा था। अगर अब भी उसकी क्षमता को नहीं बढ़ायेंगे तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वहां के लोग इससे पहले ही काफी दुःखी हैं। 48 घण्टों में सिर्फ 16 घण्टे बिजली दी जाती है। जब बिजली दी जाती है तो कई-कई बार वह उसमें ट्रिपिंग मार जाती है जिससे टयूबवैल से खेत में जब पानी दे रहे होते हैं तो एक बार पानी रुक जाने के कारण दोबारा जब पानी शुरू होता है इस बीच में काफी पानी सूख जाता है और पानी देने में

काफी दिक्कत होती है इसलिए इस की तरफ भी गौर किए जाने की जरूरत है। हमारे एरिया में कुछ ड्रेन्ज़ खोदी गई हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन एक ड्रेन की जो प्रपोजल निजामपुर की है वह गोहाना में आती है। भैरों खेड़ा, ढिगाणा और रामकली की ड्रेन अगर खुदवा दी जाए तो उससे काफी फायदा हो सकता है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह बिसला पदासीन हुए)** सभापति महोदय, इसके बारे में अगर सरकार गौर करे तो हम सरकार के बड़े आभारी होंगे। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खासतौर पर जुलाना हल्का शिक्षा के बारे में काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर कोई कॉलेज नहीं है कॉलेज के बारे में सवाल किया गया था तो माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया था कि वहां पर कोई कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोहाना में, रोहतक और जीन्द में कॉलेज हैं। यह हो सकता है सरकार की इसमें कोई मजबूरी हो। सभा पति महोदय, ये लोग लड़कियों की एजुकेशन के बारे में बड़े गीत गाते हैं। गवर्नर एड्रैस में लिखा है कि शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जुलाना में लड़कियों का कॉलेज चाहते हैं क्योंकि लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकतीं हैं। लड़के तो किसी तरह से बसों में लटक कर चले जाते हैं लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती हैं क्योंकि बसों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सभापति महोदय, जुलाना में लड़कियों का एक कॉलेज अगर खोल दें तो हम बड़े आभारी होंगे। मेरे क्षेत्र में 58 बड़े गांव हैं और भी बड़े-बड़े गांव हैं। सभापति महोदय, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैं उस बारे में यहां पर छोटा सा विवरण देना चाहूंगा। मेरे हल्के में 10 जमा 2 स्कूलों की संख्या केवल 6 ही है जोकि पांच गांवों में ही है। अब आप कहेंगे कि एक गांव में दो स्कूल हैं और उनमें से एक लड़कियों का स्कूल है। चेयरमैन सर, 58 गांवों में सिर्फ 29 गांवों में मिडल स्कूल एंड अबव हैं। उससे नीचे प्राईमरी स्कूल हैं और प्राईमरी स्कूल तो सन् 1947 में भी थे और आज भी हैं। चेयरमैन सर, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार शिक्षा पर कितना गौर कर रही है। आज वोकेशनल स्कूलज खोले जा रहे हैं। जुलाना में भी एक ऐसा ही वोकेशनल स्कूल खोला गया है उसके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई लेकिन वहां पर कोई सुविधा नहीं है वह नाम के लिए ही बनाया गया है। वहां पर जो स्टूडैंट्स सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं वे बच्चे कहीं पर भी कम्पीटीशन के टैस्ट देते हैं तो वे कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जहां पर भी स्कूल खोला जाए वहां पूरा पैरा-फरनलिया होना चाहिए। तभी वहां के बच्चे उस स्कूल का फायदा उठा सकते हैं। आज स्कूलों में टीचर्ज की बहुत कमी है।

श्री सभापति : चौधरी साहब, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने नार्म्ज तय किए हुए हैं। अगर आपके वहां पर नार्म्ज़ पूरे होते हैं तो आप उस बारे में सरकार को लिखकर दे सकते हैं।

आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह : चेयरमैन सर, सांमलो कलां में गर्ल्ज मिडल स्कूल है। वह स्कूल अपग्रेडेशन के सभी नार्म्ज पूरे करता है उसके बावजूद भी वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हम वहां पर 10 जमा 2 का स्कूल चाहते हैं। चेयरमैन सर, मैं यहां पर नार्म्ज के मुताबिक ही बात करूंगा वर्ना मैं यहां पर अपनी बात कोट ही नहीं करूंगा। (विघ्न)

चेयरमैन साहब, अब मैं हैल्थ के बारे में कहना चाहूंगा। हैल्थ बहुत ही जरूरी चीज है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वैल्फेयर स्टेट इसकी ओर बहुत जोर देती है। लेकिन जुलाना हल्के में जो हमारी डिस्पैंसरीज हैं चाहे वह वैटरनरी डिस्पैंसरी हो चाहे हैल्थ डिपार्टमैंट की

[आई0जी0 (सेवानिवृत) श्री शेर सिंह]

डिसपैंसरी हो और चाहे पुलिस स्टेशन हो यदि उनकी बिल्डिंग्ज की कंडीशंज देखी जाए तो बहुत ही बुरी है। जुलाना में दवाई नहीं है डाक्टर नहीं है। इसके अलावा जजवंती में डिसपैंसरी है अगर वहां की बिल्डिंग देखी जाए तो उसको देखकर डर लगता है कि वह अब गिरेगी, अब गिरेगी। वहां पर डाक्टरों और दवाईयों का तो जिक्र ही नहीं है कि वे वहां पर है कि नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जो छोटे-छोटे वैटरनरी अस्पताल हैं वहां पर दवाईयां तो बिल्कुल ही नहीं हैं। चेयरमैन सर, हमारे यहां पर एक डी0एल0वी0ए0 ने कम्पलेंट की कि दवाईयां नहीं मिलती हैं तो उसके पीछे पूरी सरकार पड़ी हुई है कि तूने नाम क्यों लिया। चेयरमैन सर, यह बड़े ही दुःख की बात है।

श्री सभापति : शेर सिंह जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। (विघ्न) आप पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड आई0 जी0 हैं। अगर आपने कुछ और बात कहनी हो तो आप उसको एक मिनट में कह दें।

आई0जी0 (सेवानिवृत्त) श्री शेर सिंह : चेयरमैन सर, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्ज हमारे एरिया में हैं उनमें नहर से पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन आप वहां पर जाकर जांच कीजिए कि वहां पर कहीं पर भी पानी पीने योग्य नहीं है। नहर से जितना भी पीने का पानी दिया जाता है, उस पानी को लोग पशुओं को पीने के लिए देते हैं। वह पानी लोग अपने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह पानी unfit for Human consumption है। हमारे हल्के में जलवाना किला बहुत बड़ा गांव है। जहां पर 3 साल पहले पंचायत ने वाटर सप्लाई स्कीम के लिए साढ़े तीन एकड़ जमीन सरकार को दी हुई है लेकिन अभी तक सरकार ने वहां पर पानी देने के लिए कोई सोच विचार नहीं किया है। मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसी तरह से रोड्ज की कंडीशन की बात है। मेरे हल्के में बुढाखेड़ा गांव है। यह एक छोटा सा गांव है इसकी दो या अढ़ाई किलोमीटर की रोड़ है वह रोड़ बहुत गंदी है उसको आज तक नहीं बनाया गया है। अगर उस रोड़ पर कोई मरीज को ले जाया जाए तो शायद वह मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंचेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि उस रोड़ की तरफ गौर किया जाए। चेयरमैन साहब, जो बस स्टैंड जुलाना में बनाया गया है वह अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर बनाया गया है। उस समय उन लोगों से यह वायदा किया गया था कि उनको उस जमीन के बदले में दूसरी जमीन दी जाएगी। मुझे जैसा इस बारे में मालूम हुआ है कि सात आठ लाख रुपये उनको मुआवजा देने के लिए जमा करवाए गए हैं। हालांकि यह बात सही है या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा या बदले में जमीन नहीं दिलवायी गयी है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को बदले में साढ़े तीन एकड़ जमीन दिलवायी जाए। धन्यवाद। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। अब राव दान सिंह बोलेंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ0 भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, अब समय समाप्त होने वाला है अब वे क्या बोलेंगे। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर वे बोलना चाहेंगे तो समय और बढ़ा देंगे। चौधरी भजनलाल जी, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो बिना चेयर की परमिशन के आपको नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत सीनियर हैं। अब आप बैठें।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश शायद क्षेत्रफल में जरूर कम है लेकिन इसमें घटने वाली हर राजनीतिक घटना और इसकी तरक्की एवं विकास की बात न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सूक्ष्म दृष्टि से देखी जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि हम ऋणी हैं उस महान विभूति स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जिनकी कलम से न केवल इस हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ बल्कि इसके चहुंमुखी विकास में भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। अध्यक्ष महोदय, हम सबका और इस सदन का यह परम कर्त्तव्य है कि इस प्रदेश की तरक्की और विकास की बात हम सब करें। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 55 साल गुजर जाने के बाद और इस प्रदेश के बन जाने के 35 या 36 साल बाद भी हमें शुद्ध जलापूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एक-एक पानी की बूंद के लिए प्यासे हैं और जिस तरह की पिक्चर महामहिम के अभिभाषण में दी गयी है वह सच्चाई से भिन्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां पर वाटर सप्लाई की एक या दो छोटी स्कीम्ज को छोड़ कर कोई स्कीम नहीं है। वहां पर जो वाटर सप्लाई स्कीम हैं वह टयूबवैल पर आधारित हैं। वहां के कुछ टयूबवैल्ज का पानी वाटर टैस्टिंग लैबोरेट्रीज से चैक करवाया गया है उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पायी गयी है। वह पानी दांतों और हड्डियों के लिए हानिकारक है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि महेन्द्रगढ़ क्षेत्र के लिए कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम और दी जाए ताकि जो पानी की वहां पर समस्या है उससे वहां के लोगों को राहत मिल सके।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग अपनी एक राय बना लें। अभी शेर सिंह जी कह रहे थे कि कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अब दान सिंह जी कह रहे हैं कि कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की जाए।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो तो नैचुरैली कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की ही बात की जाएगी।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हैल्थ डिपार्टमैंट ने भी माना है कि सबसे बढ़िया पानी कैनाल बेस्ड है। आप इनसे कहें कि ये अपनी एक राय बना लें।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बात कहता हूं स्वास्थ्य विभाग की। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि प्रदेश के अंदर नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से सरकार सेहत के प्रति उदासीन है और हमारे अस्पतालों

[राव दान सिंह]

के जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं है। या तो उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की कमी है या डॉक्टर पूरे हैं तो उनमें दवाइयों की कमी है। अव्वल तो डॉक्टर बैठते नहीं हैं, बैठते हैं तो मात्र प्राइवेट नर्सिंग होम्स और लेबोरेट्री के एजेन्ट के रूप में काम करते हैं। जिन लैबोरेटरी में टैस्ट के ज्यादा पैसे लगते हैं अस्पताल के डॉक्टर उनमें केस रैफर करते हैं और मोटी रकम कमीशन के रूप में अर्जित करते हैं। मेरी मांग है कि इस तरह के डाक्टर्ज के खिलाफ कार्यवाही की जाए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि महिला उत्थान की दिशा में सरकार प्रयासरत है। मेरा महेन्द्रगढ़ जिला जो संयुक्त पंजाब के समय से जिला है उस जिले का नाम महेन्द्रगढ़ हैडक्वाटर ऐट नारनौल है। पूरे जिले में पांच ब्लॉक हैं जिनमें से नारनौल में कोई महिला चिकित्सक नहीं है जबकि वहां महिला चिकित्सक का होना अत्यंत जरूरी है जब कोई महिला प्रसूति के लिए अस्पलाल आती है तो वहां सुविधाएं न होने की वजह से उसे अकाल मौत का शिकार होना पड़ता है। अगर किसी महिला ने किसी तरह से बच्चे को जन्म दे भी दिया तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है और इस संसार में आते ही स्वर्ग सिधार जाता है। इस तरह की स्थिति आज अस्पतालों में बनी हुई है। मैं मांग करता हूं कि इन सब परेशानियों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि इन समस्याओं से आने वाले समय में राहत मिल सके।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। किसी भी प्रदेश के नागरिकों के लिए शिक्षा सबसे बड़ी धरोहर है। आज हम अमेरिका को ऐडवांस कहते हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मेरी सरकार ने शिक्षा के उत्थान के लिए पुरजोर ध्यान दिया है। जबकि आज बहुत सारे स्कूल और कालेज ऐसे हैं जहां स्टाफ की बहुत कमी है। सरकार के तुगलकी आदेशों के चलते कहीं-कहीं एक-एक क्लास में 150-150 बच्चे हैं। उनके लिए न तो कोई बैठने की व्यवस्था है न टीचर्ज तरीके से पढ़ा सकते हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह ऐसे प्रबन्ध करे जो कि शिक्षा के लिए सौहार्दपूर्ण हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। एक हमारे साथ और नाइंसाफी हो रही है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तरफ तो महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र महेन्द्रगढ़ के अंदर महिला महाविद्यालय से वाणिज्य संकाय को खत्म कर दिया गया है। वहां पर राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और हिन्दी की कक्षाएं खत्म कर दी गई हैं जबकि परिणाम यह बताता है कि प्रथम चार पोजीशन हिन्दी के अंदर महेन्द्रगढ़ महाविद्यालय की हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन क्लासिज को वहां पर पुनःस्थापित किया जाए और हमारे यहां के लोगों को शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित न किया जाए। अब मैं 2-3 स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात करूंगा। महिलाओं को यदि हम पढ़ाते हैं तो परिवार को पढ़ाते हैं व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति विशेष तक ही रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी। यह प्रदेश चाहे औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो गया है लेकिन फिर भी इसका आर्थिक मूलाधार कृषि का है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान परिवार से हैं, और किसानों के हितैषी माने जाते हैं। इन्होंने चुनावों के दौरान किसानों को बहुत सारे स्वप्न दिखाये थे लेकिन आज सत्ता के शिखर पर जो किसानों के सिर पर चुनकर आये थे उनकी समस्याओं के बारे में बहुत कम ध्यान दे रहे हैं मैं कहूं कि उनकी समस्याओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री श्री धीरपाल जी कह रहे थे कि हम औलावृष्टि के लिए मुआवजा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मुआवजा तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है नुकसान तो इससे कहीं

ज्यादा हुआ है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गिरदावरी का सर्वे दोबारा करवाया जाये। हकीकत यह है कि नुकसान जो हुआ है उसका उचित मुआवजा देकर अपने कहने को चरितार्थ किया जाये। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण हैं क्योंकि इनका गठबन्धन केन्द्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो सरकार मजदूरों, किसानों के हित में कभी नहीं रही है।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : स्पीकर सर, श्री दान सिंह जी पहली बार इस सदन में आये हैं इनको इतनी जानकारी नहीं है। ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आये थे उसका मैंने जवाब दे दिया था। मैं इनको यह भी बता दूं कि जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार का शासनकाल था उसमें कप्तान अजय सिंह यादव मंत्री परिषद में शामिल थे। उस समय जब इन्होंने मुआवजे की राशि को बढ़ाया था वह 400/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये प्रति एकड़ किया था और श्री दान सिंह जी ऊंट के मुंह में जीरे की बात करते हैं इन्होंने तो ऊंट को ही मार दिया जीरे की बात तो छोड़िये। लेकिन हमारी पार्टी के नेता ने मुआवजे की राशि को 600/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रति एकड़ किया है फिर भी आप कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि को बढ़ाने के बारे में विचार किया जाये। कांग्रेस पार्टी को तो जेब से पैसे काढ़ते समय दर्द होता था। (विघ्न)

श्री मांगेराम गुप्ता : हमने तो 3000/- रुपये प्रति एकड़ दिया था।

श्री अध्यक्ष : मांगेराम जी, अब जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी, आप वाईंड अप करें।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं विद्युत के बारे में कहना चाहूंगा। हमारा क्षेत्र बिजली पर आधारित है। यहां नहरी पानी नहीं है। बिजली की सप्लाई क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सब स्टेशनज को अपग्रेड किया गया है लेकिन 2-3 सब-स्टेशन जेरपुर और शेलंग अपग्रेडेशन के लिए प्रस्तावित हैं मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी ही अपग्रेड किया जाए। साथ ही बिजली की खपत भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है उसकी पैदावार के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। क्योंकि आज गांव के अन्दर भी साधारण आदमी बिजली का उपयोग करता है। चाहे झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो या महलों में रहने वाला हो सबको बिजली की आवश्यकता है। गांव के अन्दर आमतौर से सुनने को मिलता है कि आज लस्सी नहीं मिलेगी क्योंकि आज बिजली नहीं आएगी और मंधानी नहीं चलेगी। सरकार को वक्त रहते बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रबन्ध कर लेना चाहिए वरना निकट भविष्य में हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश की बसें परिवहन की धुरी हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं पर बसें नहीं हैं, कहीं पर बसें हैं तो चालक या परिचालक नहीं हैं। अगर चालक और बसों का समन्वय बिठा दिया जाए तो इस प्रदेश के यातायात को सुधारा जा सकता है। इसी सरकार की कमियों की वजह से प्राइवेट वाहनों वाले यात्रियों से मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं और साथ में एक रिस्क लेकर साथ चलते हैं। अगर सामने से कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाती है तो उसे वे ई0टी0ओ0 या आर0टी0ओ0

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[राव दान सिंह]

की गाड़ी समझकर बेतहाशा अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं जिसकी वजह से दिनों दिन होने वाली दुर्घटनाएं आपके सामने हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दुर्घटनाओं से नागरिकों को अकाल मौत का ग्रास न बनने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई ऐतिहासिक मोनूमैंट्स या आरक्योलोजिकल पार्क्स नहीं है and the Tourism in Haryana was created out of nothing. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राव इन्द्रपाल जी को हरियाणा पर्यटन विभाग का चेयरमैन बना रखा है। धारूहेड़ा बहुत अच्छा टूरिस्ट कम्पलैक्स माना जाता था। नैशनल हाइवे नं0 8 पर दिल्ली से जयपुर तक उससे बढ़िया कोई पर्यटन स्थल नहीं था लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। वहां के लॉन में आवारा पशुओं के अलावा आपको कोई दूसरी चीज विचरण करती नहीं पाएगी। इस तरह की उदासीनता नहीं होनी चाहिए। पर्यटन भी एक उद्योग है जिससे धन कमाया जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि पर्यटन की तरफ भी खास ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों की हालत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं एक पर्टीकूलर सड़क की बात करना चाहूंगा। कोटपुतली से लेकर पातड़ा सड़क पंजाब को जोड़ती है। उस सड़क पर काफी ट्रैफिक है। वह रोड न डबल रोड के बराबर है और न सिंगल रोड के बराबर। अगर एवरेज निकालें तो मैं समझता हूं कि इस रोड पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस रोड को अपग्रेड कर दिया जाए और अगर अपग्रेड नहीं किया जा सकता तो उस सड़क की साइडों से मरम्मत करवा दी जाए ताकि दिन-प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अध्यक्ष महोदय, यहां एस0वाई0एल0 नहर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। एस0वाई0एल0 इस प्रदेश की जीवन रेखा है यह सब जानते हैं। यह श्रेय लेने की बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार को ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जो इस सदन के सदस्य हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस एस0वाई0एल0 नहर के पानी को हरियाणा में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए तो मैं एक बात कहूंगा कि एक अंधी महिला से किसी व्यक्ति ने कहा कि तेरा पति आ रहा है तो उसने कहा कि मैं तो तब मानूंगी जब मेरा पति मेरी बाजू में आ जाएगा इसलिए इस प्रदेश का किसान तो तब मानेगा जब उसके खेत में पानी आ जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर इस पानी को लाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने जो सुझाव दिए हैं मुझे पूरा भरोसा है कि इनको आप गम्भीरतापूर्वक सरकार तक पहुंचा देंगे और सरकार इन पर विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री जसबीर सिंह मलौर (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज से तकरीबन अढ़ाई साल पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर सम्भाली थी तो उससे पहले प्रदेश में चारों ओर निराशा का माहौल था। खजाना खाली था। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। विकास के कार्य ठप्प पड़े थे। प्रदेश में शराब माफिया बन चुका था और युवा वर्ग अपराधों की दलदल में धंसता जा रहा था। प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हर नागरिक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त था। इसलिए यह कहा जाए कि प्रदेश में अराजकता—

जैसा माहौल था तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। कानून और व्यवस्था को पटरी पर लाना, लोगों में विश्वास बहाल करना इस सरकार के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी। जननायक चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। वर्तमान सरकार चौधरी देवीलाल के उन आदर्शों का पूरी तरह से पालन करते हुए राज्य के चहुंमुखी विकास में जुटी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर सम्भालते ही हरियाणा में जो विकास के कार्य करने का काम किया है वह हरियाणा प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के सपनों की सरकार है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत हर विधान सभा क्षेत्र में जाकर विकास कार्य करवाये हैं। चाहे वह हल्का किसी बी0जे0पी0 के विधायक का हो, चाहे किसी कांग्रेसी भाई का हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाकर नया इतिहास रचने का काम किया है। उसके लिए मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर विधान सभा क्षेत्र में जाकर लोगों के दुख तकलीफों को समझती है और उनकी समस्या का समाधान करती है। जो विकास कार्य पिछले कई सालों से ठप्प पड़े थे उनको दोबारा से चलाने के लिए हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी लोगों के बीच में गये और उनकी समस्याओं को समझा, चाहे गांव की रिटेनिंग वाल बनाने की बात थी, चाहे शमशान घाट के शैड बनाने की बात थी, चाहे हरिजन और बैकवर्ड क्लास की चौपालें बनाने की बात थी, चाहे सीमेंटिड सड़कें बनाने की बात थी, चाहे गांवों की फिरनियां या नालियां बनाने की बात थी हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सरकारी खजाने का मुंह इन कामों के लिए खोल दिया तथा देहातों और 36 बिरादरी के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार की अच्छी नीतियों का ही परिणाम है कि यमुनानगर उपचुनाव में हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री मलिक चंद गंभीर को वहां की बहादुर जनता ने भारी बहुमत से जिताया और बी0जे0पी0 के कंडीडेट की जमानत जब्त हुई। यह सीट हमें तभी मिली है, वहां के लोगों ने हमें वोट इसीलिए दिए कि हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जितनी सराहना की जाये वह कम है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली एस0वाई0एल0 का संबंध है इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस नहर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में दे दिया है कि यह नहर पंजाब एक साल में पूरी करवाये। यह तभी संभव हो पाया है जब हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी समय-समय पर इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करते रहे। इस तरह से हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक नया अध्याय इतिहास में जोड़ने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, एक साल में यह नहर बन जायेगी और पूरे हरियाणा प्रदेश में टेल तक पानी दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा कि गत अढ़ाई साल में हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किये हैं और अपने दायित्व को निभाया है। एक तरफ तो केन्द्र सरकार से आग्रह करके किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रुपये प्रति क्विंटल दिलवाया और दूसरी तरफ किसानों का एक-एक दाना खरीदा गया। अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को आदेश दे रखे थे कि सभी अपने-अपने यहां मण्डियों में जाकर देखें कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिल

[श्री जसबीर सिंह मलौर]

रहा है या नहीं और सबकी फसल खरीदी जा रही है या नहीं। इसी का परिणाम है कि किसानों की पूरी फसल खरीदी गई। दिन के दिन खरीदी गई और किसान को मण्डियों में फसल बेचने के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। गन्ने की खेती को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 2 नई शूगर मिलें लगाई गई हैं। एक शूगर मिल तो जननायक चौधरी देवी लाल के नाम से लगाई है, पन्नीवाला मोटा में और दूसरी मिल गोहाणा में लगायी गई है। ये मिलें एक रिकार्ड अवधि के दौरान एक साल के अन्दर लगाई गई है। इन दोनों मिलों को एक साल के अन्दर-अन्दर चलाने के लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे साथी ओलावृष्टि की बात कर रहे थे कि ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया गया। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ओलावृष्टि या बिजली की चिंगारी से प्रभावित किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि में तीन गुना से अधिक वृद्धि करते हुए किसानों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़, 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ तथा 25 से 50 प्रतिशत तक के नुकसान के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत वर्ष 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के पावन अवसर पर किसानों के लाभ के लिए कृषक उपहार योजना की शुरूआत की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को एक करोड़ 52 लाख रुपये के पुरस्कार देने का प्रावधान है। प्रथम छमाही का जिलावार ड्रा 30 अप्रैल, 2001 को निकाला गया था।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने ऐसी शिक्षा नीति लागू की है जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले या बसने वाले बच्चों के लिए भी शिक्षा के लिए अच्छे कदम उठाये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति में बच्चों को पहली कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने, छठी कक्षा से कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार, इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की असमानताओं को दूर करने, हर स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने, परीक्षा तथा आकलन प्रणाली में सुधार लाने तथा अध्यापकों एवं छात्रों की दक्षता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है।

पढ़ने के साथ-साथ विद्यार्थियों को कमाने के अवसर देने की अनूठी योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों में प्रति 45 मिनट कार्य करने पर छात्र 960 रुपये प्रतिमास तक कमा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं को जहां तक अधिकार देने की बात है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए या सुदृढ़ प्रणाली चलाने के लिए और लोगों की ताकत बचाने के लिए उनको ऐसा सुनहरी व दृढ़ अवसर दिया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने बहुल कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने का फैसला किया है ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके। जिला परिषद को प्रथम पुरस्कार 8 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 3 लाख रुपये का दिया जायेगा।

श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायत समितियों को प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये का प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय 30 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 20 हजार रुपये का दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण समिति की बात है, मुख्यमंत्री महोदय और सरकार की तरफ से जो राशि देहात में दी जाती थी उसको सही ढंग से लगाने के लिए ग्राम समितियों का गठन करने का काम किया। इन ग्राम समितियों में एक सरपंच, महिला पंच, हरिजन पंच, बैकवर्ड पंच और एक्ससर्विसमैन पंच को लिया गया है। इसके अलावा गांव के दो मौजिज आदमियों को लिया गया है जो राजनीति से दूर रहते हैं और जो विकास करने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए विकास कमेटीज बना करके मुख्यमंत्री जी ने "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से राशि सरकार की तरफ से दी। जो राशि सरकार की तरफ से दी गई इनके चैक हमारे आदरणीय साथी विधायक गांव में बांट कर आते हैं और उन कार्यों को देख कर आते हैं, उन कार्यों का शिलान्यास करके आते हैं। इन्हीं कार्यों को देखते हुए लोगों में एक भावना आई कि कोई सरकार तो आई जो विकास के कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, चाहे बंसी लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय खजाना भी यही था, पैसे भी यही थे लेकिन उस वक्त पैसा कागजों में ही लग जाता था प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता था। सड़कें भी जो रिपेयर होती थी वे भी फाईलों में ही होती थी यानी फाईलों में ही उनकी कारपेटिंग होती थी। अब मौजूदा सरकार ने सड़कों का जो काम किया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के अढाई वर्ष के शासनकाल के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ज्यादा नियन्त्रण में रही। इस अवधि के दौरान राज्य में कोई जातीय अथवा साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं न के बराबर रहीं। महिलाओं के विरूद्ध अपराध भी नियन्त्रण में रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी जब सत्ता में रहते थे उस समय शराबबन्दी की हुई थी जिसके कारण शराब माफिया राज्य में पनपा हुआ था। हमारे नौजवान और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनके बस्तों में किताबों की बजाय शराब की थैलियां होती थी। हमारा नौजवान उस समय रास्ता भटकने पर मजबूर हो गया था उसके जननायक यहां पर बैठे हुए हैं। (विघ्न)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप किस बात पर खड़े हो गये हैं। आप प्लीज बैठें। (विघ्न) भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी-अभी आपका एक पत्र हमें मिला है इसमें आपने लिखा है कि हमने आपके खिलाफ़ जो प्रिविलेज मोशन दिया था वह डिसअलाउ करते हैं। स्पीकर साहब, यह बड़ा अन्याय और ज्यादती है। 15 आदमी इससे सहमत हैं और वे बैठे हुए हैं आप उनको खड़ा होने के लिए कह सकते हैं। अगर 15 मैम्बर न हों तो आप डिसअलाउ कर सकते हैं (विघ्न एवं शोर) आपके खिलाफ दिया हुआ प्रिविलेज मोशन आप खुद डिसअलाउ करें यह बहुत बुरी बात है। (विघ्न एवं शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं ही तो इसको डिस्अलाउ करूंगा और कौन करेगा। सब के खिलाफ निर्णय तो मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा Allow or Disallow करना तो मेरा अधिकार है। (विघ्न एवं शोर)

चौ0 भजन लाल : अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम वाक आउट करेंगे। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (विघ्न एवं शोर), मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका किस बात का प्वांयट ऑफ आर्डर है। नो-नो आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एवं शोर) क्या भजन लाल जी की बात पर कोई प्वांयट ऑफ आर्डर है ? आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) आपका किस बात का प्वांयट ऑफ आर्डर है। आपने अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो ले सकते हैं प्वांयट ऑफ आर्डर किस बात का है। (विघ्न एवं शोर)

चौ0 भजन लाल : आपका पत्र आ गया जिसमें यह लिखा है कि disallow करते हैं। यह क्या तरीका है (विघ्न एवं शोर) * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की बात रिकार्ड न करें। (विघ्न एवं शोर)

अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम0एल0ए0 के विरूद्ध 5 मार्च, 2002 को सदन के बीच में मॉक चेयर लेने तथा स्वयं को सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रदर्शित करने, चेयर के आदेशों की अवज्ञा करने तथा निरन्तर चेयर के निर्णय को चुनौती देने तथा इसके विरूद्ध विरोध प्रकट करने, इस प्रकार, सदन की अवमानना/विशेषाधिकार भंग इत्यादि करने का अभिकथित विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी मामला।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है कि मैंने और श्री पदम सिंह ने श्री जय प्रकाश बरवाला, एम0एल0ए0 के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलैज का नोटिस दिया है यदि आपकी इजाजत हो तो मैं वह पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप इसे पढ़ें।

Shri Puran Singh Dabra : Sir, with your permission I beg to give a notice of alleged breach of privilege against Shri Jai Parkash Barwala under Rule 278 read with Rule 295 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly for referring the matter to the Committee of Privileges for examination and report. In support of our this notice of breach of privilege, I bring to your kind notice the facts which resulted into contempt of House on 5th March, 2002 as well as in the preceding Sessions of Haryana

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Vidhan Sabha. On 5th March, 2002, Shri Jai Parkash Barwala, a Member of Indian National Congress Party took the Mock Chair in the well of the House showing himself as Speaker of the Assembly whereby he has not only defied the orders of the Chair but he has also committed contempt of the House as he did not consider the dignity and decorum of the House well which is the essence of a democratic set up. Taking a Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha is in Session and the Hon'ble Speaker is in the chair is not only against the dignity, decorum of the House and the Chair but also leads to grave contempt of the House/breach of privilege of the House. He has challenged/ protested against the rulings of the Chair persistently.

Besides the above-mentioned contempt of the House by this member, there are so many instances when this member had committed contempt of the House but such a request was not made to your goodself earlier. However, when the incident as explained in the foregoing paragraphs has happened in which a contempt of the House and breach of privilege has been committed by the member, it is pertinent to mention the past conduct of the member, as under :—

(i) On 8th November, 2001, Shri Jai Parkash Barwala, came to the well of the House pleading for the adjournment of the Sabha for that day on account of death of Late Dr. Jai Parkash Sharma, Ex-MLA and he sat on 'DHARNA' in the well of the House. Staging a 'DHARNA' shows the conduct of a member ignoring all the cannons of well-established parliamentary practices.

(ii) On 9th November, 2001 when the notice for the removal of the Speaker was not acceptable according to the Rules, Shri Jai Parkash Barwala came to the well of the House.

Keeping in view the above-mentioned facts, it is evidently clear that Shri Jai Parkash Barwala, MLA is habitual of defying the Chair and rushing to the well of the House and arguing with the Speaker in derogation of the rules and well-established Parliamentary Conventions, stalling/obstructing proceedings of the House unnecessarily, which conduct is unbecoming of a member and due to that reason Shri Jai Parkash Barwala, MLA has to be suspended from the service of the House for remaining sittings of this week. Therefore, such a conduct of Shri Jai Parkash Barwala, causing grave disorder in the House and stalling/ obstructing of the proceedings of the House unnecessarily, deliberately and knowingly is Contempt of the House and the breach of privilege of the House. Therefore, I request your goodself to grant your consent to refer the above matter of breach of privilege against Shri Jai Parkash Barwala to the Committee of Privileges for examination and report.

In view of the above, I give the notice of motion of alleged breach of privilege to give consent to raise the matter on the floor of the House today and the matter may be referred to the Committee of Privileges for submitting its report to the House, being a matter of recent occurrence, which requires the intervention of the Assembly.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of alleged breach of privilege from Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya MLA, regarding taking of Mock Chair in the well of the House, showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair, challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly etc., thus, committing the contempt of House/breach of privilege etc. on 5th March, 2002 by Shri Jai Parkash Barwala. I give my consent to the raising of the question of alleged breach of privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order. I call upon Shri Puran Singh Dabra, to rise and ask for leave to raise the question of alleged breach of privilege.

Shri Puran Singh Dabra : Sir, I beg to seek the permission of the House to move the motion regarding alleged breach of privilege by Shri Jai Parkash Barwala, MLA.

Mr. Speaker : I request those Members, who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the ruling party Members present in House rose in their seats.)

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

Now, Shri Puran Singh Dabra, may move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Shri Puran Singh Dabra : Sir, I beg to move—

> That the matter regarding taking of Mock Chair in the well of the House, showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair, challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly etc., thus, committing the contempt of House/breach of privilege etc. on 5th March, 2002 by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the matter regarding taking of Mock Chair in the well of the House, showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair, challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly etc., thus, committing the contempt of House/breach of privilege etc. on 5th March, 2002 by Shri Jai Parkash Barwala, MLA be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the matter regarding taking of Mock Chair in the well of the House, showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair, challenging and protesting against the ruling of

the Chair constantly etc., thus, committing the contempt of House/breach of privilege etc. on 5th March, 2002 by Shri Jai Parkash Barwala, MLA be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next Session.

The motion was carried.

(Noise and interruption)

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम0एल0ए0 के विरूद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग तथा 4 मार्च, 2002 को महामहिम राज्यपाल महोदय, को बाधा पहुंचाने तथा उनके विरूद्ध अनावश्यक टिप्पणियां करने के लिए तथा 5 मार्च, 2002 को उस समय जब सभा सत्र में थी सदन के बीच में मॉक चेयर लेने में श्री जय प्रकाश बरवाला की अत्याधिक सहायता करने के फलस्वरूप 5 मार्च, 2002 को सदन की अवमानना/सदन का विशेषाधिकार भंग संबंधी मामला।

Shri Rajinder Singh Bisla : Speaker Sir, with your permission, I and Shri Ram Kuwar Saini beg to give a notice of breach of Privilege against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. (Noise and Interuption)

Mr. Speaker : Yes Bisla Ji, you may read your notice please.

Shri Rajinder Singh Bisla : Sir, with your permission I beg to give a notice of breach of privilege against Shri Karan Singh Dalal, MLA under Rule 278 read with Rule 295 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly for referring the matter to the Committee of Privileges for examination and report. In support of our this notice of breach of privilege, I bring to your kind notice the facts which resulted into contempt of House on 5th March, 2002 as well as in the preceding Sessions of Haryana Vidhan Sabha. On 5th March, 2002, Shri Karan Singh Dalal, a Member of Republican Party of India helped greatly Shri Jai Parkash Barwala in taking the Mock Chair in the well of the House who was showing himself as Speaker of the Assembly whereby he has not only defied the orders of the Chair but he has also committed contempt of the House as he did not consider the dignity and decorum of the House well which is the essence of a democratic set up. During the Governor's Address on 4th March, 2002, Shri Karan Singh Dalal, stated that there is no need of reading the Governor's Address by His Excellency, the Governor and he himself will read the same. Obstructing the Governor in his address and making such uncalled for remarks by member against the Governor is contempt of the House, which is breach of privilege of the House, as the Governor is also part and parcel of the House. Helping Shri Jai Parkash Barwala in taking a Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha is in Session and the Hon'ble Speaker is in the Chair, is not only against the dignity, decorum of the House and the Chair but also leads to grave contempt of the House/breach of privilege of the House. He has challenged/protested against the rulings of the Chair persistently.

[Sh. Rajinder Singh Bisla]

Besides the above-mentioned contempt of the House by Shri Karan Singh Dalal, there are so many instances when Shri Karan Singh Dalal, had committed contempt of the House but such a request was not made to your goodself earlier. However, when the incident as explained in the foregoing paragraphs has happened in which a contempt of the House and breach of privilege has been committed by Shri Karan Singh Dalal, it is pertinent to mention the past conduct of Shri Karan Singh Dalal, when on 13th March, 2001, he though was not signatory to the notice of alleged breach of privilege regarding the alleged leakage of Budget, staged walk out along with the members of the Indian National Congress Party, who gave the notice as a protest against not allowing them to move the above-said notice.

Keeping in view the above-mentioned facts, it is evidently clear that Shri Karan Singh Dalal, is habitual of defying the Chair and rushing to the well of the House and arguing with the Speaker in utter violation of the rule and well-established Parliamentary Conventions, stalling/obstructing proceedings of the House unnecessarily, deliberately and knowingly, which conduct is unbecoming of a member and due to that reason Shri Karan Singh Dalal, has to be suspended from the service of the House for the remaining sittings of this week. Therefore, such a conduct of Shri Karan Singh Dalal, causing grave disorder in the House and stalling/obstructing of the proceedings of the House unnecessarily, deliberately and knowingly is contempt of the House and the breach of privilege of the House. Therefore, I request your goodself to grant your consent to refer the above matter of breach of privilege against Shri Karan Singh Dalal to the Committee of Privileges for examination and report.

In view of the above, I give the notice of privilege motion to give consent to raise the matter on the floor of the House today and the matter may be referred to the Committee of Privileges for submitting its report to the House, being a matter of recent occurrence, which requires the intervention of the Assembly.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of alleged breach of privilege from Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini MLA, regarding obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, taking Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege of the House etc. on 5th March, 2002 by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. I give my consent to the raising of the question of alleged breach of privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order. I call upon Shri Rajinder Singh Bisla, to rise and ask for leave to raise the question of alleged breach of privilege.

Shri Rajinder Singh Bisla : Sir, I beg to seek the permission of the House to move the motion regarding alleged breach of privilege by Shri Karan Singh Dalal, MLA.

Mr. Speaker : I request those Members, who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in the seats.

(At this stage, all the ruling party Members present in the House, rose in their seats.)

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

Now, Shri Rajinder Singh Bisla, may move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Shri Rajinder Singh Bisla : Sir, I beg to move—

> That the matter regarding obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala in taking Mock Chair in the well of the House and defied the Chair etc. at the time when the Sabha was Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege of the House etc. on 5th March, 2002 by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the matter regarding obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala in taking Mock Chair in the well of the House and defied the Chair etc. at the time when the Sabha was Session on 5th March, 2002, thereby committing the comtempt of the House/breach of privilege of the House etc. on 5th March, 2002 by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the matter regarding obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala in taking Mock Chair in the well of the House and defied the Chair etc. at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege of the House etc. on 5th March, 2002 by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next Session.

The motion was carried.

(Noise and interruption)

14.00 बजे

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, एम०एल०ए० द्वारा चेयर की पूर्ण अवज्ञा करके सदन के बीच आने/रहने तथा लगातार अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करने, पहरा एवं निगरानी अमले के साथ हाथापाई की कोशिश करने तथा चेयर की ओर एक पुस्तक फेंकने, श्री धर्मबीर सिंह द्वारा सदन के बीच में दौड़ते समय एक लाईट बॉक्स तोड़ने, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान द्वारा सदन में असंसदीय शब्दों तथा अनावश्यक टिप्पणियों आदि का प्रयोग करने तथा फलस्वरूप 5 मार्च, 2002 को इन विधायकों द्वारा सदन की अवमानना/विशेषाधिकार भंग संबंधी मामला।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा और पवन कुमार दीवान जी का एक अहम मुद्दा है हमने कैप्टन अजय सिंह, धर्मवीर और जगजीत सिंह सांगवान के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है जो कि मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पढ़ें।

Shri Bhagi Ram : Sir, with your permission, I beg to give a notice of breach of privilege against Sarvshri Ajay Singh, Dharambir and Jagjit Singh Sangwan, MLAs under Rule 278 read with Rule 295 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly for referring the matter to the Committee of Privileges for examination and report. In support of our this notice of breach of privilege, I bring to your kind notice the facts which resulted into contempt of House on 5th March, 2002 as well as on earlier occasions. On 5th March, 2002, Sarvshri Ajay Singh Yadav, Dharambir, Members of the Indian National Congress Party and Jagjit Singh Sangwan, Member of the Nationalist Congress Party came to the well of the House on a matter concerning the non-grant of leave for moving the notice of resolution for the removal of the Speaker, which was refused according to the Rules. These three Members in utter defiance of the Chair continued arguing with the Hon'ble Speaker and it was your goodness that you did not take any action against them for an hour and while remaining in the well of the House, these three Members did not pay any heed to your repeated requests. Capt. Ajay Singh Yadav stood up on the seat of Shri Bhajan Lal and spoke in a loud voice and he even tried to manhandle the Watch & Ward Staff also. Capt. Ajay Singh Yadav went to the extent of throwing a book towards the Chair. Shri Dharambir, while rushing to the well of the House, had broken a light box not only causing damage to the Government property but also throwing the dignity and decorum to the winds. Shri Jagjit Singh Sangwan, used unparliamentary and uncalled for remarks in the House. Due to such actions of unbecoming of a Member, these Members have to be suspended from the service of the House for the remaining sittings of this week on 5th March, 2002. They have Challenged/protested against the rulings of the Chair persistently. Even on 9th November, 2001 when the notice of resolution for the removal of the Speaker was not accepted as per the Rules, Capt. Ajay Singh, Yadav came to the well of the House resulting into grave misconduct and gross disorder in the House by Capt. Ajay Singh, Yadav on that day.

In the facts and the circumstances above, it is crystal clear that by such actions, these Members have committed contempt of the House and breach of privilege of the House deliberately and knowingly for which this whole matter should be examined by the Committee of Privileges and I request you to refer this matter to the Committee of Privileges for examination and report as early as possible.

In view of the above, I give the notice of motion of alleged breach of privilege to give consent to raise the matter on the floor of the House today and the matter may be referred to the Committee of Privileges for submitting its report to the House, being a matter of recent occurrence, which requires the intervention of the Assembly.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of alleged breach of privilege from Shri Bhagi Ram and Shri Pawan Kumar Dewan, MLAs, regarding coming to/remaining in the well of the House in uttar defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh, Yadav breaking a light box while rushing the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh and using unparliamentary words and uncalled for remarks in the House etc. by Shri Jagjit Singh Sangwan and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by these M.L.As. on 5th March, 2002.I give my consent to the raising of the question of alleged breach of privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order. I call upon Shri Bhagi Ram, to rise and ask for leave to raise the question of alleged breach of privilege.

Shri Bhagi Ram : Sir, I beg to seek the permission of the House to move the motion regarding alleged breach of privilege by Capt. Ajay Singh Yadav, Dharamvir Singh and Jagjit Singh Sangwan.

Mr. Speaker : Now, I request those Members, who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the ruling party Members present in the House rose in their seats.)

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

Now, Shri Bhagi Ram, may move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Shri Bhagi Ram : Sir, I beg to move—

> That the matter regarding coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, breaking a light box while rushing the well of the House, causing damage to the

[Sh. Bhagi Ram]

Government property by Shri Dharambir Singh and using unparliamentary words and uncalled for remarks in the House etc. by Shri Jagjit Singh Sangwan and there by committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by these M.L.As on 5th March, 2002 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the matter regarding coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, breaking a light box while rushing the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh and using unparliamentary words and uncalled for remarks in the House etc. by Shri Jagjit Singh Sangwan and there by committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by these M.L.As on 5th March, 2002 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is —

That the matter regarding coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, breaking a light box while rushing the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh and using unparliamentary words and uncalled for remarks in the House etc. by Shri Jagjit Singh Sangwan and there by committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by these M.L.As on 5th March, 2002 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(Noise and interruption)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : मलौर साहब आप अपनी स्पीच जारी रखें। (शोर)

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा था। आज प्रदेश में शांति सद्भाव, आपसी प्यार और बढ़िया कानून व्यवस्था का वातावरण है। यह अपने आप में

एक मिसाल है। प्रदेश में समाज की अल्पसंख्यक महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जा रही है। जनता और पुलिस में आपसी विश्वास कायम करने के लिए हरियाणा पुलिस ने और जनता ने अपने आप में एक नई मिसाल कायम करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर सिंचाई की बात करना चाहूंगा । हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य की सिंचाई प्रणाली का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने नहरों के अन्तिम छोरों पर पानी पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए नहरों और रजबाहों की सफाई करवाई गई है। नहरों का आधुनिकीकरण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी कल एस0वाई0एल0 कैनाल के मुद्दे पर बात कर रहे थे। मैं तो पहली बार विधान सभा में चुनकर आया हूं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे-छोटे होते थे उस समय कोई शुक्ला नाम के व्यक्ति के बारे में सुना करते थे। लेकिन कल चौधरी बंसी लाल जी ने सदन में शुक्ला की चिट्ठी पढ़ी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या यह वही शुक्ला है जिसके बारे में हम स्कूल में पढ़ते हुए नसबन्दी के बारे में नारे लगाया करते थे। "संजय, शुक्ला और बंसी लाल, नसबंदी के तीन दलाल," । (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लग पड़े।)**

चौ0 भजन लाल : * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) बिना इजाजत के जो भी बोल रहा है वह रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

(iv) डा. रघुबीर सिंह कादियान, एम0एल0ए0 के विरूद्ध 5 मार्च, 2002 को सदन के बीच आने/रहने, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सम्बन्धी नियम की पुस्तक फाड़ने, घोर कदाचार एवं गम्भीर अव्यवस्था की ओर ले जाने, सदन में एक लाईट बॉक्स तोड़ने के फलस्वरूप डा0 रघुबीर सिंह कादियान एम0एल0ए0 द्वारा सदन की अवमानना/विशेषाधिकार के भंग इत्यादि करने का अभिकथित विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी मामला।

डा0 सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री जसबीर सिंह मलौर ने श्री रघुबीर सिंह कादियान, एम0एल0ए0 के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलैज का नोटिस दिया है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वह पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप वह पढ़ें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Dr. Sita Ram : Sir, with your permission, I beg to give a notice of breach of privilege against Shri Raghubir Singh Kadian, under Rule 278 read with Rule 295 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly for referring the matter to the Committee of Privileges for examination and report. In support of our this notice of breach of privilege, I bring to your kind notice the facts which resulted into contempt of House on 5th March, 2002 as well as in earlier Sessions of the Haryana Vidhan Sabha. On 5th March, 2002, Shri Raghubir Singh Kadian, came to the well of the House at the time the leave to move the notice of resolution for the removal of the Speaker was not granted, as the required number of members for moving such a motion was not in the House. Shri Raghubir Singh Kadian was so vociferous that he tore the book of 'Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly' in the House, which is a sacred document for any Assembly under which all the legislative functions are carried out. Shri Raghubir Singh Kadian had broken a light box of a seat while shouting and coming to the well of the House causing the damage to the Government property and lowering the dignity of the House. You made several requests to Shri Raghubir Singh, Kadian to go to his seat but Shri Kadian continued arguing with you without any rhyme and reason. On finding the grave misconduct and gross misbehaviour unbecoming of a member of this House, Shri Raghubir Singh Kadian has to be suspended. This whole misconduct and gross misbehaviour on the part of Shri Raghubir Singh Kadian is contempt of the House and the breach of privilege of the House, which has been committed by Shri Raghubir Singh Kadian. He has Challenged/protested against the rulings of the Chair persistently. Earlier instances of misconduct on the part of Shri Raghubir Singh Kadian are as under :—

(i) On 15th March, 2001, Shri Raghubir Singh Kadian, while raising the matter of notice of Adjournment Motion came to the well of the House and even after the repeated requests of the Hon'ble Speaker, Shri Raghubir Singh Kadian, did not go to his seat and ultimately Shri Raghubir Singh Kadian staged a walk out.

(ii) On the 8th November, 2001, Shri Raghubir Singh Kadian, staged a 'DHARNA' in the well of the House on the issue of adjournment of the House for the day due to death of Late Dr. Jai Parkash Sharma, Ex-MLA.

Under the above mentioned circumstances, it has become essential that this whole matter of grave misconduct and gross misbehaviour, which was deliberately and knowingly on the part of Shri Raghubir Singh Kadian, should be examined by the Committee of Privileges and for that I request your goodself to refer this matter to the Committee of Privileges for examination and report.

In view of the above, I give the notice of motion of alleged breach of privilege to give consent to raise the matter on the floor of the House today and the matter may be referred to the Committee of Privileges for submitting its report to the House, being a matter of recent occurrence, which requires the intervention of the Assembly.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of alleged breach of privilege from Dr. Sita Ram and Shri Jasbir Singh Mallour, M.L.As regarding coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002. I give my consent to the raising of the question of alleged breach of privilege and hold that the matter proposed to be discussed, is in order. I call upon Dr. Sita Ram to rise and ask for leave to raise the question of alleged breach of privilege.

Dr. Sita Ram : Sir, I beg to seek the permission of the House to move the motion regarding alleged breach of privilege by Shri Raghubir Singh Kadian, MLA.

Mr. Speaker : Now, I request those Members, who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the ruling party Members present in the House rose in their seats.)

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

Now, Dr. Sita Ram, may move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Dr. Sita Ram : Sir, I beg to move—

> That the matter regarding coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the matter regarding coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is —

> That the matter regarding coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby Committing the contempt of the House/Breach of Privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(Noise and interruption)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, हथनी कुण्ड बैराज और यमुना नहर की प्रणाली जोड़ने के लिए 35 करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार क्यूसिक की क्षमता वाली लिंक नहर का निर्माण किया गया है। इसके बन जाने के बाद वर्षा के दौरान 4 हजार क्यूसिक पानी का प्रयोग किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है तो हरियाणा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने नई उद्योग नीति बनाई है। उस कारण से दिल्ली और दूसरे प्रदेशों के उद्योग वहां से ट्रांसफर होकर हरियाणा में आ रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं। हरियाणा राजस्थान, यू0पी0 और दिल्ली से घिरा हुआ है। हमारे हरियाणा में वहां से बेहत्तर कानून व्यवस्था है किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज सड़क तन्त्र को मजबूत करने का काम जनमत तरीके से किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 2006 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेलों तथा युवा कल्याण का मामला है। जब से हरियाणा प्रदेश के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आल इण्डिया ओलम्पिक ऐसोसिएशन के सदस्य बने और हरियाणा की ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं तब से हरियाणा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया गया है और हमारे खिलाड़ियों में नई जागृति पैदा हुई है जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवान खिलाड़ी ओलम्पिक गेम्ज में जा सकेंगे और गोल्ड मैडल ला सकें। हमें बहुत खुशी है जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक ऐसी नीति लागू की थी कि ओलम्पिक गेम्ज में गोल्ड मैडल जीतने वाले को एक करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब यह घोषणा की गई थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथी कहते थे कि किसी खिलाड़ी ने कोई गोल्ड मैडल जीत कर आना नहीं है और सरकार ने एक करोड़ रुपये देने नहीं हैं। हमारे लिए खुशी की बात है जब हरियाणा के यमुनानगर की कर्णम मल्लेश्वरी ओलम्पिक में मैडल जीत कर आई थी तो हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए का चैक देकर हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों में विश्वास पैदा करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण

काम किए हैं। समाज कल्याण के लिए जननायक चौधरी देवी लाल जी की प्राथमिकताएं थी वे इस सरकार की केन्द्र बिन्दु रही हैं। समाज कल्याण की जितनी अधिक योजनाएं चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी उतनी किसी अन्य मुख्यमंत्री द्वारा नहीं शुरू की गयी। वर्तमान सरकार की भी समाज कल्याण प्रथम प्राथमिकता है और वह चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए, उनके द्वारा रह गए अधूरे कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। इसी तरह से हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों की लड़कियों की शादियों के लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दे रही है। इस स्कीम से अनुसूचित जातियों के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है क्योंकि वे अब अपनी लड़कियों की शादी और आसानी से कर सकते हैं। अब तक इस स्कीम से 6134 लोगों को लाभ मिल चुका है। इस स्कीम के तहत अब तक 312 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग यदि कोई अपना कारोबार चलाने के लिए लोन लेते हैं तो उनको हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सबसिडी देने का काम किया जा रहा है। अब यह सबसिडी 6 हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गयी है। इस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का भी विकास से अछूता नहीं रहा है। मेरा हल्का ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में विकास की झड़ी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लगा दी गयी है। जब चौधरी देवीलाल जी का सोनीपत में जन्म दिन मनाया जा रहा था तो उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा वृद्ध विश्राम गृह गांव-गांव में खोलने की घोषणा की गयी थी। अपनी इसी घोषणा के अनुसार अब तक सरकार द्वारा 265 ताऊ देवी लाल वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है और 248 और ऐसे गृह बनाए जाएंगे। स्पीकर सर, मेरे हल्के में भी इसी तरह के 27 गृह बनाए गए हैं जिन पर 67.50 लाख रुपया खर्च हुआ है। एच0आर0डी0एफ0 के तहत मेरे हल्के में पौने छः करोड़ रुपये गलियां बनाने के लिए, रिटेनिंग वाल बनाने के लिए, पानी की निकासी के लिए, चौपाल बनाने के लिए और गांव-गांव में सीमेंटिड सड़कें बनाने के लिए पैसे देने का काम सरकार ने किया है। इसी तरह से मार्केटिंग बोर्ड द्वारा भी 53 सड़कें बनाने का काम मेरे हल्के में किया गया है। इनमें से बीस सड़कें बनकर पूरी होने वाली हैं और बाकी सड़कें भी बनकर जल्दी ही तैयार हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर विकास कार्य न हो रहे हों। पहली सरकारों में तो केवल पत्थर ही लगाए जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं श्री निशान सिंह द्वारा हाउस में रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए आप समय दें।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के तो चौधरी बंसीलाल जी 15 मिनट्स बोल चुके हैं। आपको केवल 5 मिनट बोलने के लिए दिए जाते हैं।

श्री रामकिशन फौजी (बवानीखेड़ा-अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर आकर अपना अभिभाषण दिया है मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल * * *का पुलिन्दा है।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री रामकिशन फौजी : यह बिल्कुल असत्य है। हमें तो पहले ऐसा लग रहा था कि इसमें

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

गरीबों के लिए कुछ बातें आयी होंगी लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में यहां पर जो लम्बी चौड़ी बातें कही जा रही हैं कि हमने यह कैनाल बनवायी है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार का इसके बनवाने में कोई योगदान नहीं है। यह कैनाल तो चौधरी बंसीलाल जी ने बनवायी थी और उन्होंने इसका काम हरियाणा के लोगों को, पंचों और सरपंचों को दिखाया भी था। सब लोगों को इसके बारे में पता भी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इनको चुप करवाएं। इस कैनाल को बनवाने का श्रेय केवल चौधरी बंसीलाल जी को ही जाता है। हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल ही हैं। उन्होंने ही हरियाणा में नहरें बनवायी हैं, उन्होंने ही रोड्ज बनवायी हैं और वे ही बिजली लेकर आए थे। लेकिन इस सरकार का काम तो केवल पहाड़ बनाने का और गड्ढे खोदने का है। (शोर एवं व्यवधान) तोशाम का पहाड़ बनाना, घंटाघर तोड़ना, यह सारा काम है चौधरी बंसी लाल जी का नहीं है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो0 संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अभी तोशाम पहाड़ का जिक्र आया साथ ही राम किशन फौजी ने घंटाघर तोड़ने का भी जिक्र कर दिया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी से पूछो कि वह घंटाघर किसने तोड़ा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : राम किशन की यह बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो0 संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी से घंटाघर के बारे में पूछें कि किसने तोड़ा।

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है इन्होंने कमैंट दे दी है ये चुप बैठे हैं इसका मतलब इस बात से सहमत हैं। बैठे-बैठे हां भर रहे हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप संपत सिंह को थोड़ा कंट्रोल करो। ये काबू से बाहर है।

प्रो0 संपत सिंह : चौधरी साहब, मैंने तो छोटी सी बात पूछी है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में बाई इलैक्शन हुआ और उसमें सरकार को पता लग गया है कि इलैक्शन कैसे होता है। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी की लहर चली हुई है। इन्होंने यमुनानगर में पूरे प्रशासन, सारे एम0एल0ए0, मंत्री, वर्कर वहां बैठा रखे थे इनको लोगों ने नकार दिया है इन्होंने वहां का इलैक्शन धक्केशाही से जीता है। सुभाष गोयल जी का ड्राईवर वहां डुप्लीकेट वोट देते हुए पकड़ा गया है।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। फौजी साहब यहां हाउस में असत्य बोल रहे हैं। मेरा कोई ड्राईवर अरैस्ट नहीं हुआ। यह एक रिकार्ड की बात है यदि मेरा ड्राईवर अरैस्ट हुआ होगा तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं मौजूद था वह डुप्लीकेट वोट डाल रहा था।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

यमुनानगर में एच0वी0पी0 की जीत हुई है न कि इंडियन नेशनल लोकदल की जीत हुई है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की बात करना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बैठ जाएं।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की बात करना चाहूंगा। खानक का मुद्दा है मैंने कल भी मंत्री जी को कहा था कि इस पहाड़ की ऑक्शन की एग्रीमेंट कब हुई, इसकी डेट बताएं। यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि 4, 5 और 9 पहाड़ को क्यों रोका जा रहा है उसके बारे में बताएं कि मजदूरों को पहाड़ क्यों नहीं चलाने देते। दो दिन से इस बात को दबाया जा रहा है। बस ये एक ही बात कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश को पहाड़ की नीलामी में इतने करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसका ऐग्रीमेंट कब हुआ और 4, 5 व 9 पहाड़ को क्यों रोका जा रहा है निगाना के पहाड़ से ठेके क्यों उठाए ? 4, 5 और 9 का पहाड़ और खानक का पहाड़ जो मजदूरों से ले रहे हैं उसका अभी एक साल बाकी है और इन्होंने डाडम का पहाड़ जो मुंगीपा नामक कम्पनी ने पांच दिन पहले लिया था जिसकी बोली अढ़ाई करोड़ रुपये की गई थी केवल सात दिन के बाद बोली कैंसिल करके उसको वापस लेकर अपने चहेतों को 52 लाख रुपये में दे दिया इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ये वहां पर जो ** Tax ** Tax लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जो रामकिशन फौजी ने अनपार्लियामेंटरी शब्द कहे हैं ये शब्द कार्यवाही से निकाल दें।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर लाठियों वाले बैठा रखे हैं और जब जनता ने टैक्स का विरोध किया तो उनको जेलों में डाल दिया उन पर 307 की धारा लगा दी, उनके ऊपर कई सैक्शंज लगा दी। आज हमारे 200 आदमी जेल में हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगे आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। मेरे हल्के के 40 गांवों में पीने का पानी नहीं है। खेत के पानी की तो अलग बात है। मेरे हल्के के गांव खानक, कुंवारी और बालावास के लोग 10, 15 किलोमीटर दूर से टंकी में पीने का पानी लेकर आते हैं और फिर गांव में घरों में एक-एक या दो-दो घड़े पानी देते हैं। सरकार कहती है कि हम प्रति व्यक्ति 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से प्रदेश की जनता को पीने का पानी दे रहे हैं और उसको और बढ़ाने जा रहे हैं। खेतों में पानी देने के लिए नहर का पानी पहले 27 दिन में आता था और अब 52 दिन में आता है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। किसानों ने अपने ट्यूबवैल्ज लगाकर अपने खेतों में पानी देने का इंतजाम कर रखा है। सरकार पीने का पानी ही नहीं दे रही है कृषि के लिए पानी की तो दूसरी बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मेन मुद्दा मेरे हल्के के पहाड़ों का है।

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, आप वाईंड अप कीजिये।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अस्पतालों में जो पर्ची के रेट फिक्स किए हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। आज सरकार ने सरकारी अस्पतालों में पर्ची का रेट 5/- रुपये प्रति पर्ची कर दिया है। आपको मालूम है कि गरीब आदमी तो सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज कराने के लिए जाता है। सरकारी अस्पतालों में दवाई तो मिलती नहीं सिर्फ सिर दर्द या

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रामकिशन फौजी]

बुखार की कुछ टेबलेट्स ही देते हैं जो दो रुपये की भी नहीं होती जबकि पर्ची के लिए पांच रुपये ले लेते हैं। इस तरह से गरीब जनता को लूटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल ही था उसमें भी अब पर्ची के पांच रुपये इस सरकार ने कर दिये हैं। एक्स-रे के, ब्लड टैस्ट के और पोस्ट मार्टम और दूसरे टैस्टों के भी 20/- रुपये या 30 रुपये प्रति टैस्ट कर दिये हैं जोकि गरीब आदमी के साथ ज्यादती की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन फिक्स किए हुए रेटों को वापिस लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आज सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वे ही डाक्टर बने बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गरीब आदमी के घर जाकर कहते हैं आपका मीटर ठीक चल रहा है, मीटर ठीक रीडिंग दे रहा है प्लास्टिक वाला कम्प्यूटर वाला मीटर लगाना पड़ेगा यह कह कर उनसे 1800 रुपये लूट रहे हैं। इस प्रकार गरीब लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। ये मीटर तो ऐसे हैं कि पड़ौसी के घर में लाइट चल रही हो तो उसका भी बिल हमारा मीटर दिखाएगा। (हंसी और शोर) अध्यक्ष महोदय, ये जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं यह केवल पैसा कमाने के लिए अपने चहेतों को इसके ठेके दिए गए हैं और हरियाणा की जनता को लूट रहे हैं। यह गलत काम है इस नीति को बन्द किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी स्कूलों की बात करना चाहूंगा क्योंकि कल मंत्री जी ने मुझे कहा था कि सरकारी कालेजों के अन्दर कम्प्यूटर लगाए गए है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कम्प्यूटर्ज की फीस गरीब आदमी नहीं भर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, आप रिपीट न करें क्योंकि यह बात आप कल कह चुके हैं।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी 40 रुपये कम्प्यूटर की फीस नहीं दे सकता। कल मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हरियाणा में गरीब आदमी नहीं है। जब इलैक्शन का समय आता है तो सभी गरीब हो जाते हैं और जब सरकार बन जाती है तो कोई गरीब नहीं होता। आज भी हरियाणा प्रदेश में 20 परसैंट लोग ऐसे हैं जिनको शाम की रोटी नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कम्प्यूटर फीस की वजह से कालेजों में जो गरीब बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं उनको बन्द किया जाए और इस फीस को कम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सभी विपक्ष के और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के जितने भी नाम दिए गए थे वे बोल चुके हैं और अभी समय बाकी है लेकिन सदस्य हाजिर नहीं हैं। विकास पार्टी के भी दोनों सदस्य बोल चुके हैं। 11 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय गवर्नर एड्रैस पर रिप्लाई करेंगे।

Now the House stands adjourned till 11.00 a.m. on Monday, the 11th March, 2002.

*2.24 hrs. (The Sabha then * adjourned till 11.00 a.m. on Monday, the 11th March, 2002)